भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 6

दिनांक 06.03.2018 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
बकाया कर निर्धारण	1.3	4
विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन	1.4	5
रिफण्ड के बकाया प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.6	6
परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.7	9
लेखापरीक्षा योजना	1.8	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	11
यह प्रतिवेदन	1.10	11
अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	13
आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	14
कुशल राजस्व संग्रहण के लिये 'राजविस्टा' का अपर्याप्त उपयोग किया जाना	2.4	15
आगत कर की अनियमित स्वीकृति	2.5	17
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनारोपण	2.6	18
कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों में की गयी अनियमितताओं के कारण राजस्व की कम वसूली	2.7	20
अध्याय-III : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	23
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	23
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	24
राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन	3.4	25

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली	3.5	38
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.6	38
बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति/अधिभार की अवसूली	3.7	40
अध्याय-IV : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	41
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	41
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	42
'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिवर्तन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.4	43
अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	69
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.2	69
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	70
लीज डीड के पंजीकरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.4	71
1,000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.5	74
कम्पनियों के समामेलन/अविलिनीकरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/ अनारोपण	5.6	74
उपहार विलेखों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/अनारोपण	5.7	76
विकासकर्ता अनुबंध पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण/ अनारोपण	5.8	77
अचल सम्पत्तियों के विभाजन विलेखों पर मुद्रांक कर का अनारोपण	5.9	79
ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट पर मुद्रांक कर का अनारोपण	5.10	79
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट	5.11	81
अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.12	82
लोक कार्यालय में प्रस्तुत अथवा निष्पादित दस्तावेजों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/अनारोपण	5.13	83
अध्याय-VI : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	6.1	89
आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.2	89

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	90
भांग की खरीद और बिक्री	6.4	91
निर्माण स्थल पर अवस्थित बॉण्डेड वेयरहाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण	6.5	101
बन्धपत्राधीन परिवहनित शोधित प्रासव की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.6	102
मदिरा के उत्पादन में प्रयुक्त अधिक अल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.7	102
परिधीय क्षेत्र की दुकानों की कम्पोजिट फीस के कम निर्धारण से राजस्व की हानि	6.8	104
होटल बार अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली	6.9	105
अध्याय-VII : कर–इतर प्राप्तियां		
कर प्रशासन	7.1	107
आन्तरिक लेखापरीक्षा	7.2	107
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	108
अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	7.4	109
ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली	7.5	125
ब्याज की मांग कायम नहीं करना	7.6	127
परिशिष्ट		
ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली का विवरण	परिशिष्ट-I (संदर्भ अनुच्छेद 7.5.1)	129

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के तहत, राजस्थान राज्य के राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जन वाले प्रमुख विभागों में सम्पादित प्राप्ति एवं व्यय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2016-17 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहाँ कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2016-17 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन' सहित 28 अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिसमें राशि ₹ 357.23 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285.12 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2016-17 में ₹ 1,09,026 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 44,371.66 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹11,615.57 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 55,987.23 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 53,038.77 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा ₹ 33,555.86 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान ₹ 19,482.91 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 2,961 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,877.01 करोड़ राशि के 8,691 अनुच्छेद जून 2017 के अंत में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर

विभागीय वेब आधारित एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 26.27 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आगत कर को अनियमित रूप से स्वीकार करने के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 3.78 करोड़ कम प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

कर का गलत आरोपण और घोषणा पत्रों के अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत राशि ₹ 23.11 करोड़ का राजस्व अप्राप्त/कम प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

तीन वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारणों को त्रुटिपूर्ण ढंग से अंतिम रूप दिया जिसके

परिणामस्वरूप कर का कम निर्धारण और अनुदान की अधिक स्वीकृति राशि ₹ 46.35 लाख की गई ।

(अनुच्छेद 2.7)

III. वाहनों पर कर

'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 तक राज्य में 1.36 करोड़ वाहन पंजीकृत किये गये थे । जबकि 31 मार्च 2016 तक केवल 36.43 लाख वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट लगाई गई थी, जो इस योजना में शामिल कुल वाहनों की संख्या का 27 प्रतिशत थी ।

(अनुच्छेद 3.4.5)

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट लगाने के कार्य की निगरानी नहीं की जा रही थी । पंजीयन प्लेट, स्टीकर लगाने में, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट के प्रतिस्थापन में, प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम में, नेटवर्क कनेक्टिविटी में, वाहनों के सत्यापन में कई कमियां पाई गई ।
- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट उसी वाहन पर लगाई गई है जिसके लिए निर्धारित थी, को सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था ।

(अनुच्छेद 3.4.8.2)

एकमुश्त कर की राशि ₹ 18.08 करोड़ का भुगतान 4,289 वाहनों के सम्बन्ध में नहीं किया गया अथवा कम किया गया ।

(अनुच्छेद 3.5)

अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि हेतु 4,945 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर ₹ 16.13 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथकर एवं प्रभार विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति ₹ 1.59 करोड़ की वसूली नहीं की गयी ।

(अनुच्छेद 3.7)

IV. भू-राजस्व

'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिर्वतन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार द्वारा भूमि आवंटन के लिये कोई नीति नहीं बनाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया को संहिताबद्ध नहीं किया गया था ।

- विभाग की कार्यप्रणाली को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिये विभाग ने नियमावली नहीं बनायी थी। नियमावली नहीं होने के परिणामस्वरूप भूमि आवंटन की निगरानी में कमी रही तथा भूमि आवंटन के प्रत्येक स्तर पर निहित उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में कमी रही ।

- सरकार द्वारा समय-समय पर भूमि आवंटन के लिये जारी स्वीकृतियों के विवरण को अभिलिखित करने के लिये कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं थी । आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, उनके निपटान, प्राप्त स्वीकृतियों तथा जिला कलेक्टरों द्वारा किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में निगरानी के लिये रजिस्टर के संधारण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रावधान नियमों में या आदेश जारी करके नहीं किये गये ।

(अनुच्छेद 4.4.7.1)

- भूमि आवंटन के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान के लिये ना तो कोई समय सीमा थी और ना ही इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये थे । आवंटन प्रक्रिया पर नियंत्रण का अभाव आवंटन प्राधिकारियों को मनमानी कार्यवाही की सम्भावना उपलब्ध कराता है।

(अनुच्छेद 4.4.7.2)

- विशेष उद्देश्यों के लिये आरक्षित भूमि के उपयोग की निगरानी के लिये जिला कलेक्टर स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यह ध्यान में आया कि 46 प्रकरणों में 15,066.02 बीघा भूमि जिस उद्धेश्य के लिये आवंटित की गयी थी उस उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं ली गयी। 13 प्रकरणों में भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी गयी, जबकि 33 प्रकरणों में दो से 27 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी प्रत्यावर्तित नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.4.7.4)

- अपर्याप्त नियंत्रण एवं निगरानी के कारण स्थानीय निकायों द्वारा बेची गयी राजकीय भूमि की विक्रय-आय में से सरकार की हिस्सा राशि ₹ 424.11 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 4.4.7.5)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ प्रकरणों में 714.69 बीघा भूमि की कीमत आवंटन से पूर्व वसूल नहीं की गयी। जिसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत राशि ₹ 167.39 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 4.4.7.6)

- विभाग द्वारा सात विभागों/उपक्रमों से भूमि की कीमत के रूप में बकाया राशि ₹ 550.57 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.4.7.8)

- ग्यारह तहसीलों के 34 प्रकरणों में 600.26 बीघा भूमि का संपरिर्वतन औद्योगिक, आवासीय कॉलोनी, पर्यटन तथा अन्य उद्देश्यों के लिये किया गया। इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का ना तो विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया और न ही समयावधि में वृद्धि हेतु आवेदन किया गया। भू-अभिलेख (जमाबन्दी) भी अपूर्ण छोड़ दिये गये।

(अनुच्छेद 4.4.8.1)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा ने तीन प्रकरणों में मुद्रांक कर का गलत लागू किया जाना पाया परिणामतः मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.56 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.4.1)

उप पंजीयक ने अविलिनीकृत कम्पनी की संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 24.50 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.42 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 5.6.2)

विभाजन विलेखों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 17.59 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.23 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.9)

साझेदारी फर्मों जिन्होनें कम्पनी अधिनियम के तहत अपने विधिक स्वरूप को कम्पनी में परिवर्तित किया के विधिक स्वरूप परिवर्तन सम्बन्धी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं पाये गये। इसके परिणामस्वरूप, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 98.53 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 5.91 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.10.1)

उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण कम दरों पर किया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.80 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.12)

चौबीस प्रकरणों में साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्मों में ₹ 105.71 करोड़ की अचल संपत्तियां अपनी हिस्सा राशि के रूप में अंशदान की गयी, जिन पर मुद्रांक कर ₹ 6.34 करोड़ के स्थान पर अनियमित रूप से ₹ 0.14 लाख वसूल किये गये।

(अनुच्छेद 5.13.1.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने लीज डीडों के माध्यम से ₹ 36.45 करोड़ मूल्य के भू-खण्ड उद्यमियों को आवंटित किये/बेचे। लीज डीडों का

निष्पादन/पंजीयन नहीं करवाया गया परिणामतः मुद्रांक कर ₹ 2.42 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.13.3.2)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं एक रियायती के मध्य मूल्य ₹ 677.79 करोड़ के एक रियायती अनुबंध का निष्पादन हुआ जो कि ₹ 2.40 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 100 से मुद्रांकित था।

(अनुच्छेद 5.13.4)

VI. राज्य आबकारी

'भांग की खरीद और बिक्री' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- विभाग की निगरानी कमजोर थी। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्राप्ति और प्रेषण की मात्रा का सत्यापन करने के लिए गोदाम और खुदरा दुकानों के निरीक्षण नहीं किये गये थे। अनुज्ञाधारियों द्वारा भांग की खरीद और विक्रय की मात्रा की जांच व निगरानी करने के लिये लेखों का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 6.4.4)

- 2013-14 से 2015-16 के दौरान पांच अनुज्ञाधारी समूहों से प्राप्त अनुज्ञाशुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में भांग की बिक्री में कमी हुई थी। विभाग द्वारा समूहों के लिए अनुज्ञाशुल्क का निर्धारण करने के लिए कोई भी मानक नहीं बनाये गये थे।

(अनुच्छेद 6.4.5.1)

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस पर नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क ₹ 50 लाख आरोपित नहीं किये।

(अनुच्छेद 6.5)

दो इकाइयों ने उनके लेखों में 8,783.60 लन्दन प्रूफ लीटर शोधित प्रासव को दर्ज नहीं किया था। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने प्रेषण के समय लागू दर ₹ 116.67 प्रति लन्दन प्रूफ लीटर दर से ₹ 10.25 लाख का आबकारी शुल्क वसूल नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.6)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा की रसायनिक जांच रिपोर्टस के परीक्षण से प्रकट हुआ कि अल्कोहल की तीव्रता भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के लिये निर्धारित सीमा से कम थी। लेखाओं में अल्कोहल की मात्रा का कम लेखांकन किया गया था जिससे सरकार को ₹ 57.06 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.7)

परिधीय क्षेत्र की 17 कम्पोजिट दुकानों/समूहों के लिए ₹ 2.41 करोड़ की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जानी थी किन्तु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन अनुज्ञाधारियों से कम्पोजिट फीस ₹ 0.87 करोड़ निर्धारित की और वसूल की।

(अनुच्छेद 6.8)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- 46 प्रकरणों में ठेकेदारों ने राशि ₹ 7.71 करोड़ के कार्यों का निष्पादन किया लेकिन अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन नहीं किया था । इनमें से 35 प्रकरणों में अधिशुल्क की वसूली किये बिना तथा खान विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उन्हें अंतिम बिलों का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.4.3)

- राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने खान विभाग को तीन कंपनियों द्वारा विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य के दौरान खनिजों के अवैध उपयोग के सम्बन्ध में सूचित किया। तथापि, खान विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 38.14 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.4.4.7)

- 48 प्रकरणों में ₹ 10.05 करोड़ की कम मांग कायम हुई, क्योंकि पांच खनि अभियंता कार्यालयों ने खनिज ईंट मिट्टी की कीमत की वसूली ईंट भट्टों की वार्षिक खपत क्षमता के बजाय निरीक्षणों के समय मौके पर पायी गयी ईंटों/ईंट मिट्टी के आधार पर प्रारम्भ की।

(अनुच्छेद 7.4.5.4)

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	30,502.65	33,477.70	38,672.87	42,712.92	44,371.66[1]
	• कर-इतर राजस्व	12,133.59	13,575.25	13,229.50	10,927.87	11,615.57[2]
	योग	**42,636.24**	**47,052.95**	**51,902.37**	**53,640.79**	**55,987.23**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	17,102.85	18,673.07	19,817.04	27,915.93	33,555.86[3]
	• सहायतार्थ अनुदान	7,173.92	8,744.35	19,607.50	18,728.40	19,482.91[4]
	योग	**24,276.77**	**27,417.42**	**39,424.54**	**46,644.33**	**53,038.77**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**66,913.01**	**74,470.37**	**91,326.91**	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**64**	**63**	**57**	**53**	**51**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में सतत् वृद्धि रही। तथापि, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में पिछले पांच वर्षों में गिरावट रही। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (55,987.23 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (1,09,026.00 करोड़) का 51 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016-17 में शेष 49 प्रतिशत प्राप्तियां

---

[1] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें।

[2] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें।

[3] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032- संपदा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर और 0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-प्राप्तियों एवं विभाजित होने वाले संघीय कर' सम्मिलित हैं।

[4] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में (सी) शीर्ष 1601 देखें।

भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / संशोधित अनुमान / वास्तविक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 में 2015-16 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	15,402.08	19,528.00	24,030.00	28,784.00	32,900.00	
		संशोधित अनुमान	17,237.00	20,300.00	24,120.00	27,635.00	27,767.60	
		वास्तविक	17,214.34	19,834.72	22,644.89	24,878.67	27,151.54	(+) 9.14
	केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	1,147.92	1,522.00	1,595.00	1,716.00	1,615.00	
		संशोधित अनुमान	1,338.00	1,450.00	1,505.00	1,615.00	1,227.40	
		वास्तविक	1,360.31	1,380.79	1,525.02	1,466.10	1,406.88	(-) 4.04
2	राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	3,250.00	4,500.00	5,318.75	6,300.00	7,310.00	
		संशोधित अनुमान	3,875.00	4,625.00	5,330.00	6,350.00	7,600.00	
		वास्तविक	3,987.83	4,981.59	5,585.77	6,712.94	7,053.68	(+) 5.08
3	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	60.14	105.40	172.08	172.08	110.00	
		संशोधित अनुमान	96.73	144.00	156.66	105.00	103.34	
		वास्तविक	144.27	104.59	54.27	97.45	73.94	(-) 24.13
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	2,264.97	3,268.57	3,413.42	3,413.42	3,490.00	
		संशोधित अनुमान	2,723.27	2,706.00	2,823.35	2,785.00	2,701.00	
		वास्तविक	2,693.13	2,577.76	2,705.10	2,574.88	2,502.86	(-) 2.80
	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	474.89	526.03	614.50	614.50	600.00	
		संशोधित अनुमान	480.00	500.00	520.00	560.00	445.66	
		वास्तविक	497.47	442.98	429.52	561.67	476.45	(-) 15.17
4	मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,900.00	2,500.00	2,950.00	3,300.00	3,900.00	
		संशोधित अनुमान	2,225.00	2,550.00	2,800.00	3,300.00	3,650.00	
		वास्तविक	2,283.13	2,498.90	2,829.86	3,199.44	3,622.83	(+) 13.23
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	1,505.25	1,512.61	1,697.18	1,782.04	2,000.00	
		संशोधित अनुमान	1,596.65	1,406.63	1,697.18	2,000.00	2,172.00	
		वास्तविक	1,570.06	948.93	1,534.51	1,921.29	738.24	(-) 61.58
6	भू-राजस्व	बजट अनुमान	196.06	185.51	400.76	400.00	400.01	
		संशोधित अनुमान	233.91	365.76	324.69	320.00	359.01	
		वास्तविक	304.55	337.98	288.58	272.47	314.69	(+) 15.50
7	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	280.00	300.00	345.00	432.00	750.00	
		संशोधित अनुमान	250.00	300.00	360.00	800.00	750.00	
		वास्तविक	248.57	287.92	956.52	847.72	803.28	(-) 5.24
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	50.99	55.00	68.26	131.99	174.99	
		संशोधित अनुमान	50.09	55.01	99.99	171.79	200.00	
		वास्तविक	48.47	68.46	113.68	170.96	220.08	(+) 28.73
9	अन्य कर इत्यादि[5]	बजट अनुमान	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
		संशोधित अनुमान	100.00	50.00	50.17	50.20	10.00	
		वास्तविक	150.52	13.08	5.15	9.32	7.19	(-) 22.85
योग		**बजट अनुमान**	**26,832.30**	**34,053.12**	**40,654.95**	**47,096.03**	**53,300.00**	
		संशोधित अनुमान	**30,205.65**	**34,452.40**	**39,787.04**	**45,691.99**	**46,986.01**	
		वास्तविक	**30,502.65**	**33,477.70**	**38,672.87**	**42,712.92**	**44,371.66**	**(+) 3.88**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**20.19**	**9.75**	**15.52**	**10.45**	**3.88**	

[5] अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर, (वृत्ति पर कर, व्यापार, श्रम एवं रोजगार) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही किन्तु वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रत्येक वर्ष का कर संग्रहण कम रहा। इसके अलावा, राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कम रहा।

जहाँ भी सारभूत भिन्नता पाई गई उनके कारण सम्बन्धित विभागों से मांगे गये (अप्रैल 2017 और मई 2017) किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये (नवम्बर 2017)।

1.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व संशोधित अनुमान में वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / संशोधित अनुमान / वास्तविक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 में 2015-16 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	2,500.00	3,210.00	3,860.00	4,135.00	5,200.00	
	संशोधित अनुमान	2,910.00	3,360.00	3,566.00	4,250.00	4,200.00	
	वास्तविक	2,838.59	3,088.66	3,635.46	3,782.13	4,233.74	(+) 11.94
ब्याज प्राप्तियां	बजट अनुमान	1,428.79	1,933.88	2,046.31	1,790.98	1,778.75	
	संशोधित अनुमान	2,074.82	2,109.36	1,959.83	1,860.58	2,002.97	
	वास्तविक	2,067.00	2,142.49	2,065.39	1,982.39	1,933.37	(-) 2.47
विविध सामान्य सेवायें	बजट अनुमान	324.29	576.17	891.66	1,106.61	1,279.12	
	संशोधित अनुमान	667.80	743.37	920.88	885.72	859.39	
	वास्तविक	686.10	846.36	963.85	700.90	660.70	(-) 5.74
पुलिस	बजट अनुमान	165.00	170.48	220.10	220.10	220.15	
	संशोधित अनुमान	180.10	192.36	220.10	213.00	220.15	
	वास्तविक	192.07	167.27	240.03	162.02	190.78	(+) 17.75
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	78.88	89.94	139.13	110.77	162.73	
	संशोधित अनुमान	80.00	126.66	107.19	162.44	222.35	
	वास्तविक	85.50	147.38	133.21	161.98	210.51	(+) 29.96
वृहद एवं मध्यम सिचांई	बजट अनुमान	122.21	90.62	115.22	146.00	150.00	
	संशोधित अनुमान	116.34	97.55	90.90	112.50	129.79	
	वास्तविक	87.21	80.62	67.08	68.72	112.77	(+) 64.10
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	56.05	66.67	87.44	97.92	103.54	
	संशोधित अनुमान	73.55	87.39	80.20	111.65	123.95	
	वास्तविक	91.24	77.52	89.31	133.75	113.00	(-) 15.51
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	75.75	65.00	74.76	77.36	82.02	
	संशोधित अनुमान	60.00	67.87	74.76	79.51	95.30	
	वास्तविक	57.63	69.16	71.74	97.89	84.31	(-) 13.87
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	61.88	61.00	70.71	95.12	110.42	
	संशोधित अनुमान	99.33	72.86	105.07	108.99	115.74	
	वास्तविक	96.04	65.61	116.43	119.21	125.39	(+) 5.18
सहकारिता	बजट अनुमान	23.65	20.42	11.86	18.51	24.02	
	संशोधित अनुमान	23.00	17.83	16.52	14.52	41.25	
	वास्तविक	22.02	18.80	16.88	14.64	44.10	(+) 201.23
अन्य कर-इतर प्राप्तियां[6]	बजट अनुमान	4,114.64	6,370.23	7,421.01	7,697.61	4,973.35	
	संशोधित अनुमान	5,909.06	6,631.79	6,327.04	4,072.75	4,458.43	
	वास्तविक	5,910.19	6,871.38	5,830.12	3,704.24	3,906.90	(+) 5.47
योग	**बजट अनुमान**	**8,951.14**	**12,654.41**	**14,938.27**	**15,495.98**	**14,084.10**	
	संशोधित अनुमान	**12,185.00**	**13,507.04**	**13,468.49**	**11,871.66**	**12,469.32**	
	वास्तविक	**12,133.59**	**13,575.25**	**13,229.50**	**10,927.87**	**11,615.57**	**(+) 6.29**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**32.24**	**11.88**	**(-)2.55**	**(-)17.40**	**6.29**	

[6] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर-इत्तर राजस्व के संग्रहण में बढ़ोत्तरी रही।

जहाँ भी सारभूत भिन्नता पाई गई उनके कारण सम्बन्धित विभागों से मांगे गये (अप्रैल 2017 और मई 2017) किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये (नवम्बर 2017)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2017 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 6,046.36 करोड़ थी, इसमें से ₹ 1,984.19 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2017 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढोत्तरी का प्रतिशत		31 मार्च 2017 को पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	6,763.32	4,748.56	(-) 29.79	1,597.13
2	परिवहन	66.68	55.34	(-) 17.00	27.71
3	भू-राजस्व	607.04	593.57	(-) 2.22	72.39
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	277.56	305.23	(+) 9.97	52.91
5	राज्य आबकारी	198.62	200.57	(+) 0.98	197.14
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	209.17	143.09	(-) 31.59	36.91
योग		**8,122.39**	**6,046.36**	**(-) 25.56**	**1,984.19**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,984.19 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया हैं। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया था, तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा कारण नहीं बताये गये (अगस्त 2017)। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राशि ₹ 179.39 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि यह अपीलीय प्राधिकरियों व न्यायालयों द्वारा जारी विभिन्न स्थगन आदेशों के अन्तर्गत थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष

रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु ड्यू नये प्रकरण	कुल ड्यू निर्धारण	वर्ष 2016-17 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर[7]	1,75,838	4,15,590	5,91,428	5,91,425	3	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक	4,818	5,189	10,007	5,675	4,332	56.71
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	8,922	13,616	22,538	10,327	12,211	45.82

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी प्रकरणों जिनमें डीम्ड एसेसमेन्ट योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित हैं का निस्तारण कर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रकरणों के निस्तारण का प्रतिशत खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में न्यूनतम रहा। विभाग को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कर अपवंचन के खोजे गये प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम किये जाने के प्रकरणों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2016-17 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति सहित अतिरिक्त मांग इत्यादि कायम की गयी		31 मार्च 2017 को बकाया प्रकरण
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	513	2,310	2,823	2,050	307.54	773

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है।

उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रकरणों में से 72.62 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था।

[7] वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है।

1.5 रिफण्ड के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान रिफण्ड की अनुमति दिये गये प्रकरण एवं वर्ष 2016-17 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या[8]	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,285	201.16	1,143	7.82
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	10,182	638.73	1,980	12.15
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये रिफण्ड के प्रकरण	6,667	629.68	1,839	11.61
	(ii) निरस्त प्रकरणों की संख्या	3,899	7.29	-	-
4	वर्ष के अंत में बकाया प्रकरण	901	202.92	1,284	8.36

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या व राशि में वृद्धि हुई जबकि, वाणिज्यिक कर विभाग (वैट) में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या में कमी हुई, यद्यपि राशि में आंशिक बढ़ोतरी हुई। विभाग को रिफण्ड के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये रिफण्ड के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरुप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करवाते हैं। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि 2,961 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,877.01 करोड़ राशि के 8,691 अनुच्छेद जून 2017 के अंत में

[8] वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है।

बकाया थे। जून 2017 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,932	3,127	2,961
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	8,964	9,129	8,691
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	3,206.77	3,180.58	2,877.01

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि में थोड़ी कमी हुई है। यद्यपि, अभी भी लेखापरीक्षा आक्षेपों के समय पर निस्तारण हेतु त्वरित अनुपालना की आवश्यकता है।

1.6.1 विभागवार 30 जून 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	514	2,044	477.04
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.10
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	461	1,439	80.84
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	85	341	298.95
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,412	3,342	363.58
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	113	249	58.41
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	356	1,253	1,591.09
योग			**2,961**	**8,691**	**2,877.01**

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से तीन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्यालय प्रमुखों[9] से प्राप्त नहीं हुई। निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया होने से यह प्रकट होता है कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बतायी गयी त्रुटियों और अनियमितताओं के सुधार हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

विगत वर्षों की तुलना में बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उनमें सन्निहित राशि में कमी हुई है, पर विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गयी त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये लगातार और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

[9] उप पंजीयकः महुआ (दौसा), डूंगरपुर और अकलेरा (झालावाड़)।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[10] का गठन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6.2

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	3	7	145	9.62
2	भू-राजस्व	3	13	51	20.91
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	17	1,034	116.43
4	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	3	2	144	27.99
	योग	**13**	**39**	**1,374**	**174.95**

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों के सम्बन्ध में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 174.95 करोड़ के 1,374 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त छः लेखापरीक्षा समितियां परिवहन विभाग (दो) तथा आबकारी विभाग (चार) में आयोजित की गई। लेकिन इन दोनों विभागों में लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई और ना ही किसी अनुच्छेद का निस्तारण किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर चार सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

जारी किये गये 40 ड्राफ्ट पैराग्राफ को इस प्रतिवेदन के 28 अनुच्छेदों में संकलित किया गया, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उनके नाम से अप्रैल और अक्टूबर 2017 के मध्य में प्रेषित किया गया। विभागों[11] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा पांच प्रारूप अनुच्छेदों के (15 नवम्बर 2017) उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

---

[10] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार सम्बन्धित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधी को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया।

[11] विभागः परिवहन एवं खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधान सभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें कुल 195 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधान सभा के समक्ष 27 अगस्त 2013 तथा 28 मार्च 2017 के मध्य प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 42 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित कुल 92 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 22 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को छः प्रतिवेदनों[12] (2016-17) में सम्मिलित किया गया।

1.7 परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुददों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये विगत पांच वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर परिवहन विभाग के कार्य-निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

परिवहन विभाग के अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा 31 जुलाई 2017 को उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण

---

[12] छः प्रतिवेदन वाणिज्यिक कर (1), आबकारी (1), परिवहन विभाग (2) और भू-राजस्व (2) विभाग से सम्बन्धित है।

तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अंत में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2012-13	419	1,537	240.85	29	262	16.83	12	206	51.91	436	1,593	205.77
2013-14	436	1,593	205.77	15	141	16.33	20	242	37.94	431	1,492	184.16
2014-15	431	1,492	184.16	33	302	28.14	12	290	32.74	452	1,504	179.56
2015-16	452	1,504	179.56	27	231	27.70	15	278	25.41	464	1,457	181.85
2016-17 जुलाई 2017 तक	464	1,457	181.85	7	64	10.94	10	82	111.95	461	1,439	80.84

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी। यद्यपि, विभाग द्वारा पुराने निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये अधिक प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिवहन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2016-17 के दौरान वसूली गयी राशि	स्वीकार्य प्रकरणों में 30 जून 2017 तक वसूली की समेकित स्थिति
2011-12	4	15.88	2	15.66	0.53	5.90
2012-13	3	10.66	3	10.26	1.15	5.01
2013-14	3	15.96	2	13.15	2.12	5.70
2014-15	6	35.66	4	20.64	2.97	7.44
2015-16	3	20.97	3	20.33	1.96	1.96
योग	**19**	**99.13**	**14**	**80.04**	**8.73**	**26.01**

विभाग द्वारा पांच वर्षों के दौरान राशि ₹ 99.13 करोड़ के 19 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 80.04 करोड़ के 14 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था के विरूद्ध केवल ₹ 26.01 करोड़ की वसूली की जा सकी। आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 32.50 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली को गति देने एवं इसकी निगरानी हेतु तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा गत अवधि में इसके प्रभाव, आदि शामिल हैं, के आधार पर तैयार की गयी है। वर्ष 2016-17 के दौरान, 442 इकाइयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 442 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 30,175 प्रकरणों में ₹ 779.41 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 19,402 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 275.07 करोड़ निहित थी। इनमें से ₹ 60.06 करोड़ राशि के 8,290 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2016-17 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,785 प्रकरणों में ₹ 68.12 करोड़ वसूल किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 28 अनुच्छेद समाहित हैं जिनमें 'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 357.23 करोड़ हैं, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 176.21 करोड़ है।

विभाग/सरकार ने ₹ 285.87 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कीं, जिनमें ₹ 6.04 करोड़ वसूल किये जा चुके है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इन सभी पर आगामी अध्यायों-II से VII में चर्चा की गयी है।

अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

प्रवेश कर/मूल्य परिवर्धित कर (वैट)/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) के प्रमुख आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता हेतु 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार है। सम्बन्धित कर कानूनों एवं नियमों को लागू करवाने में इनकी सहायता कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ करते हैं।

वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख हैं। सहायक लेखाधिकारी की अध्यक्षता में 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य योजना इकाइयों की महत्वपूर्णता और राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशतता में
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 35 से 73 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2016-17 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,417 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेदों की संख्या	11,677	1,276	1,152	942	1,382	988	**17,417**

बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा बताये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठा रहा है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में 71 इकाइयों के वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,698 प्रकरणों में ₹ 103.87 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गयी, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	461	68.71
2	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	31	3.00
3	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	114	13.41
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	183	11.53
5	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	823	7.03
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	86	0.19
योग		**1,698**	**103.87**

वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने 426 प्रकरणों में ₹ 36.05 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.25 करोड़ के 72 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने 48 प्रकरणों में ₹ 1.33 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की जिसमें से ₹ 0.05 करोड़ के 6 प्रकरण वर्ष 2016-17 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

एक प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इसको स्वीकार करते हुए ₹ 20.84 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

उदाहरण के लिये कुछ प्रकरण आगे के अनुच्छेदों में दिये गये हैं जिनमें राशि ₹ 53.63 करोड़ सन्निहित है।

2.4 कुशल राजस्व संग्रहण के लिये *राजविस्टा* का अपर्याप्त उपयोग किया जाना

वैट का निर्धारण एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 एवं इसके अधीन बने नियमों द्वारा शासित होता है। प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (आरईटी अधिनियम) तथा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 (आरईटी नियम) तथा इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं से शासित होता है। राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2011 को अधिसूचना जारी करके अधिसूचित माल के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिये लाये जाने पर व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार देरी से भुगतान के लिए ब्याज भी देय है।

विभाग ने विभागीय प्राधिकारियों के उपयोग के लिये एक वेब-आधारित एप्लीकेशन *राजविस्टा* शुरू की, जिसमें माल के खरीद एवं विक्रय किये जाने पर कर के निर्धारण एवं संग्रहण की सुविधा हेतु विभिन्न मोड्यूल्स का प्रावधान किया गया तथा इस प्रकार राजस्व संग्रहण प्रणाली को सुरक्षित किया गया। तथापि, *राजविस्टा* अधिसूचित वस्तुओं पर प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यवहारियों के नाम/टिन को नही दर्शाता है। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भी इस प्रणाली को इस तरह उपयोग में नही लिया जिससे ऐसे व्यवहारियों की तलाश की जा सके जो वैट अधिनियम के अन्तर्गत तो पंजीकृत थे किन्तु प्रवेश कर नही चुका रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा करापवंचना की संभावना वाली कुछ वस्तुओं का नमूना जांच के लिये चयन किया गया। ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में सूचनायें *राजविस्टा* से एवं अन्य राज्यों के दो विक्रेता व्यवहारियों से वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये एकत्रित की गयी। लेखापरीक्षा ने इन सूचनाओं का विभाग में उपलब्ध कर निर्धारण अभिलेखों से मिलान किया तथा राशि ₹ 26.27 करोड़ के प्रवेश कर तथा वैट का कम आरोपण किया जाना पाया, जिसकी चर्चा आगे की गयी है:

2.4.1 प्रति-सत्यापन के परिणामों से पाया गया कि 270 व्यवहारियों ने विभिन्न माल यथा एयर कण्डीशनर्स, एक्सप्लोजिव, फर्नेश आयल, टायर एवं ट्यूब्स, पैटकोक, हाई स्पीड डीजल, कम्प्यूटर तथा उसकी एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक गुड्स, जनरेटिंग सेट्स, ट्रान्सफार्मर्स, लुब्रीकेन्ट ऑयल, वे-ब्रिज, एचडीपीई बैग्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, क्रेन तथा लोडर (अर्थमूविंग तथा माइनिंग मशीनरी) आदि कीमतन ₹ 1,926.75 करोड़ के अवधि 2012-14 के दौरान आयात किये। इन व्यवहारियों ने अपनी सम्बन्धित वैट विवरणियों में इस माल को विक्रय करने का उल्लेख नहीं किया था। यह दर्शाता है कि यह माल क्रेता व्यवहारियों द्वारा विक्रय नहीं किया गया था। इन व्यवहारियों ने इस माल पर राशि ₹ 19.38 करोड़ के प्रवेश कर को नहीं चुकाया था। ऐसे व्यवहारी ₹ 6.17 करोड़ के ब्याज के लिये भी दायी थे।

माल की खरीद से सम्बन्धित समस्त जानकारी वेब-आधारित एप्लीकेशन *राजविस्टा* पर उपलब्ध थी तथा सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिये सुलभ थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व रिसाव को रोकने तथा प्रवेश कर आरोपित करने के लिये इस जानकारी का उपयोग नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 25.55 करोड़ के प्रवेश कर व ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग को इस चूक के बारे में बताया गया (जून 2016 से जुलाई 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई से जुलाई 2017)। विभाग द्वारा 65 प्रकरणों में लेखापरीक्षा

टिप्पणियों को स्वीकार किया गया तथा ₹ 18.85 करोड़ की मांग कायम की। इसमें से ₹ 0.46 करोड़ की वसूली की गयी। शेष प्रकरणों के लिये वसूली की स्थिति तथा उत्तर प्रतीक्षित रहे।

2.4.2 *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि वृत्त विशेष-सप्तम, जयपुर के एक व्यवहारी ने राज्य के बाहर से कीमत ₹ 9.93 करोड़ का माल[1] सीएसटी घोषणा पत्र 'एफ'[2] के समर्थन पर प्राप्त किया था। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से सूचना का मिलान करने पर पाया गया (जून 2016) कि व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की वार्षिक वैट विवरणी में ₹ 8.18 करोड़ की कीमत का माल प्राप्त होना दर्शाया। इस प्रकार, 'एफ' प्रपत्र के समर्थन पर प्राप्त माल तथा वार्षिक विवरणी में दर्शाये गये माल के मध्य ₹ 1.75 करोड़[3] का अन्तर था। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2014) माल के कम लेखांकन को पकड़ा नहीं जा सका। इसके परिणामस्वरूप माल कीमतन ₹ 1.75 करोड़ पर ₹ 24.47 लाख वैट तथा ₹ 10.28 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ था (मार्च 2016)।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017) सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि ₹ 36.22 लाख (कर ₹ 24.47 लाख तथा ब्याज ₹ 11.75 लाख) की मांग कायम की जा चुकी है तथा ₹ 2.45 लाख कर के वसूल किये जा चुके हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2017)।

2.4.3 *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना (डीलर पेमेन्ट सर्च रिपोर्ट) से पाया गया (दिसम्बर 2016) कि वृत्त विशेष-द्वितीय, भिवाडी के एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 के लिये ₹ 2.56 करोड़ का कर जमा कराया। फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) ₹ 2.82 करोड़ के कर का समायोजन दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.76 लाख के कर का अधिक समायोजन दिया गया। इसके अलावा, ब्याज ₹ 10.82 लाख भी आरोपणीय था (मार्च 2016)।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2017)। सरकार ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि ₹ 39.16 लाख (कर ₹ 25.76 लाख तथा ब्याज ₹ 13.40 लाख) की मांग कायम की जा चुकी है। यह भी सूचित किया गया (जून एवं अगस्त 2017) कि व्यवहारी से ₹ 13.05 लाख की वसूली की जा चुकी है जिसमें ₹ 12.67 लाख व्यवहारी को उपलब्ध आईटीसी में से समायोजित किये गये तथा ₹ 0.38 लाख की नगद वसूली की जा चुकी है। बकाया राशि की वसूली की आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2017)।

---

[1] सेफ्टी रेजर ब्लेडस जिस पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय था।

[2] सीएसटी फार्म एफः एफ फार्म एक व्यवहारी द्वारा तब जारी किया जाता है कि जबकि वह ये दावा करें कि वह सीएसटी अधिनियम के तहत, ऐसे माल के लिये, जिसमें माल का आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण अपने अन्य व्यवसाय स्थल या अपने व्यवसाय के लिये या अपने ऐजेण्ट या प्रिंसिपल को किया गया है तथा इस आधार पर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं है।

[3] ₹ 9.93 करोड़ - ₹ 8.18 करोड़।

2.5 आगत कर की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को इस धारा में बताये गये प्रयोजनों के लिये राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल पर आगत कर लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके एवं सीमा तक दिया जायेगा। आगत कर लाभ विक्रेता व्यवहारी द्वारा देय कर के जमा का सत्यापन किये जाने के उपरान्त स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी गलत आगत कर लाभ प्राप्त कर लेता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी शास्ति आरोपित करेगा।

2.5.1 तीन वृत्तों[4] के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अगस्त 2016 एवं अक्टूबर 2016 के मध्य) कि पांच व्यवहारियों (क्रेता व्यवहारी) ने वर्ष 2012-13 में विक्रेता व्यवहारी से कर योग्य माल क्रय किया तथा राशि ₹ 2.07 करोड़ का आगत कर का लाभ लिया। विक्रेता व्यवहारी के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग (राशि ₹ 2.70 करोड) कायम करने के उपरान्त भी विक्रेता व्यवहारी ने देय कर जमा नहीं करावाया। उसने क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण प्राधिकारियों को इन क्रेता व्यवहारियों को आगत कर स्वीकृत नहीं करने के लिये सूचित किया (जून 2014)। फिर भी क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अधिकारियों ने क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2015 से जून 2015 के मध्य) राशि ₹ 2.07 करोड़ का गलत आगत कर लाभ स्वीकृत किया।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि क्रेता व्यवहारियों के विरूद्ध कर राशि ₹ 2.07 करोड़ व ब्याज राशि ₹ 1.10 करोड़ की मांग कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

2.5.2 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1(ई) व (जी) के अनुसार कर-मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल एवं पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर लाभ देय नहीं होगा। वृत्त 'सी', जयपुर के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 2016) कि कर-मुक्त माल का निर्माण एवं विक्रय करने वाले एक व्यवहारी ने राशि ₹ 57.08 लाख[5] के आगत कर लाभ का दावा पूंजीगत माल व कच्चे माल[6] की खरीद पर किया।

कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने कच्चे माल व पूंजीगत माल का उपयोग राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त माल के निर्माण में किया था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अक्टूबर 2015) उक्त गलत क्रेडिट को रिवर्स करने के स्थान पर अनियमित रूप से आगत कर लाभ स्वीकृत कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 57.08 लाख का अनियमित आगत कर लाभ स्वीकृत हो गया। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 1.14 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय थी।

---

[4] वृत्तः विशेष-तृतीय, जयपुर; विशेष-पंचम, जयपुर और 'एन', जयपुर।

[5] आगत कर ₹ 57.08 लाखः ₹ 42.52 लाख पूंजीगत माल की खरीद पर और ₹ 14.56 लाख कर-मुक्त माल के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की खरीद पर।

[6] पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवहारी बिल्डिंग स्टोन, ग्रिट और गिट्टी का व्यवसाय करता है जो कि कर-मुक्त माल है।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017)। सरकार ने अवगत कराया (जून 2017) कि व्यवहारी द्वारा दावा की गयी आगत कर राशि ₹ 57.08 लाख को रिवर्स कर दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया (सितम्बर 2017) कि राशि ₹ 1.14 करोड़ की शास्ति आरोपित कर दी गयी है। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

2.6 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनारोपण

सीएसटी अधिनियम की धारा 10ए सपठित धारा 10(सी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में माल खरीदते समय पंजीकृत व्यवहारी नहीं होने के उपरान्त भी गलत ढंग से यह दर्शाता है कि वह पंजीकृत व्यवहारी है तो प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे पंजीयन प्रमाण पत्र देने के लिये सक्षम है, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, लिखित आदेश द्वारा, माल पर कर[7] की डेढ़ गुणा तक शास्ति आरोपित कर सकता है। सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत कर से आंशिक/पूर्ण छूट के लिये विभिन्न घोषणा पत्र जैसे सी, एफ, एच, ई-I तथा ई-II आदि विहित किये गये हैं। तथापि, यदि व्यवहारी वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो कर से आंशिक/पूर्ण छूट अनुमत्य नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त सीएसटी (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 के उपनियम (20) सपठित राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 67 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर गलत लेखे, विक्रय एवं क्रय बीजक तैयार या प्रस्तुत करता है अथवा जानबूझकर अपने व्यवसाय या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करने योग्य घोषणा पत्रों के सम्बन्ध में गलत विवरणियां तैयार या प्रस्तुत करता है तो वह प्राधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धी पर छः माह तक के साधारण कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

2.6.1 सीएसटी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में अन्य पंजीकृत व्यवहारी को माल बेचता है तो वह 1 जून 2008 से रियायती दर 2 प्रतिशत से कर चुकायेगा परन्तु यह बिक्री घोषणा पत्र 'सी' से समर्थित हो अन्यथा ऐसे माल की राज्य में बिक्री या खरीद पर लागू दर से कर आरोपणीय होगा। राजस्थान वैट अधिनियम के अनुसार माल 'बिटुमन' (डामर) पर 14 प्रतिशत की दर आरोपणीय थी।

वृत्त बी, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (नवम्बर 2016) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2013-14 में अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बिटुमन राशि ₹ 5.73 करोड़ की बिक्री/हस्तान्तरण उक्त संव्यवहारों के लिए लिए जरूरी सीएसटी घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये बिना किया। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2016) 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की गलत दर लगाई। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 51.61 लाख के अतिरिक्त ब्याज राशि ₹ 15.48 लाख

[7] कर जो कि धारा 8 की उपधारा (2) के तहत व्यवहारी को माल की बिक्री पर आरोपित किया जाता यदि यह बिक्री उक्त उपधारा के अन्तर्गत बिक्री होती।

(मार्च 2016) का निम्न विवरणानुसार कम अरोपण हुआः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री का प्रकार एवं वांछित प्रपत्र	संव्यवहारों की राशि जिनके लिये सीएसटी घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई कर की दर	कम लगाई गई कर की दर	कर का कम निर्धारण
1	धारा 8(1) घोषणा पत्र 'सी'	1.13	5	9	0.10
2	धारा 6(ए) घोषणा पत्र 'एफ'	0.18	5	9	0.02
3	धारा 6(2) घोषणा पत्र 'सी' एवं 'ई-I/II'	4.42	5	9	0.40
योग		**5.73**			**0.52**

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि मांग राशि ₹ 70.71 लाख (कर राशि ₹ 51.61 एवं ब्याज राशि ₹ 19.10 लाख) कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

2.6.2 दो वृत्तों[8] के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) कि आठ व्यवहारियों ने 11 राज्यो से घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरूद्ध राशि ₹ 287.84 करोड़ का माल क्रय करना दर्शाया। व्यवहारियों ने प्रपत्र 'सी' विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जारी करवाये थे। सात व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार घोषणा प्रपत्र सी के विरूद्ध क्रय किये गये माल की कीमत राशि ₹ 277.73 करोड़ थी और इसे राज्य के बाहर स्थित अपनी ब्रान्चों/एजेन्टों को घोषणा प्रपत्र एफ के विरूद्ध हस्तान्तरण करना दर्शाया था। संव्यवहारो के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्य मामले में व्यवहारी ने राशि ₹ 10.11 करोड़ के माल के लिए प्रपत्र 'सी' जारी किये लेकिन अपनी विवरणी में शून्य खरीद एवं शून्य टर्नओवर दर्शाया। विभाग ने जांच करवायी (नवम्बर 2011 से जून 2015) तथा यह पाया कि इन व्यवहारियों के व्यवसाय स्थलों पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा रही थी। इन सभी आठ व्यवहारियों के पंजीयन प्रमाण पत्र उनके पंजीयन की तिथि से ही निरस्त (जून 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य) कर दिये गये।

राजविस्टा पर उपलब्ध कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के दायित्व का निर्धारण नहीं किया। न तो राशि ₹ 22.44 करोड़ की शास्ति के आरोपण हेतु कोई कार्यवाही की गई और न ही इन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियोग चलाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई एवं अगस्त 2017 के मध्य)। सरकार ने अवगत करवाया (अगस्त एवं अक्टूबर 2017) कि इन प्रकरणों में धारा 67 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

[8] वृत्तः ए जयपुर और सी जयपुर।

2.7 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों में की गयी अनियमितताओं के कारण राजस्व की कम वसूली

तीन वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारणों को त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से अंतिम रूप दिया जिसके परिणामस्वरूप कर का कम निर्धारण और अनुदान की अधिक स्वीकृति राशि ₹ 46.35 लाख एवं ब्याज ₹ 0.20 लाख का कम आरोपण हुआ जैसा कि आगामी टेबिल में बताया गया है:

क्र. सं.	वृत्त का नाम	सम्बन्धित प्रावधान	टिप्पणी
1	विशेष-द्वितीय, भिवाड़ी	राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 40(2) एवं 5(ए) के प्रावधानुसार अवार्डर कर की एवज में काटी गयी राशि को चालान के जरिये राजकोष में जमा करवायेगा । इस तरह की राशि की जमा की तारीख से एक माह के भीतर प्रत्येक ठेकेदार की कर कटौती एवं जमा का उल्लेख करते हुये एक मासिक विवरण सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।	एक व्यवहारी ने अवधि 2012-13 के दौरान सात ठेकेदारों को राशि ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान करते समय राशि ₹ 14.49 लाख की स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की। व्यवहारी ने टीडीएस काट कर राजकोष में जमा (जून 2012 और मई 2013 के मध्य) कराया तथा विवरण कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया । कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) व्यवहारी के अवार्डर के रूप में दायित्व को निर्धारित नहीं किया और टीडीएस राशि का व्यवहारी के नियमित व्यवसाय के कर दायित्व के विरूद्व अनियमित रूप से समायोजन दे दिया । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 14.49 लाख का अनियमित समायोजन दिया गया।
चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017)। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि ₹ 14.49 लाख की मांग कायम कर दी गयी। वसूली की अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।			
2	विशेष-तृतीय, जयपुर	राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 2(33) के प्रावधानुसार धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत लिये गये आगत कर लाभ को रिवर्स किया जायेगा। इसके अलावा, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी द्वारा कर अवधि के लिये अदा किये जाने वाले शुद्ध देय कर की गणना निर्धारित सूत्र[9] द्वारा की जायेगी।	एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की वार्षिक विवरणी में राशि ₹ 9.53 लाख निर्गत कर तथा ₹ 18.25 लाख रिवर्स कर दर्शाया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) निर्गत कर तथा निर्धारित फार्म प्रस्तुत न करने के कारण अतिरिक्त कर का आरोपण किया एवं ₹ 1.30 करोड़ की मांग कायम की तथापि ₹ 18.25 लाख के रिवर्स कर का आरोपण नही किया। इसके परिणामस्वरूप, इस राशि की मांग का कम आरोपण हुआ।
चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (जुलाई 2017) कि ₹ 27.92 लाख की मांग (कर ₹ 18.25 लाख तथा ब्याज ₹ 9.67 लाख) कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।			

9 टी = (ओ+आर+पी) – आई, जहां टी अर्थात शुद्ध देय कर; ओ अर्थात निर्गत कर की राशि; आर अर्थात रिवर्स कर; पी अर्थात धारा 4(2) के अनुसार देय कर राशि और आई अर्थात आगत कर की राशि।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	सम्बन्धित प्रावधान	टिप्पणी
3	विशेष-सप्तम, जयपुर	राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2010 (रिप्स) के क्लाज 4ई के अनुसार रोजगार सृजन अनुदान की राशि सेवा में पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये ₹ 15,000/18,000 प्रति कर्मचारी[10] है। इसके अतिरिक्त रिप्स के क्लॉज 11 के अनुसार अनुदान की गणना में रिकार्ड पर दर्शित भूल को सुधारने के लिये अनुदान वितरण अधिकारी अपने आदेश को संशोधित करेगा और आधिक्य राशि को, यदि कोई है तो, ऐसे उपक्रम से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूल करेगा।	एक व्यवहारी ने 293 कार्यरत कर्मचारियों के लिये राशि ₹ 27.26 लाख का रोजगार अनुदान का दावा प्रस्तुत किया। अनुदान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि केवल 90 कर्मचारियों (85 पुरूष तथा 5 महिला कर्मचारी) ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान काम किया। इसलिये अनुदान केवल 90 कर्मचारियों के लिये स्वीकृत होना चाहिये था। जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी द्वारा दावा किये गये सभी 293 कर्मचारियों के लिये अनुदान को स्वीकार और वितरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रोजगार अनुदान ₹ 13.61 लाख अधिक स्वीकृत हो गया। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.20 लाख (मार्च 2016) भी आरोपणीय था।
प्रकरण को ध्यान में लाये जाने पर (जून 2016), सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि ₹ 16.59 लाख की मांग (अधिक अनुदान ₹ 13.61 लाख तथा ब्याज ₹ 2.98 लाख) कायम कर दी गयी और ₹ 8.97 लाख वसूल कर लिये गये। यह भी सूचित किया गया कि बकाया शेष मांग पर राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा स्थगन दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।			

[10] ₹ 15,000 सामान्य कर्मचारी तथा ₹ 18,000 महिला/एससी/एसटी कर्मचारियों के लिये।

अध्याय-III : वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियां, केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों व इसके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती है एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती है।

परिवहन विभाग के प्रमुख परिवहन आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिये पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 12 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 12 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 51 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, अनुमोदित योजना एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होती है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.50
2016-17	1	57	58	50	8	13.79

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

यहां पर वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में कमी का प्रतिशत 1.50 से 18.18 के मध्य रहा। विभाग ने अवगत कराया कि रिक्त पदों के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में कमी रही।

यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के अन्त में 6,580 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1993-94 से 2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेद	2,183	642	570	730	1,237	1,218	**6,580**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

इन 6,580 अनुच्छेदों में से 2,183 अनुच्छेद वर्ष 2012-13 की अवधि से पूर्व के थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बकाया अनुच्छेदों पर विभाग को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषतः पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण पर अधिक विलम्ब होने पर वसूली की सम्भावना कम हो जायेगी।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिये समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान 28 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में लेखापरीक्षा को 11,007 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 51.00 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला। ये प्रकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद	1	-
2	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क, आदि की अवसूली/कम वसूली	10,023	41.71
3	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना, कर का अनिर्धारण/ निर्धारण कम करना	850	9.25
4	अन्य अनियमिततायें अ- राजस्व से सम्बन्धित ब- व्यय से सम्बन्धित	 69 64	 0.01 0.03
योग		**11,007**	**51.00**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 5,259 प्रकरणों में ₹ 45.51 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 4.21 करोड़ के 891 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2016-17 के दौरान, 1,876 प्रकरणों में ₹ 33.97 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 0.43 करोड़ के 101 प्रकरण वर्ष 2016-17 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद तथा कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 35.80 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

3.4 राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन

3.4.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति/वाहन स्वामी मोटर वाहन को किसी भी स्थान पर तब तक संचालन की अनुमति नहीं दे सकता, जब तक कि वो अधिनियम के अनुसार पंजीकृत न हो। अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी वाहन को एक विशिष्ट चिन्ह आवंटित करेगा जिसे पंजीकरण चिन्ह कहा जाता है। इसमें अक्षरों का एक समूह होता है जिसके पश्चात अंक होते है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों को आवंटित किये जाते हैं। यह पंजीयन चिन्ह वाहनों पर उस रूप में और उस तरीके से दर्शाये और प्रदर्शित किये जाते हैं जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 50, जो कि मोटर वाहनों के पंजीकरण की विशिष्टियों, रूप और तरीके का निर्धारण करता है को संशोधित किया। यह संशोधन दिनांक 22 अगस्त 2001 को राजपत्र में प्रकाशित 'कर मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटस) (एचएसआरपी) आदेश, 2001' के माध्यम से किया गया था। आदेश के अनुसार नये पंजीकृत वाहनों के मामलों में एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने का कार्य 28 सितम्बर 2001 से और पूर्व पंजीकृत वाहनों के मामले में आदेश जारी करने की दिनांक यथा 22 अगस्त 2001 से दो वर्षों में प्रारम्भ किया जाना था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका को निर्णित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गए (7 फरवरी 2012) कि एचएसआरपी लगाने की योजना[1] का पूर्ण क्रियान्वयन नवीन वाहनों के सम्बन्ध में 30 अप्रैल 2012 तथा पुराने वाहनों के लिए 15 जून 2012 तक किया जावें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में समयबद्ध तरीके से एचएसआरपी योजना को कड़ाई से लागू करने के निर्देश केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिये (जुलाई 2016)।

राजस्थान राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु एचएसआरपी को जोड़ने, स्थापित करने, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, प्लेटस की डिजाईन, विकास, उत्पादन, एम्बोस करने, लगाने, वितरित करने तथा सम्पूर्ण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार और मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध का निष्पादन हुआ (16 मई 2012)। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 28 जून 2012 द्वारा मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड को सम्पूर्ण राज्य के सभी नवीन और विद्यमान वाहनों हेतु एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर की दिनांक से पांच वर्षों की अवधि और परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमत्य अन्य विस्तारित अवधि, यदि हो, के लिए प्राधिकृत किया। समझौता 15 मई 2017 को समाप्त हो गया। संविदाकार को

[1] मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट) योजना।

31 अगस्त 2017 की अवधि तक दो बार (31 मई और 14 अगस्त 2017) विस्तार प्रदान किया गया। अनुबन्ध के निष्पादन के सम्बन्ध में नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में वर्णित थी।

3.4.2 उद्देश्य

नई योजना का उद्देश्य जन सुरक्षा, सुरक्षा और वाहनों की चोरी की बढ़ती हुई आशंका और उनके आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उपयोग पर नियंत्रण करना था। योजना के क्रियान्वयन में परिवहन विभाग की दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की लेखापरीक्षा की गई।

3.4.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

राजस्थान राज्य में सात प्रशासनिक सम्भाग हैं जिनमें 52 परिवहन इकाइयां है। इनमें से हमने आठ इकाइयों[2] (जयपुर सम्भाग से दो और शेष छः सम्भाग में से एक-एक) और परिवहन आयुक्त कार्यालय का चयन किया, जिसमें अप्रैल 2012 से मार्च 2016 तक की अवधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी सम्मिलित है। इन आठ इकाइयों में से दो इकाइयों[3] की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि लेखापरीक्षा की अवधि में वाहन सॉफ्टवेयर के अपडेशन का कार्य किया जा रहा था।

मोटर वाहन डीलरों[4] और संविदाकार द्वारा प्लेटस की एम्बोसिंग और एफिक्सेशन (उभारने और लगाने) के लिए स्थापित एचएसआरपी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के कार्मिकों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि योजना का क्रियान्वयन इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों के अनुसार किया गया।

3.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निविदा दस्तावेज, अनुबन्ध, केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, मोटर वाहन (नई एचएसआरपी) आदेश, 2001, परिवहन विभाग राजस्थान सरकार के उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटस ऑपरेशनल मैन्युअल और राजस्थान सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों में निर्धारित मापदण्डों पर आधारित है।

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

चयनित इकाइयों के एचएसआरपी सम्बन्धी अभिलेखों/सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

2 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चितौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, बून्दी, दूदू, करौली, कोटपूतली और जैसलमेर।

3 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बून्दी और कोटपूतली।

4 ऐसे डीलर जो पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत थे।

3.4.5 एचएसआरपी योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य सरकार के 28 जून 2012 के आदेश के अनुसार सभी वाहनों पर एचएसआरपी को लगाया जाना आवश्यक था। 15 जुलाई 2012 को या उसके पश्चात पंजीकृत वाहनों पर पंजीकरण के तुरन्त बाद एचएसआरपी लगाई जानी थी। 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में एचएसआरपी लगाने का कार्य 14 जुलाई 2014 को या उससे पहले पूर्ण किया जाना था।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार 31 मार्च 2016 तक राज्य में 1.36 करोड़ वाहन पंजीकृत हुए। विभाग द्वारा सूचित (19 मई 2017) किया गया कि 31 मार्च 2016 तक 36.43 लाख वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी। ये सभी वाहन अप्रैल 2012 के बाद पंजीकृत हुए थे। इस प्रकार, कुल वाहनों की संख्या के 27 प्रतिशत वाहन ही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये थे।

3.4.5.1 नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाना

निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.3 के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों में वाहनों पर एचएसआरपी को लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के आदेश दिनांक 3 मई 2013 के अनुसार एचएसआरपी को लगाने के बाद ही वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाने पर प्लेट की लागत की राशि के 10 प्रतिशत की दर से मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड पर परिनिर्धारित शास्ति आरोपित की जानी थी।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 35.60 लाख वाहनों को पंजीकृत किया गया था। विभाग ने सूचित किया (19 मई 2017) कि 35.56 लाख वाहनों[5] पर एचएसआरपी लगाई गई थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है:

वर्ष	पंजीकृत वाहनों की संख्या (लाख में)	वाहनों की संख्या जिन पर एचएसआरपी लगाई (लाख में)	विचलन (लाख में)
2013-14	11.12	10.90	(-) 0.22
2014-15	11.95	12.54	(+) 0.59
2015-16	12.53	12.12	(-) 0.41
योग	**35.60**	35.56	(-) 0.04

उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि चार हजार वाहन बिना एचएसआरपी के चल रहे थे। विभाग उन प्रकरणों का अनुसंधान करें तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाने के लिए मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड पर परिनिर्धारित शास्ति के आरोपण पर विचार किया जा सकता है।

[5] इसमें 2012-13 के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि कार्य 15 जुलाई 2012 से शुरु किया गया था तथा 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या मांगी गई परन्तु विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

3.4.5.2 दिनांक 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी का नहीं लगाया जाना

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सभी वाहनों पर 14 जुलाई 2014 तक एचएसआरपी लगाना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर एचएसआरपी लगाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके पश्चात, उक्त विषय पर एक जनहित याचिका का निर्णय करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिवहन आयुक्त को 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी के लिए कलैण्डर निर्धारित करने के आदेश को जारी करने के निर्देश दिये गये (25 फरवरी 2016)। न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गए कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आदेश शीघ्रातिशीघ्र और इस आदेश की प्रति के प्राप्त होने की दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर पारित करें।

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में ज्ञात हुआ कि पांच चयनित कार्यालयों[6] में 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। जिला परिवहन अधिकारी, दूदू द्वारा सूचित किया गया कि 2014-16 के दौरान 84 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी।

3.4.5.3 पंजीयन प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण पर एचएसआरपी का नहीं लगाना

वाहन स्वामियों को वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकार पर्ची[7] जारी की जानी अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेज में एक प्रपत्र निर्धारित था।

चयनित इकाइयों के प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा सूचित किया गया कि वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण अर्थात ऐसे वाहन जिनका 15 वर्ष का जीवनकाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) के अन्तर्गत समाप्त हो चुका था, पर एचएसआरपी लगाने हेतु प्राधिकार पर्ची जारी नहीं की गई। इस प्रकार से वाहनों पर एचएसआरपी को नहीं लगाया जा सका। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र नवीनीकृत किये गये लेकिन जिन पर एचएसआरपी नहीं लगायी गयी की संख्या विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

3.4.5.4 एम्बोसड एचएसआरपी वाहनों पर नहीं लगाना

लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी एचएसआरपी जो कि एम्बोस तो की गई थी लेकिन वाहनों पर नहीं लगाई गई थी से सम्बन्धित सूचना मांगी गयी।

विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना (19 मई 2017) के अनुसार मार्च 2016 के अन्त में

---

6 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चित्तौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, जैसलमेर और करौली।

7 यह विभाग द्वारा एचएसआरपी स्टेशन को वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत करने हेतु जारी पर्ची है।

संविदाकार के पास 35 पंजीयन प्राधिकारी कार्यालयों[8] में 6,005 एम्बोसड एचएसआरपी लगाने हेतु रखी हुई थी। ये एम्बोसड प्लेटें जिस अवधि से सम्बन्धित थी वह अवधि विभाग द्वारा नहीं बताई गई।

इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा दो पंजीयन प्राधिकारी (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय बीकानेर एवं चित्तौड़गढ़) के अभिलेखों की मापक जांच की गई और 2014-16 के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा पंजीकृत 57 वाहनों के एक सैम्पल का चयन किया और पाया कि 46 वाहनों का पंजीयन एचएसआरपी लगाए बिना किया गया था। इस प्रकार, अन्य मामलों में, एचएसआरपी लगाए बिना पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी होने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.6 लेजर कैमरे नहीं लगाया जाना

योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एचएसआरपी की स्कैनिंग के माध्यम से तेज गति/ओवरलोड/चुराये गये वाहनों के फुटेज को पकड़ने के लिए ऑप्टिकल करैक्टर रीडर्स युक्त लेजर डिटेक्टर कैमरे महत्त्वपूर्ण सड़कों और चैाराहों पर लगाए जाने थे। इन उपकरणों को राज्य में कहीं भी स्थापित नहीं किया गया था। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि लेजर कैमरों की स्थापना के लिए कोई रोड़ मैप तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार, वाहनों पर एचएसआरपी को लगाने का प्रयोजन पूरा नहीं हो सका।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.7 नई निविदा प्रक्रिया का विलम्ब से प्रारम्भ

राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड को सभी नये और विद्यमान वाहनों पर एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने हेतु अधिकृत किया गया। यद्यपि 15 मई 2017 को उक्त अनुबन्ध समाप्त हो गया था, विभाग द्वारा नये अनुबन्ध के लिए निविदा 30 मई 2017 अर्थात पिछले अनुबन्ध की समाप्ति के 15 दिवस के पश्चात आमंत्रित की गई थी।

इसी दौरान, पूर्व संविदाकार को 31 अगस्त 2017 को समाप्त अवधि तक दो बार (31 मई 2017 और 14 अगस्त 2017) विस्तार प्रदान किया गया। इसके पश्चात राज्य में एचएसआरपी लगाने हेतु किसी भी नई संविदा का निष्पादन नही किया गया (सितम्बर 2017)। विभाग द्वारा 31 अगस्त 2017 के बाद एचएसआरपी लगाने के लिए की गई व्यवस्था की सूचना नहीं दी गई।

[8] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबू रोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीनमाल, भीलवाड़ा (शाहपुरा), भिवाड़ी, चौमूं, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, दूदू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, केकड़ी, कोटपुतली, फलौदी, प्रतापगढ़, नागौर, नौहर, नौखा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर और सिरोही।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.8 मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 के प्रावधानों और योजना के क्रियान्वयन के लिए हुए अनुबन्ध की अनुपालना नहीं करना

3.4.8.1 एचएसआरपी लगाने में कमियां

मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्तें 4(ix) के अनुसार एचएसआरपी, पंजीयन प्राधिकारी के परिसर के बाहर नहीं लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.2(ए) में प्रावधान है कि संविदाकार एचएसआरपी की उचित और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पंजीयन प्राधिकारी और ऐसे मोटर वाहन डीलर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पंजीयन प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो, के परिसर में या उसके निकट विशिष्ट एम्बोसिंग स्टेशन स्थापित करेगा।

- यह देखा गया कि तीन एम्बोसिंग और एफिक्सेशन स्टेशन[9] पंजीयन प्राधिकारी परिसर से दो से पांच किलोमीटर दूर स्थापित किये थे। यह मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(ix) का उल्लंघन था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी एचएसआरपी पंजीयन प्राधिकारी परिसर के बाहर नहीं लगाई जावेगी।

- नौ प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[10] ने परिवहन आयुक्त को सूचित किया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड ने परिवहन आयुक्त की अनुमति के बिना अपने कार्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया था। इन सभी मामलों में, संविदाकार ने सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को स्थानान्तरण की सूचना नहीं दी। यद्यपि, इन प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने यथाविधि परिवहन आयुक्त को सूचित किया था तथापि कोई कार्यवाही होना दर्शित नहीं हुआ। यह 28 जून 2012 के शासकीय आदेश का उल्लंघन था, जिसमें निर्धारित था कि वाहनों पर एचएसआरपी लगाये जाने का कार्य निर्दिष्ट जगहों पर ही किया जावे।

- पंजीयन प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में एचएसआरपी को लगाने के लिए अधिकृत डीलरों की संख्या समझौते की अनुसूची-1 में बताई गई थी। इस अनुसूची को समय–समय पर संशोधित किया गया था। इस अनुसूची में डीलरों के नाम सम्मिलित नहीं थे जो पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत थे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा बताया गया कि वाहनों के पंजीकरण के लिए पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी डीलर को अधिकृत नहीं किया गया था।

  चित्तौड़गढ़ जिले के एक डीलर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया कि एचएसआरपी मोटर वाहन डीलर द्वारा लगाई जा रही थी। टीम को यह भी बताया गया कि डीलर ने एचएसआरपी स्टेशन से स्नेपलॉक के साथ आवश्यक उपकरण प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि एम्बोसड एचएसआरपी बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा और रावतभाटा स्थित उनके शाखा कार्यालय पर भी लगाने के लिए भेजी जा रही थी। संयुक्त

---

[9] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, दूदू और करौली।

[10] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः भरतपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, दौसा, हनुमानगढ़, करौली और सवाईमाधोपुर।

निरीक्षण दल द्वारा देखा गया कि स्नेपलॉक के स्थान पर नट-बोल्ट और पुरानी प्लेट पर भी एचएसआरपी लगाई जा रही थी। इस प्रकार, एचएसआरपी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

संविदाकार ने संयुक्त निरीक्षण दल को बताया कि एचएसआरपी स्टेशन से एम्बोसड एचएसआरपी, डीलर को लगाने के लिए कभी-कभी भेजी जाती थी लेकिन लगाने का कार्य उनके द्वारा ही किया जा रहा था।

इस प्रकार तथ्य बताते हैं कि एचएसआरपी निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर लगाई जा रही थी।

3.4.8.2 एचएसआरपी लगाने के कार्य की निगरानी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा एचएसआरपी लगाने के कार्य की निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप एचएसआरपी लगाने में बहुत सारी कमियां हुई थी। इनमें से कुछ नीचे बताई गई हैं:

- **तीसरी पंजीयन प्लेट स्टीकर्स का नहीं लगाया जाना:** मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(vii) के प्रावधानानुसार एक सेल्फ डेसट्रेक्टिव क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टीकर वाहन की विंड शील्ड के बांये हाथ के कार्नर के अन्दरूनी हिस्से पर लगाया जायेगा। स्टीकर पर विवरण में (i) पंजीयन अधिकारी का नाम (ii) वाहन की पंजीयन संख्या (iii) लेजर ब्रॉन्डेड स्थायी पहचान संख्या (iv) इंजन नम्बर और (v) चैसिस नम्बर सम्मिलित होगा। तथापि सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने सूचित किया कि चयनित सभी कार्यालयों में तीसरी पंजीयन प्लेट नहीं लगाई गई।

- **एचएसआरपी प्रतिस्थापन में विसंगतियां:** मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(xiii) में उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता या विक्रेता द्वारा जारी पंजीयन प्लेटों का उचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा जायेगा। इनका मिलान समय-समय पर परिवहन कार्यालय के अभिलेखों के साथ किया जाना था। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज का क्लॉज 2.5.3 प्रावधान करता है कि वाहन स्वामी से, विभाग द्वारा अनुमोदित मदवार दर के अनुसार लागत वसूल होने पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही प्रतिस्थापन किया जावेगा।

  विभागीय अधिकारियों के साथ चयनित छः कार्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा बताया गया कि एचएसआरपी प्रतिस्थापन के लिए वे प्राधिकार पर्ची जारी नहीं कर रहे थे। दल ने पाया कि एक प्रकरण में संविदाकार द्वारा स्वयं ही एचएसआरपी का प्रतिस्थापन किया गया था। संयुक्त निरीक्षण टीम को यह भी सूचित किया गया कि विभाग द्वारा प्राधिकार पर्ची जारी किये बिना एचएसआरपी का प्रतिस्थापन किया गया था। संविदाकार ने प्रतिस्थापन के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया था, इसलिए विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर (वाहन) में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये जा सके। यह एचएसआरपी योजना के वास्तविक उद्देश्य को विफल करेगा क्योंकि वाहनों को सिस्टम में ढूंढ़ा नहीं जा सकेगा।

- **केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल की स्थापना में विलम्बः** अनुबन्ध की शर्त 6(v) के अनुसार 'एम्बोसिंग स्टेशनों, एफिक्सेशन स्टेशनों और प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के मध्य संयोजन के अतिरिक्त, विभाग को जब भी आवश्यकता हो सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, संविदाकार, विभाग को, एक्सेस कोड के साथ निर्दिष्ट स्थान पर एक अतिरिक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल (पूरे राज्य हेतु एक केन्द्रीकृत) प्रदान करेगा' । अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई 2012 के द्वारा केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल की स्थापना के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय में स्थान आवंटित किया लेकिन 43 महीने के विलम्ब के पश्चात इसकी स्थापना 4 जनवरी 2016 को परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्थान पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर कार्यालय में की गई । इसके परिणामस्वरूप एक लम्बी अवधि तक योजना से सम्बन्धित आंकडों तक विभाग की पहुंच नहीं हुई । विभाग योजना की प्रगति पर निगरानी यथार्थ समय के आधार (रियल टाइम बेसिस) पर नहीं कर सका ।

- **लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करनाः** निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.11.3 के अनुसार संविदाकार की पुस्तकों, परिसरों और कार्य संचालन की जांच के लिए संविदाकार की लागत पर निष्पक्ष लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार विभाग को था । इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के परिचालन नियमावली के अनुसार ऐसा लेखापरीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार संविदाकार की पुस्तकों और लेखों का लेखापरीक्षण करेगा । यह देखा गया कि कोई लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था (29 मई 2017) ।

- **प्रचार-प्रसार कार्यक्रमः** अनुबन्ध की शर्त 17 के प्रावधानानुसार एचएसआरपी लगाने की आवश्यकता और उससे सम्बन्धित कानून की जानकारी सामान्य जनता के ध्यान में लाने के लिए परिवहन प्राधिकारियों से अनुमोदित सूचना, शिक्षा, संचार और प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम संविदाकार द्वारा आयोजित किये जाने थे । परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभाग से न तो कोई स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही स्थानीय समाचार-पत्र, स्थानीय समाचार चैनल, आदि के माध्यम से कोई प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसके परिणामस्वरूप योजना की प्रक्रिया, अनुमोदित दरों और अन्य विवरणों के बारे में जनता में जागरूकता का अभाव रहा ।

- **वाहनों का सत्यापन नही करनाः** परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए एचएसआरपी के ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उपनिरीक्षक को यह सुनिश्चित करना था कि एक विशिष्ट एचएसआरपी को उसी वाहन पर लगाया गया हो जिसके लिए बनाई गई । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा वाहन का भौतिक सत्यापन किया जाना था । तथापि, जांच किये गए छः प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[11] ने सूचित किया कि वाहनों का जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा ऐसा सत्यापन नहीं किया गया ।

- **प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जानाः** निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.11.2 के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में

---

[11] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चितौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, दूदू, करौली और जैसलमेर ।

संविदाकार के एम्बोसिंग स्टेशन और अन्य ढांचागत व्यवस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार रखता है।

छः चयनित कार्यालयों के प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने सूचित किया कि 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान एचएसआरपी स्टेशनों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय पूर्व अनुच्छेदों में वर्णित विसंगतियों यथा पुरानी प्लेटस पर एचएसआरपी लगाना, स्नेपलॉक के स्थान पर नट-बोल्ट लगाना, बिना प्राधिकार के पुरानी प्लेटों के प्रतिस्थापन से अनजान रहे।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.9 जन शिकायत निवारण प्रणाली में कमी

अनुबन्ध की शर्त संख्या 9 के प्रावधानानुसार पंजीयन प्लेटों की स्थापना और एफिक्सेशन के अनुबन्ध में दिन प्रतिदिन के आधार पर बड़े पैमाने पर जनता सम्मिलित है, जनता के हित के लिए सर्वोतम सेवायें प्रदान करने तथा प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में, जन शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत रहेगी तथा उसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों परिवहन आयुक्त एवं संविदाकार द्वारा जहाँ तक सम्भव हो आवधिक आधार पर प्रबन्धित की जावेगी। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज का क्लॉज 4.15 प्रावधान करता है कि यदि संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की किसी या सभी शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य सरकार को अधिकार होगा की वो अनुबन्ध को समाप्त कर दे।

इस प्रकार, अनुबन्ध के अनुसार शिकायतों को आवधिक आधार पर दूर करना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में जन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जानी थी। यह देखा गया कि शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कोई जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विकसित नहीं किया गया। यहां तक कि किसी भी चयनित कार्यालय में शिकायत पंजिका संधारित नहीं की गई थी। इसलिए, वाहन स्वामियों को शिकायत दर्ज करने हेतु पर्याप्त एवं उचित मंच प्रदान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, विभाग के सभी स्तरों पर शिकायतों की निगरानी नहीं की गई। हमने पाया कि प्राप्त की गई शिकायतों को बण्डलों के रूप में बांधा गया था। बण्डलों की कुल संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा शिकायतों के मात्र दो बण्डल लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये। शिकायतें विभिन्न मुद्दों पर संविदाकार के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों/एजेन्सियों[12] को दर्ज कराई गई थी। इनमें से कुछ पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.4.9.1 दरों से अधिक की वसूली

अनुबन्ध की शर्त 20 यह निर्धारित करती है कि वाहन स्वामियों/ग्राहकों से संविदाकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि किसी भी दशा में अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होंगी और दरें वस्तुओं, सेवाओं, करों (सभी), किसी भी अन्य खर्चो की लागत सहित एकमुश्त होगी और

[12] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री के साथ ही अन्य जिलों के कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भष्टाचार निरोधक ब्यूरों और ऑनलाईन पोर्टल-मोर्थ (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), ऑनलाईन-प्रधानमंत्री कार्यालय लोक शिकायत, ऑनलाईन सम्पर्क पोर्टल, आदि।

इसके अतिरिक्त कुछ भी वसूल नहीं किया जायेगा। तथापि, दरों को प्रसारित नहीं किया गया और सामान्य जनता को सही दरों के बारे में जानकारी नहीं थी।

- यह देखा गया कि 29 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[13] में अधिक दरों की वसूली सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजा गया था। शिकायतों की संवीक्षा से पता चला कि संविदाकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक की वसूली की जा रही थी। जैसा कि नीचे बताया गया है:

विवरण	निर्धारित दरें (₹)	वसूल की गई दर (₹) (रेन्ज)
दो पहिया वाहनों के लिए स्नेपलॉक और फिक्सिंग सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट	75	100 से 350
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग तीन पहिया वाहनों के लिए (यात्री और माल और निःशक्त वाहन)	96	250 से 350
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग हल्के मोटर वाहन/यात्री कार (ट्रैक्टर को छोड़कर) के लिए	220	300 से 1,320
पंजीयन प्लेट का पूरा सैट पूर्ण स्नेपलॉक के साथ/तीसरी पंजीयन प्लेट ट्रैक्टर के लिए	90	100 से 400
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट, तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग मध्यम वाणिज्यिक वाहनों/भारी वाणिज्यिक वाहनों/ ट्रैलर संयोजन पर लगाने हेतु	232	300 से 800

स्रोतः वसूल की गई दरें प्राप्त की गई शिकायतों से ली गई हैं, जबकि निर्धारित दरें अनुबन्ध में वर्णित हैं।

इन शिकायतों को सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा भी सत्यापित किया गया था। तथापि, आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। कुछ उदाहरणों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

कार्यालय का नाम	शिकायत की प्रकृति	प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, अजमेर	संविदाकार ने हल्के मोटर वाहन (आरजे 01 यूए 7665) से ₹ 220 के स्थान पर ₹ 1,220 वसूल किये थे और वाहन स्वामी को ₹ 1,220 की रसीद दी।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अजमेर के परिवहन निरीक्षक द्वारा शिकायत का अनुसंधान किया गया और उसने बताया कि संविदाकार ने ₹ 1,220 वसूल किये थे। जो कि निर्धारित राशि से ₹ 1,000 अधिक थे। शिकायत को परिवहन आयुक्त को भेज दिया गया।
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, भीलवाड़ा	हल्के मोटर वाहन (आरजे 06 सीसी 4417) से ₹ 220 के स्थान पर ₹ 920 वसूल किये और वाहन स्वामी को ₹ 920 की रसीद दी गई थी।	शिकायत को परिवहन आयुक्त को प्रेषित कर दिया गया।

[13] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा और सीकर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बालोतरा, बाड़मेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, धौलपुर, हनुमानगढ़, जगतपुरा, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, नागौर, नोहर, रामगंजमण्डी, श्री गंगानगर, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़ और टोंक।

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय टोंक में स्थापित एम्बोसिंग स्टेशन के विरूद्ध अधिक राशि वसूलने, सबलेटिंग, अनावश्यक देरी आदि के लिए मामला (एफआईआर नम्बर 1/2015) दायर किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तथ्यो की पुष्टी की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने शासन सचिव सह-आयुक्त परिवहन विभाग को सूचित किया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड एचएसआरपी लगाने के लिए अधिक वसूली कर रहा है और कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिये प्रस्तावित किया। तथापि, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- लेखापरीक्षा और विभागीय अधिकारियों ने जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय जैसलमेर के दो पहिया डीलर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि संविदाकार द्वारा एचएसआरपी की आपूर्ति जोधपुर स्टेशन से की गई और इस श्रेणी की 499 प्लेटों की आपूर्ति के लिए ₹ 37,425 (₹ 75 प्रति प्लेट) के स्थान पर ₹ 92,315 (₹ 185 प्रति प्लेट) वसूल किये। इसके अतिरिक्त स्थानीय एम्बोसिग स्टेशन से 100 प्लेट की आपूर्ति ₹ 225 प्रति प्लेट की दर से की। इस प्रकार संविदाकार वाहन पंजीयन के लिए उत्तरदायी डीलर से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल कर रहा था।

3.4.9.2 दर सूची की अनुपस्थिति

अनुबन्ध की शर्त 19 के अनुसार संविदाकार सभी एफिक्सेशन स्टेशनों पर एचएसआरपी और प्रतिस्थापन वस्तुओं की अनुमोदित दरों को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जो कि जनता को दिखाई दे और अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित दरों से ही सही-सही वसूली करेगा। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एचएसआरपी दरों को बीकानेर एवं करौली में एचएसआरपी स्टेशनों पर प्रदर्शित नही किया गया था। इसी प्रकार, चयनित कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में डीलरों के परिसर में स्थित चयनित सभी आठ एफिक्सेशन स्टेशनों[14] में यह प्रदर्शित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 13 एम्बोसिंग स्टेशनों[15] पर दर सूची को प्रदर्शित नहीं करने की शिकायतों को सत्यापन पश्चात सही पाने पर सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा परिवहन आयुक्त को प्रेषित किया गया था। दर सूची की अनुपस्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी वाहन स्वामियों को नहीं थी।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.10 एचएसआरपी लगाने में विलंब

निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.3 के अनुसार एचएसआरपी लगाने की समय सीमा पंजीयन प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने से दो कार्य दिवस है। इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध की शर्त संख्या 21(iii) बिना अनुमति के 48 घण्टे से अधिक कार्य के निलम्बित रहने पर विभाग

[14] मै. विनोद ऐजेन्सी भीलवाड़ा, मै. आकाशदीप ऐजेन्सी भीलवाड़ा, मै. जगदम्बा मोटर्स हिण्डोन सिटी करौली, मै. श्रीराम मोटर्स ऐजेन्सी जैसलमेर, मै. गणेश मोटर्स दूदू, मै. भारत ट्रैक्टर्स बीकानेर, मै. राजाराम धर्निया बीकानेर और मै. ऑडि मोटर्स बीकानेर।

[15] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, बीकानेर और सीकर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भिवाड़ी, बारां, बाड़मेर, करौली, जालौर, जैसलमेर, रामगंजमण्डी, श्री गंगानगर, सवाईमाधोपुर और सुजानगढ़।

को अनुबन्ध को समाप्त करने और नई एजेन्सी को नियुक्त करने की शक्ति देती है।

- शिकायत पत्रावलियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[16] के क्षेत्राधिकार में स्थापित एम्बोसिंग स्टेशन तीन से 30 दिनों तक बन्द रहे थे। सम्बन्धित परिवहन अधिकारियों ने स्टेशनों के निरीक्षण के बाद परिवहन आयुक्त को तथ्यों की जानकारी दी सभी पांच मामलों में कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

- यह देखा गया कि चार कार्यालयों[17] के क्षेत्राधिकार में स्थापित चार एचएसआरपी स्टेशनों पर एचएसआरपी को लगाने में विलम्ब से सम्बन्धित शिकायतों का अनुसंधान किया गया। तथ्यों को सही पाया गया और विलम्ब की अवधि 10 दिन से तीन माह थी। सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने इस तथ्य को परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदित किया लेकिन संविदाकार के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.11 एचएसआरपी स्टेशनों की अनियमित सबलेटिंग

शिकायतों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 52 एचएसआरपी स्टेशनों[18] में से 12 एचएसआरपी स्टेशनों[19] की सबलेटिंग की विभिन्न प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों को शिकायतें प्राप्त हुई थी। सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा तथ्यों का अनुसंधान किया गया और शिकायतों को परिवहन आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रथम शिकायत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर द्वारा 6 दिसम्बर 2013 को अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सबलेटिंग के तथ्य का अनुसंधान किया गया (टोंक में दर्ज एफआईआर नम्बर 1/2015) और तथ्यों की पुष्टि के पश्चात, फर्म को ब्लैक लिस्ट करने एवं लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंषा की गई। कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

---

[16] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः हनुमागढ़, जैसलमेर, करौली, नोहर और सिरोही।

[17] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर (10 से 20 दिन) और जोधपुर (तीन महीने); जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर (22 दिन) और दौसा (22 दिन)।

[18] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबूरोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, डीड़वाना, धोलपुर, दूदू, डुंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमागढ़, जयपुर–झालाना, जयपुर–जगतपुरा, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, केकड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमन्द, रामगंजमण्डी, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा (जयपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा), सिरोही और सुजानगढ़।

[19] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और जोधपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः ब्यावर, भीलवाड़ा, दौसा, धोलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, कोटपुतली, श्रीगंगानगर और टोंक।

3.4.12 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग ने राज्य में एचएसआरपी योजना को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया क्योंकि 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नही लगाई गई थी । तीसरी पंजीयन प्लेट स्टीकर भी नहीं लगाए गए थे । इसके परिणामस्वरूप राज्य में इस योजना को सीमित सफलता मिली । एचएसआरपी की स्कैनिंग के माध्यम से तेज गति/ओवरलोड/चुराये गए वाहनों के फुटेज को पकड़ने के लिए ऑप्टीकल करैक्टर रीडर्स युक्त लेजर डिटेक्टर कैमरे महत्वपूर्ण सड़कों और चोराहों पर स्थापित नहीं किये गए । इसके परिणामस्वरूप वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का उद्देश्य विफल हो गया । शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप विभाग के सभी स्तरों पर शिकायतों की निगरानी नहीं की गई । प्रचार कार्यक्रमों की कमी और दर सूची को प्रदर्शित नहीं करने के परिणामस्वरूप योजना की प्रक्रिया, स्वीकृत दरों और अन्य विवरणों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने का अभाव रहा । एचएसआरपी के प्रतिस्थापन के मामलों में विभाग और संविदाकार के मध्य समन्वय का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप विभाग के सिस्टम तथा संविदाकार के सिस्टम के डेटा का मिलान नहीं हुआ । केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मिनल बहुत विलम्ब के बाद स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लम्बी अवधि तक एचएसआरपी सम्बन्धी आंकडों तक विभाग की पहुंच नही हुई और विभाग द्वारा योजना की प्रगति की यथार्थ समय पर निगरानी नहीं की जा सकी ।

यह अनुशंषा की जाती है कि सरकार सभी वाहनों पर एचएसआरपी को लगाने और आदेश, अनुबंध और निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें । सरकार एचएसआरपी योजना और उसके उददेश्यों के बारे में प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लाभों और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, दरों और अन्य विवरणों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर भी विचार कर सकती है । राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण हेतु एक विशिष्ट पोर्टल स्थापित करना, विभाग और संविदाकार के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना ताकि दोनों के डेटा को बेमेल होने से रोका जा सके, समस्त एफिक्सेशन स्टेशनों पर दर सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाना और लेजर डिटेक्टर कैमरों को स्थापित करना चाहिए ।

3.5 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[20] के अनुसार निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान वाहन स्वामी के विकल्प के अनुसार सम्पूर्ण एक साथ अथवा तीन समान किश्तों में 13 जुलाई 2014 तक और 14 जुलाई 2014 से छः समान किश्तों में एक वर्ष में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 9 मार्च 2015 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2007 को या उसके पश्चात राज्य में पंजीकृत अथवा जोड़े गये परिवहन वाहनों को अनिवार्य रूप से एकमुश्त कर का भुगतान 1 अप्रैल 2015 से करना होगा एवं 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर 10 प्रतिशत अधिभार भी देय है।

23 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[21], के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (अक्टूबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) कि 4,289 वाहनों के सम्बन्ध में 378 वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प दिया था। इन वाहन स्वामियों ने प्रथम अथवा द्वितीय किश्त का भुगतान करने के पश्चात शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि शेष 3,911 वाहन स्वामियों द्वारा कर के भुगतान में चूक की थी। वाहन सॉफ्टवेयर या कर खातों या पंजीयन अभिलेखों में कहीं भी यह प्रविष्टि नहीं पायी गयी जिससे प्रकट हो कि वाहन स्वामियों में से किसी ने किश्तों में भुगतान किये जाने हेतु कोई विकल्प का प्रयोग किया हो या वाहन अन्य राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये हो। तथापि, कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 18.08 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2016 और जून 2017 के मध्य) विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि 314 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 1.45 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.6 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गये हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन वाहनों को छोड़कर जिन्होने धारा 4-सी के अन्तर्गत एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना हो। इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय है।

[20] अधिसूचनाः 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-ए दिनांक 9 मार्च 2007 और 22-सी दिनांक 14 जुलाई 2014।

[21] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीनमाल, चूरू, दूदू (जयपुर), डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटपूतली, नागौर, राजसमन्द, श्री गंगानगर और टोंक।

नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों[22] एवं 14 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[23] के 2013-14 से 2015-16 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) की 4,945 वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिये कर का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं पाया कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे। तथापि कराधान अधिकारियों ने राज्य सरकार को देय बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 16.13 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहाँ अनियमिततायें पायी गयी
1	भार वाहन	1,290	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	2.56	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, करौली, कोटपुतली एवं टोंक।
2	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की की बैठक क्षमता वाले)	1,675	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	1.99	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: चित्तौड़गढ़, दौसा एवं पाली। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर कोटपुतली, नागौर एवं टोंक।
3	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	100	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	2.38	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: जोधपुर, पाली, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, झुन्झुनू एवं श्री गंगानगर।
4	मंजिली वाहन	482	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	3.66	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: जोधपुर, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, चूरू, दूदू, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनू, करौली, नागौर एवं श्री गंगानगर।
5	संलग्नक भार वाहन	576	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	1.81	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, बीकानेर, चितौड़गढ़, जोधपुर एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, केकड़ी एवं कोटपुतली।
6	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	58	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	1.00	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: जोधपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनू, एवं कोटपुतली।
7	डम्पर/टिप्पर	764	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	2.73	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, अलवर, बीकानेर, चितौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बाड़मेर, झालावाड़, झुन्झुनू, कोटपुतली, नागौर एवं टोंक।
	योग	**4,945**		**16.13**	

[22] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर।

[23] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: बांसवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, दूदू, डूंगरपुर, जयपुर (मंजिली वाहन), झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, केकड़ी, कोटपुतली, नागौर, श्री गंगानगर एवं टोंक।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2016 और जून 2017 के मध्य); विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि 541 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 1.30 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और 286 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.83 करोड़ एकमुश्त कर आदि जमा कराये जाने के कारण वसूलनीय नहीं है। वाहन सॉफ्टवेयर या संधारित पंजिकाओं में बकाया से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताये गये। शेष प्रकरणों में वसूली की प्रगति की रिपोर्ट प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2017)।

3.7 बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति/अधिभार की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि समस्त करों का अग्रिम भुगतान किया जावेगा। बेड़ा स्वामी के मामले में विशेष पथकर का भुगतान प्रत्येक महीने की 14 तारीख या इससे पहले किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में वाहन का देय कर भुगतान नहीं किया गया तो बकायादार को देय कर के अतिरिक्त, विलम्ब से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत शास्ति प्रति माह या उसके भाग के लिये भुगतान करना होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान देखा गया (जनवरी 2017) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के लिये देय कर एवं अधिभार राशि ₹ 47.63 करोड़ दो से तीन माह के विलम्ब से जमा/समायोजित करवाये। अतः कर एवं अधिभार के विलम्ब से भुगतान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शास्ति देय थी। तथापि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शास्ति राशि ₹ 1.59 करोड़ जमा नहीं करवाये गये। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कोई इन्द्राज नहीं पाया गया जिससे यह प्रकट हो कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण एवं वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया हो।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2017 और जून 2017 के मध्य); विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से वसूली हेतु प्रयास शुरू किये जा रहे हैं।

अध्याय-IV : भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भूमि का आवंटन एवं भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, संपरिवर्तन प्रभार तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियां शामिल होती है।

राजस्व विभाग, सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है। राजस्व से सम्बन्धित सभी न्यायिक मामलों के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण ओर निगरानी का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल, अजमेर में निहित है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलक्टर, उपखण्ड स्तर पर 289 उपखण्ड अधिकारी और तहसील स्तर पर 314 तहसीलदार हैं।

4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते है। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18 दल थे। अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2012-13	70	672	742	670	72	10
2013-14	72	672	744	586	158	21
2014-15	158	672	830	551	279	34
2015-16	279	809	1,088	883	205	19
2016-17	205	815	1,020	772	248	24

स्रोतः राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

विभाग ने अवगत कराया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा की बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिये स्टाफ को पदस्थापित करने तथा पदों की कमी के कारण इकाइयां बकाया रही।

यह देखा गया की वर्ष 2016-17 के अंत में 20,937 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेद	9,239	1,350	1,377	1,243	3,289	4,439	20,937

स्रोतः राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

बकाया 20,937 अनुच्छेदों में से 9,239 अनुच्छेद गत पांच वर्षों से अधिक अवधि से अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में बकाया थे । निपटान की धीमी गति का कारण विभिन्न संवर्गों में पदों की कमी होना बताया गया ।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा बताई गई आपत्तियों की शीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये ।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 33 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में 5,873 प्रकरणों में राशि ₹ 261.30 करोड़ की प्रीमियम, लीज किराया, रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली एवं कम वसूली, भू-प्रत्यावर्तन का अभाव एवं अन्य अनियमितताएं पाई गई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिर्वतन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	176.21
2	राज्य सरकार के विभागों से प्रीमियम और लीज किराये की अवसूली/कम वसूली	49	28.53
3	खातेदारों[1] से संपरिर्वतन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	346	5.58
4	सरकार को भूमि के प्रत्यार्वतन का अभाव	14	16.47
5	अन्य अनियमितताएं: (i) राजस्व से सम्बन्धित (ii) व्यय से सम्बन्धित	 5,151 312	 0.02 34.49
योग		**5,873**	**261.30**

वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग ने 6,091 प्रकरणों में ₹ 77.24 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 22.94 करोड़ के 5,253 प्रकरण वर्ष 2016-17 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे । विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 452 प्रकरणों में ₹ 10.16 करोड़ वसूल किए जिसमें 27 प्रकरणों में राशि ₹ 0.06 करोड़ वर्ष 2016-17 से तथा शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी करने के पश्चात् विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि ₹ 23.02 लाख स्वीकार तथा वसूल की गयी । इस अनुच्छेद का वर्णन प्रतिवेदन में नहीं किया गया है ।

'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिर्वतन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल राजस्व राशि ₹ 176.21 करोड़ का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है ।

[1] खातेदार राजकीय भूमि पर किरायेदार होते है जिन्हे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दी जाती है ।

4.4 'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-आवंटन एवं संपरिवर्तन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

4.4.1 परिचय

भूमि एक दुर्लभ एवं सीमित संसाधन होने के कारण, इसका प्रभावकारी एवं कुशल उपयोग किसी भी समाज को आर्थिक विकास की ओर अग्रेषित करता है। भूमि को धन के स्रोत के रूप में समझना एक प्रभावशाली लोक प्रशासन की अन्तरात्मा में निहित होता है । अतः भू-राजस्व नीतियों को इस उद्धेश्य की ओर निर्देशित किये जाने की आवश्यकता है। भू-राजस्व विभाग इस क्षेत्र के लिये नीति बनाने के लिये उत्तरदायी है। भूमि का आवंटन एवं भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः लीज किराया, प्रीमियम, संपरिवर्तन प्रभार तथा राजकीय भूमि के विक्रय से प्राप्तियां शामिल है।

राजकीय भूमि का आवंटनः भू-राजस्व अधिनियम की धारा 102 के अनुसार, राज्य सरकार को गैर-कृषि प्रयोजन तथा विशेष शर्तों पर व्यक्तियों, समितियों, ट्रस्टों, संस्थानों, फर्मों, उद्योगों, कंपनियां, निगमों एवं सरकारी विभागों आदि को भूमि आवंटित करने का अधिकार होगा। इन अधिकारों का प्रयोग इस उद्देश्य हेतु निर्मित नियमों के अन्तर्गत या आदेश जारी करके किया जाता है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत, कलक्टर किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूमि को आरक्षित कर सकता है। इस तरह आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

भूमि का संपरिवर्तनः कोई भी व्यक्ति जो कृषि भूमि का गैर-कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग करने का इच्छुक है, आवश्यक अनुमति लेने हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से प्राधिकृत प्राधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा। भू-उपयोग परिवर्तन के लिये संपरिवर्तन प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण के लिये जिला स्तर पर कलक्टर, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार जिम्मेदार होता है।

4.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर विभाग की प्रशासनिक शक्ति राजस्व विभाग में निहित है। राजस्व विभाग का प्रमुख, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व होता है। राजस्व मण्डल राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक मामलों का नियमन करता है तथा राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है। अध्यक्ष राजस्व मण्डल का प्रमुख होता है तथा इसमें 20 सदस्य होते हैं। राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण के सभी मामलों में राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलक्टर, उप-खण्ड स्तर पर 289 उप-खण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर 314 तहसीलदार होते हैं। जिला स्तर पर कलक्टर आवंटन आदेशों को जारी करने, भूमि की कीमत का निर्धारण एवं संग्रहण, लीज किराया का निर्धारण/संशोधन तथा बकाया की वसूली के लिये उत्तरदायी है।

4.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित की जांच करने हेतु की गयीः

- क्या सरकारी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी थी तथा आवंटन अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जा रहा था;
- क्या भूमि की कीमत, प्रीमियम, लीज किराया आदि का निर्धारण एवं संग्रहण स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी भूमि के विक्रय से प्राप्त राज्यांश की वसूली एवं संपरिवर्तन प्रभारों को अधिनियम/नियमों एवं समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्णित किया गया; तथा
- क्या आवंटन, भूमि के उपयोग तथा सरकार को देय राजस्व की वसूली की निगरानी हेतु उपयुक्त निरीक्षण एवं नियन्त्रण तंत्र अस्तित्व में था।

4.4.4 लेखापरीक्षा की प्रणाली एवं कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विभाग द्वारा किये गये भूमि आवंटन तथा संपरिवर्तन तथा बकायों की वसूली के कार्य को सम्मिलित किया गया है। कुल 33 जिलों में से 8 जिला कलक्टर कार्यालयों[2] का नमूना जांच[3] हेतु चयन किया गया। जिलों का चयन रेन्डम स्टेटीस्टिकल सैम्पलिंग से किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं राजस्व मण्डल के कार्यालयों के सुसंगत दस्तावेंजों की भी जांच की गयी। लेखापरीक्षा अक्टूम्बर 2016 से मई 2017 के दौरान की गयी।

शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन स्थित भूमि का निपटान करने हेतु अधिकृत किया गया है। विक्रय से प्राप्त राशि के एक भाग (विक्रय से प्राप्त राशि का एक निश्चित प्रतिशत) को सरकार के खाते में राज्यांश के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 11 शहरी स्थानीय निकायों[4] द्वारा बेची गयी सरकारी भूमि के राज्यांश के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित दस्तावेजों की भी जांच की गयी।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल 1,148 स्वीकृतियां सरकारी भूमि के आवंटन हेतु जारी की गयी थी। उनमें से 411 स्वीकृतियां लेखापरीक्षा द्वारा चयनित आठ जिलों से सम्बन्धित थी। लेखापरीक्षा के दौरान इन सभी स्वीकृतियों की जांच की गई।

---

[2] अजमेर, बाडमेर, बून्दी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली एवं सिरोही।

[3] इकाइयों का चयन रेन्डम स्टेटीस्टिकल सैम्पलिंग के आधार पर किया गया।

[4] अजमेर विकास प्राधिकरण; जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर परिषदः बाडमेर, बून्दी, जैसलमेर, पाली, सिरोही, नगर निगमः अजमेर, जयपुर एंव जोधपुर।

4.4.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा जांच परिणाम निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों इत्यादि के प्रावधान के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड़ों पर आधारित है:

- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों;
- राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959;
- राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित ऊर्जा संयत्र की संस्थापना हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 2007;
- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007; एवं
- सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनायें/परिपत्र/आदेश।

4.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने में राजस्व विभाग के सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा के उद्धेश्यों एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करनें के लिये एक प्रारम्भिक परिचर्चा का आयोजन दिनांक 10 मार्च 2017 को किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के जांच परिणामों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु एक समापन परिचर्चा का आयोजन दिनांक 6 अक्टूबर 2017 को अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के साथ किया गया। समापन परिचर्चा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है।

4.4.7 भूमि का आवंटन

4.4.7.1 भूमि के आवंटन में कमियां

व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी भूमि के आवंटन के लिये एक पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है। इससे आवंटित भूमि का वर्णित उद्धेश्य हेतु समय से उपयोग सुनिश्चित होगा। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान आवंटन से सम्बन्धित ध्यान में आयी कमियों का निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है:

- **भूमि आवंटन के लिये नीति का अभाव:** लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि आवंटन के लिये सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनायी गयी थी। विभाग ने सरकारी भूमि आवंटन के लिये कौन आवेदन कर सकता है इस सम्बन्ध में पात्रता निर्धारण के लिये न तो कोई दिशा-निर्देश जारी किये और ना ही प्राप्त आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी पद्धति का निर्धारण किया। भूमि आवंटन के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया था। यह ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भूमि के आवंटन के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया सिवाय पर्यटन इकाइयों के प्रकरणों में जिनमें भूमि का आवंटन समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, भूमि के आवंटन में अपनायी गई प्रक्रिया एक समान नहीं थी। आवंटन के लिये एक निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि विभाग की कार्य प्रणाली पारदर्शी तथा भूमि की आवंटन प्रक्रिया में एकरूपता रहे।

- **विभागीय नियमावली का अभाव:** विभाग के कार्य को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिये विभाग ने नियमावली नहीं बनायी थी । नियमावली नहीं होने के परिणामस्वरूप भूमि आवंटन में निगरानी की कमी तथा भूमि आवंटन के प्रत्येक स्तर पर निहित उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की कमी रही । यह ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि भूमि के आवंटन के लिये कोई नियमावली तैयार नहीं की गयी थी तथा ना ही कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी । इसके अतिरिक्त सरकार ने बताया कि एक 27 बिन्दुओं की जांच-सूची भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विवरण के सत्यापन करने के लिये तैयार की गयी है । फिर भी तथ्य यह है कि तैयार की गयी जांच-सूची नियमावली का स्थान नहीं ले सकती है । नियमावली का निर्माण कर निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जो भूमि आवंटन के लिये एक मार्गदर्शक का कार्य करें ।
- **सरकार के स्तर पर अभिलेखों का रख-रखाव:** सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्वीकृतियों के पूर्ण विवरण को इन्द्राज करने के लिये कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी । न तो इन स्वीकृतियों को इन्द्राज करने से सम्बन्धित कोई रजिस्टर और ना ही उनसे सम्बन्धित पत्रावलियों का संधारण सचिवालय स्तर पर किया गया । एक पत्रावली जिसको 'गार्ड फाईल' कहा गया, का संधारण किया गया उसमें सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों को रखा गया । गार्ड फाइल/फाईलों में पृष्ठ संख्या का अंकन नहीं किया गया तथा स्वीकृति आदेशों को भी क्रमवार नहीं रखा गया । इसके अभाव में लेखापरीक्षा इस बात को सुनिश्चित नही कर सकी कि गार्ड फाईल में भूमि के आवंटन के लिये जारी सभी स्वीकृतियों को रखा गया था । भूमि के आवंटन के लिये प्राप्त प्रस्तावों को सरकार द्वारा अस्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया ।
- **जिला स्तर पर अभिलेखों के संधारण का अभाव:** प्राप्त आवेदन पत्रों की निगरानी, उनका निपटान, प्राप्त स्वीकृतियां तथा जिला कलेक्टरों द्वारा किये गये आवंटनों की निगरानी के लिए रजिस्टर के संधारण के लिये कोई प्रावधान विभाग द्वारा ना तो नियमों में किया गया है और ना ही इस हेतु कोई आदेश जारी किया गया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि जयपुर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में रजिस्टर का संधारण किया गया, लेकिन वह अधूरे थे जैसे कि आवेदन प्राप्ति की दिनांक का उल्लेख नहीं था । जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में क्रमशः वर्ष 2012 एवं 2014 से रजिस्टरों का संधारण किया जा रहा था अतः इन वर्षों से पूर्व प्राप्त आवेदनों के निपटान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका । इन जिलों में पवन/सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भूमि आवंटन से सम्बन्धित आवेदनों का रजिस्टर में इन्द्राज नही किया जा रहा था । इसके अलावा जोधपुर में कीमतन[5] भूमि आवंटन के लिये प्राप्त आवेदनों का इन्द्राज नही किया जा रहा था । यह भी पाया गया कि संधारित रजिस्टर/सूचना को आवधिक रूप से जिला कलक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया । अजमेर एवं बून्दी में ऐसा रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा था ।

  इसके परिणामस्वरूप आवंटन हेतु आवेदनों की प्राप्ति तथा उनके निपटान की निगरानी का अभाव रहा । सरकार आवेदनों की प्राप्ति एवं उनके समय पर निपटान पर निगरानी के लिये रजिस्टर संधारित करने हेतु प्रावधान करने पर विचार कर सकती है ।

[5] कीमतन आवंटनः विभाग द्वारा उपयोगित शब्दावली जिसके अनुसार भूमि की कीमत जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों से वसूलनीय है ।

समापन परिचर्चा के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा की भूमि आवंटन के लिये नीति निर्धारित करने के तर्क को स्वीकार करते हुये कहा कि भूमि के आवंटन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये तथा सभी जिला कलेक्टरों द्वारा समान प्रक्रिया को अपनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी। अभिलेखों के संधारण के सम्बन्ध में सरकार ने बताया कि रजिस्टरों का संधारण किया जायेगा।

4.4.7.2 भूमि आवंटन के आवेदन पत्रों की स्थिति

चयनित जिलों से सम्बन्धित जिला कलेक्टरों के द्वारा सरकारी भूमि के आवंटन के लिये आवेदनों[6] की वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की उपलब्ध करवायी गयी स्थिति के विश्लेषण का वर्णन निम्न तालिका में किया गया है:

क्र.सं.	जिला कलक्टर	2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	बकाया आवेदनों की संख्या (31 मार्च 2016 की स्थिति)	आवेदनों के बकाया रहने के कारण
1	जयपुर	620	121	उपलब्ध सूचनानुसार वर्ष 2011-2016 तक प्राप्त 620 आवेदनों में से 83 आवेदन बकाया थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005 से 2010 तक के 38 आवेदन बकाया थे। इस प्रकार कुल 121 आवेदन पत्र बकाया थे। विभाग ने बताया कि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये बकाया थे।
2	जैसलमेर	127	118	उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष 2011-2016 तक प्राप्त 127 आवेदनों में से 39 आवेदन बकाया थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003 से 2010 तक के 79 आवेदन पत्र बकाया थे। विभाग ने बताया कि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों/ तहसीलदारों द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत नहीं करने के कारण ये बकाया थे।
3	जोधपुर	439	15	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत नहीं करने के कारण बकाया थे।

स्त्रोतः जिला कलेक्टरों द्वारा उपलब्ध सूचनानुसार।

भू-राजस्व अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों में भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिये समय सीमा हेतु प्रावधान नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त तीनों जिलों में निपटान हेतु 254 आवेदन लंबित थे। अन्य जिलों में अभिलेख संधारण के अभाव में यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि कितने आवेदन निपटान के लिये लम्बित थे। आवंटन की प्रक्रिया पर नियंत्रण का अभाव आवंटन प्राधिकारियों को मनमानी कार्यवाही करने के लिये संभावना उपलब्ध कराता है। आवंटन प्रकरणों के शीघ्र निपटान तथा आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

समापन परिचर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि आवेदन पत्रों के निपटान के लिये प्रत्येक स्तर पर समय सीमा निर्धारित करने की सम्भावना पर विचार किया जावेगा।

[6] जैसलमेर एवं जोधपुर में पवन/सौर उर्जा परियोजना के लिये भूमि आवंटन से सम्बन्धित आवेदनों का रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया। इसलिये इन्हें बकाया आवेदनों में शामिल नहीं किया गया।

4.4.7.3 अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

डिजिटल अभिलेखों के संधारण का अभावः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में एक योजना 'लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम' को प्रारम्भ किया गया। लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2016-17 में प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम' में विलय होने तक जारी रहा। प्रोग्राम के अनुसार राजस्व मण्डल द्वारा प्रत्येक तहसील में डेटा-एन्ट्री/री-एन्ट्री, तहसील कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना, राजस्व कार्यालयों में कनैक्टिविटी उपलब्ध करवाना, स्टेट डेटा सेन्टर की स्थापना, खसरा-नक्शों[7] का डिजिटलीकरण तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स की स्थापना किया जाना था।

कम्प्यूटरीकरण के लिये कोष का आवंटन एवं उपयोग

लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम/डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय निम्न प्रकार रहाः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2011-12	16.98	4.52	12.46	73.38
2012-13	10.25	1.87	8.38	81.76
2013-14	12.39	7.67	4.72	38.10
2014-15	56.80	5.16	51.64	90.92
2015-16	50.98	0.57	50.41	98.88
योग	**147.40**	**19.79**	**127.61**	**86.57**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि राजस्व मंड़ल द्वारा पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) में कुल आवंटित बजट ₹147.40 करोड़ की तुलना में केवल ₹19.79 करोड़ ही खर्च किया गया जो कि कुल बजट का केवल 13.43 प्रतिशत है। कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था, नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

आवंटन तथा संपरिवर्तन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त यह पाया कि भू-आवंटन एवं संपरिवर्तन की प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण को योजना में शामिल नही किया गया। इससे आवंटन में पारदर्शिता एवं बेहतर निगरानी में विभाग को मदद होती।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि लैण्ड रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबन्दी का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था तथा खसरा-नक्शा डिजिटलाइजेशन का कार्य प्रगति पर था। पटवारियों के पदों की रिक्तता, दूसरे विभागों के कार्य किये जाने तथा राजस्व अभियानों के संचालन के कारण कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके अलावा सरकार ने आवंटन एवं संपरिवर्तन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किये जाने की लेखापरीक्षा की राय को स्वीकार किया।

4.4.7.4 सरकार को भूमि का प्रत्यार्वतन

यह पाया गया कि 46 प्रकरणों में कुल 15,066.02 बीघा[8] भूमि का उपयोग आवंटन के उद्देश्य हेतु नहीं किया गया जिसके लिये की आवंटन किया गया था। कलक्टर ने 13 प्रकरणों में भूमि

[7] खसरा नक्शाः इस नक्शे में भूमि की स्थिति एवं सर्वे नम्बर अंकित होता है।

[8] बीघाः भूमि मापने की स्थानीय इकाई।

का प्रत्यावर्तन किया तथा 33 प्रकरणों में 2 से 27 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी प्रत्यावर्तन नही किया। जिनका वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है:

विशेष उद्देश्यों के लिये आरक्षित भूमि का विलम्ब से प्रत्यावर्तन

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अनुसार जिला कलक्टर किसी विशेष उद्देश्य हेतु भूमि को आरक्षित कर सकता है और इस प्रकार आरक्षित भूमि का किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग जिला कलक्टर की बिना पूर्वानुमति के नही किया जावेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला कलक्टर स्तर पर विशेष उद्देश्य हेतु आरक्षित भूमि के उपयोग की निगरानी एवं प्रत्यार्वतन के लिये कोई तन्त्र नही था। आरक्षित भूमि के समुचित उपयोग पर निगरानी के लिये कोई रजिस्टर संधारित नही था।

- जैसलमेर जिले की तहसील जैसलमेर में स्थित 287.85 बीघा राजकीय भूमि होटल एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु आरक्षित (जनवरी 1990) की गयी। इसमें से 144.10 बीघा भूमि का आवंटन (मई 1993 से सितम्बर 1994) तीन कम्पनियों को आवंटन के तीन वर्षो के भीतर होटल की स्थापना हेतु किया गया। उपरोक्त कम्पनियों द्वारा 13 से 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी भूमि का उपयोग नही किया गया जिसके कारण उक्त भूमि का आवंटन सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	आवंटन की दिनांक	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)	आवंटन निरस्तीकरण की दिनांक
1	दी इन्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड (ताज समूह)	1 मई 1993	49.85	22 जून 2007
2	ओबेरॉय एसोसियेटेड होटल प्राईवेट लिमिटेड	8 सितम्बर 1994	48.50	27 जुलाई 2009
3	आई. टी. सी. होटल प्राईवेट लिमिटेड	19 मई 1993	45.75	22 मई 2006
	योग		**144.10**	

आरक्षित भूमि के आवंटनों को 13 से 14 वर्ष के बाद निरस्त किया गया। भूमि अभी भी खाली पडी है तथा आरक्षित किये जाने की दिनांक से (जनवरी 1990) 27 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार रजिस्टर के अभाव में आरक्षित भूमि की स्थिति पर निगरानी नहीं रखी जा सकी। परिणामस्वरूप, अन्य इच्छुक व्यक्तियों से होटल/व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये जा सके।

- जिला कलक्टर, अजमेर के भू-आवंटन अभिलेखों की जांच में पता चला कि ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर में 21 बीघा सरकारी भूमि अनाज मण्डी के उद्देश्य हेतु आरक्षित की गयी (अक्टूबर 2005)। सरकार द्वारा उक्त भूमि को एक समिति को सेटेलाइट मण्डी की स्थापना के लिये कीमतन आवंटन के लिए स्वीकृति (दिसम्बर 2005) दी गयी। जिला कलक्टर, अजमेर ने भूमि की कीमत के लिये राशि ₹ 68.25 लाख का एक डिमांड नोटिस जारी किया (29 मई 2007) लेकिन राशि जमा नही करायी गयी। सरकार द्वारा 11 वर्षों के विलम्ब के बावजूद स्वीकृति आदेश निरस्त नहीं किया गया।

आंवटी ने जिला कलक्टर को भूमि आवंटन के लिये यह कहते हुये निवेदन किया (अप्रैल 2011) कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण समिति द्वारा राशि जमा नहीं करायी जा सकी । उसके बाद, समिति ने जिला कलक्टर को बार-बार भूमि की कीमत को संशोधित करने (जिला स्तरीय समिति की प्रचलित दर के अनुसार) के लिये निवेदन किया (फरवरी 2012 एवं सितम्बर 2014) ताकि कीमत जमा कराई जा सके । विभाग द्वारा फिर भी स्वीकृति आदेश निरस्त करने, संशोधित मांग पत्र जारी करने या अन्य व्यक्तियों को आवंटन करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आरक्षित भूमि पर निगरानी के लिये रजिस्टर के अभाव में आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्थिति को ज्ञात नही किया जा सका । आरक्षित भूमि हेतु नियंत्रण रजिस्टर संधारित करने एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विज्ञापन किये जाने की प्रथा को आरम्भ करने पर सरकार विचार कर सकती है । विभाग सभी प्रकरणों की समीक्षा करने, भूमि के उन आवंटनों को निरस्त करने जो अभी भी अनुपयोगित है तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों से इनके आवंटन के लिये आवेदन प्राप्त करने के लिये प्रयास कर सकता है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017) । सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि सभी जिला कलेक्टरों को आरक्षित भूमि के लिये रजिस्टर संधारित करने, आवंटित भूमि पर निगरानी रखने तथा सभी आवंटित भूमियों की समीक्षा के लिये निर्देश जारी कर दिये गये। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को जहां लम्बी अवधि के बाद भी निर्धारित उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग नही किया गया, उन प्रकरणों में निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु भूमि को उपयोग में लेने के लिये भी दिशा-निर्देश दिये।

सरकार को भूमि के प्रत्यार्वतन का अभाव

आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, भूमि केवल उसी प्रयोजन के उपयोग में ली जावेगी जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी थी तथा दो वर्ष के भीतर आवंटन के उद्देश्य हेतु भूमि को उपयोग में लेने तथा भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये आंवटी उत्तरदायी होगा, असफल होने पर भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जावेगी जब तक कि किसी उपयुक्त कारण के आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि नहीं की गयी हो।

निम्नलिखित प्रकरणों में भूमि का आवंटन भू-राजस्व अधिनियम की धारा 102 के अधीन किया गया जो प्रार्थी द्वारा इच्छित उपयोग हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान करती है । यद्यपि आवंटित भूमि का उपयोग नहीं किया गया फिर भी भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं की गई।

- छः जिला कलेक्टरों[9] के भू-आवंटन अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 31 प्रकरणों में विशिष्ट उद्धेश्यों के लिए 31 संस्थाओं यथा उद्योगों, शैक्षणिक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, हॉस्टलों, कृषि उपज मण्डी, नृत्य एवं संगीत संस्थाओं, अस्पतालों, सोलर फोटोवोल्टिक एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं, नागरिक उपयोगों के लिये अन्य भवनों इत्यादि के लिये 3,214.63 बीघा सरकारी भूमि का आवंटन किया गया (फरवरी 2006 से दिसम्बर 2014) । आवंटन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग आवंटन के

[9] अजमेर, दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, पाली एवं सिरोही।

दो वर्ष के भीतर किया जाना था। सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी मौका रिपोर्टों[10] की जांच में पता चला कि 27 प्रकरणों में आवंटियों ने भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था; अभिलेखों में इस बात को दर्शाने के लिये, कुछ भी नहीं था कि आवंटियों ने समयावधि में विस्तार हेतु आवेदन किया था। इस प्रकार, आवंटियों ने ना तो इच्छित उद्देश्य हेतु भूमि का निर्धारित अवधि में उपयोग किया और ना ही समयावधि में विस्तार के लिए आवेदन किया। भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिये थी। शेष चार प्रकरणों में आंशिक निर्माण किया गया एवं भूमि का आंशिक उपयोग किया गया जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- अजमेर के एक प्रकरण में 45 बीघा भूमि शैक्षणिक एवं अस्पताल के उद्धेश्यों के लिये आवंटित की गयी। केवल 10 कमरें तथा चारदीवारी का निर्माण किया गया तथा तहसीलदार द्वारा नवम्बर 2016 में उपलब्ध करवायी गई मौका रिर्पोट के अनुसार इसका कृषि कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा था।
- अजमेर के एक प्रकरण में 62.50 बीघा भूमि का आवंटन शैक्षणिक (स्कूल एवं कॉलेज) उद्देश्य के लिये किया गया। तहसीलदार द्वारा नवम्बर 2016 में उपलब्ध करायी गई मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि आंशिक रूप से उपयोग में ली जा रही थी (केवल 0.29 बीघा का शैक्षणिक संस्था द्वारा उपयोग किया गया)।
- एक प्रकरण जिसमें 21 बीघा भूमि का आवंटन कृषि उपज मण्डी को फल एवं सब्जी बाजार (मंडी) के लिये अजमेर में किया गया। केवल चारदीवारी तथा कुछ टिन-शेड्स का निर्माण किया गया। तहसीलदार द्वारा नवम्बर 2016 में उपलब्ध करवायी गयी मौका रिर्पोट के अनुसार मण्डी का संचालन नही हो रहा था।
- एक प्रकरण में 2,199.24 बीघा (356.13 हैक्टेयर) भूमि ग्राम धुदसर तहसील पोकरण में एक आंवटी को 150 मैगावॉट के सोलर फोटोवाल्टिक पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु आवंटित की गयी (फरवरी 2015)। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2010 के उपबन्धों के अनुसार आरंभ में भूमि का आवंटन केवल 50 मैगावॉट क्षमता के लिये किया जाना चाहिये था अर्थात 733.08 बीघा (118.37 हैक्टेयर) तथा शेष 100 मैगावॉट क्षमता के लिये अर्थात 1466.16 बीघा (237.42 हैक्टेयर) भूमि आरक्षित रखी जानी चाहिए थी तथा 50 मैगावॉट क्षमता के लिये आवंटित भूमि के पूर्ण उपयोग के बाद ही आवंटित की जानी चाहिये थी। तथापि, कलक्टर ने 150 मैगावॉट पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये आरम्भ में ही कुल भूखण्ड 2199.24 बीघा (356.13 हैक्टेयर) भूमि का आवंटन कर दिया। भूमि आवंटन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, अक्षय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, भूमि आवंटन की दिनांक से दो वर्ष के भीतर की जानी चाहिए थी, असफल होने पर भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी यदि किसी उचित कारण के आधार पर आवंटन अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि नहीं की गयी हो। यह बताने के लिये कोई दस्तावेज नहीं था कि आंवटी ने अवधि में विस्तार हेतु आवेदन किया या पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये अवधि में वृद्धि की गयी। यद्यपि, भूमि स्वतः ही सरकार को प्रत्यावर्तित होनी थी, भू-अभिलेख अर्थात जमाबन्दी रिपोर्ट में यह भूमि समय बीत जाने के बाद भी आंवटी के नाम पर अभिलिखित थी। आवंटन के नियम एवं शर्तों को पूर्ण नहीं

[10] मौका रिपोर्ट: अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट।

करने के उपरान्त भी जिला कलक्टर द्वारा भूमि की अनुमति वापस लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि जिला कलक्टर, जैसलमेर को प्रकरण की जांच/नियमितिकरण के लिये निर्देश जारी किये जा चुके है।

सरकार आवंटन के नियमों एवं शर्तो के अनुसार भूमि के उपयोग किये जाने पर निगरानी के तंत्र को मजबूत बनाने पर विचार कर सकती है तथा प्रावधानों की पालना में विफल होने पर सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं भू-अभिलेख अर्थात जमाबन्दी में प्रविष्टि को रद्द किया जा सकता है।

प्रकरण अध्ययन 1

जिला कलक्टर अजमेर के भू-अभिलेखों की जाँच में पता चला कि तहसील सरवाड में स्थित 250 बीघा सरकारी भूमि निजी वन विकसित करने हेतु एक आंवटी को 25 वर्षो के लिये आवंटित की गयी (नवम्बर 1993 से मई 2001)। आंवटी ने अपनी कार्य योजना में क्षेत्र में 52,050 पौधा रोपण करना प्रस्तावित किया था। भूमि की मौका रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि केवल 790 पौधे अर्थात कार्य योजना का केवल 1.52 प्रतिशत आवंटित भूमि पर उपलब्ध थे।

कार्य योजना के अनुसार पौधारोपण नहीं करने के कारण जिला कलक्टर द्वारा ना तो आवंटन निरस्त करने और ना ही भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित करने के लिए कोई कदम उठाया गया। विभाग में निगरानी तंत्र नहीं होने के परिणामस्वरूप आवंटी द्वारा भूमि का उपयोग नहीं किया गया तथा भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि आवंटन रजिस्टर संधारित करने, आवंटन शर्तो की अनुपालना की निगरानी हेतु, सामयिक पर्यवेक्षण/समीक्षा की प्रणाली बनाने तथा आवंटन शर्तो के उल्लंघन होने पर आवंटन के निरस्तीकरण के लिये तत्काल कार्यवाही करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये।

अक्षय ऊर्जा के लिये आवंटित भूमि का विलम्ब से प्रत्यार्वतन

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियमों, 1959 के नियम 7 तथा राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन)

नियमों, 2007 के अनुसार अक्षय ऊर्जा विद्युत संयत्र की स्थापना के लिये सरकारी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियमों में यह व्यवस्था है कि भूमि आवंटन की दिनांक से दो वर्ष के भीतर अक्षय ऊर्जा विद्युत संयत्र की स्थापना कर ली जावे, असफल रहने पर भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जावेगी जब तक की किसी उचित कारण के आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त दो वर्ष की अवधि को बढ़ा नहीं दिया जाता है।

तीन जिला कलक्टरों[11] के आवंटन अभिलेखों की जांच में पता चला कि 11,416.65 बीघा राजकीय भूमि का आवंटन (जनवरी 2005 से अक्टूबर 2012) अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु दस पवन/सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं को किया गया। भू-आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार ऊर्जा संयत्र की स्थापना आवंटन की दिनांक से दो वर्षों के भीतर की जानी थी (2007 से 2014)। यह पाया गया कि आवंटियों द्वारा उपयोग नहीं करने के कारण कलक्टरों ने भूमि को मार्च 2015 से मार्च 2017 के मध्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दिया। इस प्रकार भूमि के प्रत्यार्वतन में तीन से दस वर्षों का विलम्ब हुआ। इन तीन जिलों में पवन/सौर ऊर्जा हेतु भूमि आंवटन के लिये प्राप्त आवेदनों को किसी रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार जो आवेदन विचाराधीन थे उनको सुनिश्चित नही किया जा सका। यह भी ध्यान में आया कि भूमि के उपयोग के लिये नये आवेदन प्राप्त करके या पूर्व में प्राप्त आवेदनों को मंजूर करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि आवंटन की शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने हेतु भूमि की मौका रिर्पोट प्राप्त करने तथा शर्तों का पालन नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने के लिये जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किये गये। समापन परिचर्चा के दौरान भी सरकार ने सहमति जताई कि प्रत्यावर्तन में विलम्ब से बचने के लिये निगरानी तंत्र में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

4.4.7.5 शहरी स्थानीय निकायों एवं विभाग के बीच समन्वय का अभाव तथा राजकीय भूमि के विक्रय से प्राप्त हिस्सा राशि के समय से प्राप्ति के लिये तंत्र का अभाव।

अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2010 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, शहरी विकास न्यास या नगर निगम/परिषद के द्वारा भूमि के विक्रय, आवंटन या नियमितिकरण जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निपटान करने पर प्राप्त राशि के एक भाग को राज्य सरकार के खाते में जमा करवाना होगा अर्थात विकास प्राधिकरण के मामलें में 20 प्रतिशत, शहरी विकास न्यास के मामले में पांच प्रतिशत तथा नगर निगम/नगर परिषद के मामले में 2.5 प्रतिशत होगी।

लेखापरीक्षा ने 11 शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा बेची गई भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के सम्बन्ध में सूचना मांगी। पांच शहरी स्थानीय निकायों ने सूचना उपलब्ध नहीं करवायी, नगर परिषद सिरोही ने सूचना शून्य उपलब्ध करवायी।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिये उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पांच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय की गई भूमि से सरकार की हिस्सा राशि ₹ 424.11 करोड़

[11] बाडमेर, जैसलमेर एवं जोधपुर।

सरकार के खाते में जमा नहीं करवायी गयी जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015 -16	योग	जमा नही करवाने के कारण
अजमेर विकास प्राधिकरण	0.88	2.49	0.54	1.30	1.27	6.48	शहरी स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण।
जयपुर विकास प्राधिकरण	8.77	21.49	67.32	110.81	155.72	364.11	कारण उपलब्ध नही करवाये गये।
नगर परिषद, बाड़मेर	0	0	0.42	0.06	0	0.48	शहरी स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण।
जोधपुर विकास प्राधिकरण	5.53	1.73	13.08	0	30.69	51.03	शहरी स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण।
नगर निगम, अजमेर	0.52	0.23	0.14	0.69	0.43	2.01	प्राप्त उत्तर नीचे दिया गया है।
नगर निगम, अजमेर ने बताया कि भूमि के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि में से राज्य सरकार को भुगतान किये जाने वाले अंश के बारे में स्पष्टता नहीं थी। कुछ प्रकरणों में यह 60 प्रतिशत एवं अन्य प्रकरणों में 90 प्रतिशत होना बताया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2010 के द्वारा भूमि के विक्रय, आवंटन एवं नियमितिकरण से प्राप्त राशि में से सरकार के अंश के बारे में स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार निगम द्वारा भूमि के विक्रय, आवंटन एवं नियमितिकरण से प्राप्त राशि का 2.5 प्रतिशत भुगतान किया जाना है। इसके अलावा निगम द्वारा भूमि की कीमत के रूप में भुगतान किये जाने वाले राज्यांश की गणना उसके द्वारा स्वयं की गयी। किसी भी संदेह की स्थिति में मामले को स्पष्टीकरण के लिये सरकार को भेजा जा सकता था।							
योग	**15.70**	**25.94**	**81.50**	**112.86**	**188.11**	**424.11**	

स्रोतः सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

आठ जिला कलक्टरों द्वारा सरकारी भूमि के विक्रय अभिलेखों की जांच तथा छः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भूमि के विक्रय, आवंटन तथा नियमितिकरण से प्राप्त राजस्व से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान का स्थानीय शहरी निकायों एवं विभाग के मध्य अभाव रहा। सरकारी भूमि के विक्रय से प्राप्त अंश राशि की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु विभाग/राजस्व मण्डल स्तर पर रजिस्टरों/पत्रावलियों का संधारण नही किया गया। जिला कलक्टर कार्यालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की जा रही थी, इसलिए, आन्तरिक नियन्त्रण के एक महत्वपूर्ण घटक की कमी रही।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई राजकीय भूमि से सरकार को देय बकायों की समय से प्राप्ति को सुनिश्चित करने के तंत्र को मजबूत करने पर सरकार विचार कर सकती है। सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी अंश को विलम्ब से जमा कराने पर ब्याज का आरोपण करने पर विचार कर सकती है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निपटान की गई सरकारी भूमि से सरकार को प्राप्त होने वाले अंश की जांच के लिये सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किये गये।

4.4.7.6 भूमि की कीमत की अवसूली/कम वसूली

विभिन्न आवंटियों को उनके इच्छित उद्देश्यों के लिये आवंटित सरकारी भूमि की कीमत भू-राजस्व अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के अनुसार वसूलनीय है। चयनित जिलों में से पांच जिलों[12] में ध्यान में आयी अनियमितताओं का वर्णन नीचे किया गया है।

व्यक्तियों, समितियों, ट्रस्टों, संस्थाओं, फर्मों, उद्योगों, कम्पनियों, निगमों तथा सरकारी विभागों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों के निर्माण के उद्देश्य हेतु भू-राजस्व अधिनियम,उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं उसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आवंटित भूमि का प्रीमियम जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूलनीय था। इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत के दस प्रतिशत की दर से वार्षिक लीज किराया भी वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा आठ प्रकरणों में 714.69 बीघा भूमि की कीमत आवंटन से पूर्व वसूल नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप, भूमि की कीमत राशि ₹ 167.39 करोड़ की अप्राप्ति/कम प्राप्ति रही। भूमि सरकारी निगमों तथा निजी संस्थाओं को औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। यह पाया गया कि तीन प्रकरणों में भूमि का आवंटन जिला स्तरीय समिति की दरों से कम दर पर किया गया, चार प्रकरणों में आवंटन राजस्व विभाग की अनुमति के बिना किया गया तथा शेष प्रकरण में भूमि का कब्जा भूमि की कीमत वसूल किये बिना दे दिया गया। इनका वर्णन निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

जिला कलक्टर/फर्म/संस्था का नाम	आक्षेप की प्रकृति
भूमि का कम मूल्यांकन	
जिला कलक्टर, पाली मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड	तहसील, जैतारण के विभिन्न ग्रामों में स्थित 58.85 बीघा सरकारी भूमि एक आवंटी को रेल्वे लाईन बिछाने के लिये उद्योग विभाग के माध्यम से आवंटित की गयी (जुलाई 2014)। यह पाया गया कि कलक्टर द्वारा आवंटी से ग्राम रास-I में स्थित 50.05 बीघा भूमि की कीमत राशि ₹ 16.02 लाख[13] जिला स्तरीय समिति की कृषि भूमि के लिये तत्कालीन दरों से मांग कायम तथा वसूल की गयी। तहसीलदार जैतारण से प्राप्त मौका रिर्पोट से ज्ञात हुआ कि

[12] अजमेर, बाड़मेर, बूंदी, जयपुर तथा पाली।

[13] ₹ 16.02 लाखः 50.05 X ₹ 0.32 लाख प्रति बीघा जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार।

<table>
<tr><td rowspan="2">मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेंट लिमिटेड</td><td>भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थी । भूमि की कीमत राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु जिला स्तरीय समिति की दरों से ₹ 80.08 लाख[14] थी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 64.06 लाख का कम आरोपण व वसूली हुयी ।</td></tr>
<tr><td>तहसील जैतारण (पाली) के विभिन्न ग्रामों में स्थित 139.35 बीघा सरकारी भूमि सीमेन्ट प्लांट स्थापित करने के लिये एक आवंटी को उद्योग विभाग के माध्यम से आवंटित की गयी (18 सितम्बर 2013) । आवंटन अभिलेखों की जांच में पता चला कि जिला कलक्टर द्वारा आवंटी से राशि ₹ 10.86 लाख[15] की मांग कायम तथा वसूली की गयी । 37.45 बीघा भूमि ग्राम सीनला में स्थित थी । भूमि की जमाबन्दी रिपोर्ट एवं खनि अभियन्ता की रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार उक्त भूमि खनिज संभावित क्षेत्र में स्थित थी जिसके लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा अलग से दरें निर्धारित की गयी थी । भूमि की कीमत ₹ 34.08 लाख[16] आंकी गयी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 23.22 लाख का कम आरोपण एवं कम वसूली हुयी ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017) । सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि जिला कलक्टर पाली को मामले की जांच करने तथा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये ।</td></tr>
<tr><td>जिला कलक्टर, जयपुर

मैसर्स पी.एस.एल. लिमिटेड, मुम्बई</td><td>जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा ग्राम गडूडा, तहसील फागी में स्थित 90 बीघा सरकारी भूमि उद्योग विभाग के माध्यम से एक आवंटी को स्टील पाईप के उत्पादन के लिये आवंटित की गयी (25 मार्च 2010) । यह पाया गया कि कलक्टर ने 90 बीघा भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति की कृषि के लिये प्रचलित दरों से केवल ₹ 2.53 करोड़[17] आवंटी से मांग कायम एवं वसूल की । तहसीलदार फागी की मौका रिर्पोट से ज्ञात हुआ कि आवंटित भूमि डिग्गी-मालपुरा सडक से 1.5 किलोमीटर पर स्थित थी जिसके लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा उच्चतर दरें निर्धारित थी । गणनानुसार भूमि की कीमत ₹ 3.16 करोड़[18] थी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 63 लाख का कम आरोपण तथा कम वसूली हुयी ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017) । सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि जिला कलक्टर जयपुर को मामले की जांच करने तथा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये ।</td></tr>
<tr><td>जिला कलक्टर, जयपुर

निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर</td><td>तहसील बस्सी के ग्राम झर में स्थित 55.36 बीघा (14 हैक्टेयर) राजकीय भूमि अक्टूबर 2008 में आवंटित की गयी । तहसीलदार बस्सी की मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 से 190 मीटर दूरी पर स्थित थी । 14 हैक्टेयर में से 4 हैक्टेयर (15.81 बीघा) बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क तथा शेष 10 हैक्टेयर (39.55 बीघा) तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कीमतन आवंटित की गयी । भूमि का कब्जा आवंटी को दिसम्बर 2008 में सुपूर्द कर दिया गया । यह पाया गया कि निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग आवंटी द्वारा नही किया गया । भूमि के मूल उद्देश्य (तकनीकी विश्वविद्यालय) में परिवर्तन करके चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गयी तथा कीमतन आवंटन किया गया । भूमि के उपयोग में परिर्वतन को सरकार द्वारा स्वीकृत</td></tr>
</table>

[14] ₹ 80.08 लाखः 50.05 X ₹ 1.60 लाख प्रति बीघा 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावी जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार ।

[15] ₹ 10.86 लाखः 37.45 बीघा X ₹ 0.29 लाख प्रति बीघा 29 सितम्बर 2011 से प्रभावी जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार ।

[16] ₹ 34.08 लाखः 37.45 बीघा X ₹ 0.91 लाख प्रति बीघा 29 सितम्बर 2011 से प्रभावी जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार ।

[17] ₹ 2.53 करोड़ः (61.30 X ₹ 3.13 लाख प्रति बीघा सिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार + 28.70 X ₹ 2.13 लाख प्रति बीघा असिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार) 28 अगस्त 2009 से प्रभावी ।

[18] ₹ 3.16 करोड़ः (46.80 X ₹3.75 लाख प्रति बीघा सिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार + 43.20 X ₹3.25 लाख प्रति बीघा असिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार) 28 अगस्त 2009 से प्रभावी ।

<table>
<tr><td></td><td>किया गया (अप्रैल 2015)। राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के अन्दर स्थित इस भूमि के लिये ₹ 11.49 करोड़[19] के स्थान पर जिला कलक्टर जयपुर ने जिला स्तरीय समिति की दरों को गलत लागू कर ₹ 6.58 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया (जून 2015)। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटी द्वारा आंवटित भूमि की कीमत जमा नहीं करायी गयी। भूमि का कब्जा अभी भी आवंटी के पास था (जून 2017)। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.91 करोड़ का कम आरोपण हुआ। संस्था द्वारा कोई राशि जमा नहीं करायी गई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.49 करोड़ प्राप्त नहीं हुयी।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया कि 10 हैक्टेयर भूमि का आवंटन जिला स्तरीय समिति की दरों से भूमि की कीमत वसूली पर किया गया। लेकिन आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि आवंटन के नियमों एवं शर्तो का मामला अभी भी सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। उत्तर सही नहीं है क्योकि सरकार द्वारा भूमि के लिये पूर्व में जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार भूमि की कीमत की वसूली की जानी थी। कलक्टर को मांग पत्र जारी करने तथा भूमि की कीमत वसूल करने का प्रयास करना चाहिये था। भूमि की कीमत का भुगतान किये बिना भूमि संस्था के कब्जे में रही।</td></tr>
<tr><td colspan="2">बिना स्वीकृति के भूमि का आवंटन</td></tr>
<tr><td>जिला कलक्टर, जयपुर

राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर</td><td>तहसील बस्सी के ग्राम ढिढोल (किशनपुरा) में स्थित 96 बीघा राजकीय भूमि पशुपालन विभाग के कब्जे में थी। प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया (नवम्बर 2009) कि राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड उक्त भूमि पर डेयरी का विस्तार, पशु आहार उत्पादन के लिये संयंत्र की स्थापना तथा आधारभूत विकास का इच्छुक है, अतः पशुपालन विभाग को आवंटित भूमि राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दी जावे। भूमि का हस्तान्तरण (तिथि उपलब्ध नहीं) राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को राजस्व विभाग की स्वीकृति के बिना तथा भूमि की कीमत एवं लीज किराये की वसूली के बिना कर दिया गया। तहसीलदार, बस्सी की मौका रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भूमि राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा उपयोग में ली जा रही थी। वर्ष 2016-17 के लिये लागू असिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार भूमि की कीमत (राशि ₹ 3.67 करोड़[20]) तथा वार्षिक लीज किराया (राशि ₹ 36.66 लाख[21]) वसूलनीय था। तथापि, विभाग द्वारा भूमि की कीमत तथा लीज किराया राशि ₹ 4.04 करोड़ की वसूली के लिये किसी कार्यवाही की पहल नहीं की गयी।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) की जिला कलक्टर जयपुर को राजस्थान कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से भूमि की कीमत वसूल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये।</td></tr>
<tr><td>जिला कलक्टर, अजमेर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अजमेर</td><td>241.76 बीघा (39.15 हैक्टेयर) भूमि सरकार की स्वीकृति के बिना 1992 से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कब्जे में थी। 23 वर्ष बीत जाने के बाद भूमि के कीमतन आवंटन के लिये स्वीकृति आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 को जारी किया गया। यह बताया गया कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा खसरा संख्या एवं जमाबन्दी रिपोर्ट कलक्टर को उपलब्ध नही करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृति आदेश जारी करने में विलम्ब हुआ। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि राशि जमा कराने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को कोई डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया तथा भूमि की कीमत जमा कराये बिना मूल्य ₹ 113.78 करोड़ की भूमि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कब्जे में रही।</td></tr>
</table>

[19] ₹ 11.49 करोड़: 55.36 X ₹ 20.75 लाख प्रति बीघा 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावी जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार।

[20] ₹ 3.67 करोड़: 96 X ₹ 3.82 लाख प्रति बीघा 6 अक्टूबर 2015 से प्रभावी जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार।

[21] ₹ 36.66 लाख: ₹3.67 करोड़ का 10 प्रतिशत।

जिला कलक्टर, बाड़मेर सीमा सुरक्षा बल, बाड़मेर	सरकार की स्वीकृति के बिना 13.55 बीघा (2.194 हैक्टेयर) भूमि 1965 से सीमा सुरक्षा बल के कब्जे में थी। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भूमि के कीमतन आवंटन के लिये स्वीकृति आदेश 9 जुलाई 2015 को जारी किया गया। कलक्टर द्वारा दिनांक 16 अक्टुम्बर 2016 को ₹ 27.86 करोड़ की मांग कायम की गयी। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राशि जमा नहीं करायी गयी। इसके परिणामस्वरूप आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया तथा भूमि की कीमत जमा कराये बिना भूमि सीमा सुरक्षा बल के कब्जे में रही।
जिला कलक्टर, अजमेर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अजमेर	सरकार ने 19.82 बीघा (3.21 हैक्टेयर) भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटन करने के लिये स्वीकृति आदेश 13 अप्रेल 2015 को जारी किया। भूमि का कब्जा 2017 में दिया गया। इसके पश्चात, कलक्टर अजमेर द्वारा भूमि की कीमत की वसूली के लिये डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया तथा भूमि की कीमत जमा कराये बिना मूल्य ₹ 8.72 करोड़ की भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कब्जे में रही।

समापन परिचर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इन सभी मामलों को देखा जावेगा।

4.4.7.7 लीज किराये की निगरानी का अभाव

आदेश दिनांक 18 जून 2007 के अनुसार अक्षय ऊर्जा शक्ति संयंत्र की स्थापना के लिये आवंटित भूमि का किराया वार्षिक देय होगा। वार्षिक किराया ₹ 2,500 प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से प्रभार्य होगा।

- जिला कलक्टर, जोधपुर के द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं की जांच में पता चला कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिये ऊर्जा उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ₹ 19.01 लाख वसूलनीय थे। इसकी मांग नहीं की गई।
- जिला कलक्टर, जैसलमेर की मांग-संग्रहण तथा शेष राशि प्रतिवेदन की जांच में पता चला कि जैसलमेर जिले में 14 ऊर्जा उत्पादकों/विकासकर्ताओं से लीज किराया ₹ 3.59 करोड़ वसूलनीय था। जिसकी न तो मांग की गई और न ही भुगतान किया गया परिणामतः लीज किराये की राशि ₹ 3.59 करोड़ की वसूली नहीं हुयी।
- जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन एवं लीज किराया अभिलेखों की जांच में पता चला कि तहसील पिण्डवाडा में स्थित 673.35 बीघा (17,04,355.32 वर्ग मीटर) राजकीय भूमि एक आवंटी को सीमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु आवंटित की गयी (जुलाई 1981 से फरवरी 1984)। भूमि आवंटन के 30 वर्षों के बाद लीज किराया संशोधित[22] किया जाना था। यह पाया गया कि लीज किराया 2011 से 2014 के मध्य संशोधित किया जाना था, तथापि, सम्बन्धित कलक्टर ने लीज किराया संशोधित नहीं किया। परिणामरूवरूप, आवंटी आवंटन के वर्ष में निर्धारित की गयी दरों के समान लीज किराया अदा कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप लीज किराया राशि ₹ 34.21 लाख[23] की कम वसूली हुयी।

[22] राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियमों, 1959 के नियम 5 के अनुसार सरकार ने अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त 2009 जारी कर गांवों, कस्बों एवं शहरों के लिये लीज किराया की दरों को संशोधित किया।

[23] ₹ 34.21 लाख (5,10,914.56 X ₹ 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष X 5 वर्ष) + (2,43,063.80 X ₹ 50 पैसा प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष X 2 वर्ष) + (9,50,376.96 X ₹ 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष X 4 वर्ष)

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि लीज किराये की वसूली तथा मामलें में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर जैसलमेर एवं जोधपुर को निर्देश जारी किये गये।

4.4.7.8 भूमि की कीमत के बकाया की वसूली

राजस्व मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2016 को भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित बकाया राशि ₹ 607.04 करोड़ थी। 1 अप्रेल 2011 को बकाया राशि ₹ 111.24 करोड़ थी जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर राशि ₹ 607.04 करोड़ हो गयी अर्थात बकाया राजस्व में 445.70 प्रतिशत की बढोतरी हुयी।

कुल बकाया राशि ₹ 607.04 करोड़ में से राशि ₹ 550.57 करोड़ (90.70 प्रतिशत) सात विभागों/उपक्रमों से भूमि की कीमत के रूप में बकाया थी। इसमें से ₹ 13.96 करोड़ रेल्वे, उदयपुर के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन थे। शेष छः प्रकरणों में बकाया राशि ₹ 536.61 करोड़ के बकाया की स्थिति तथा उसका वर्गीकरण निम्नानुसार था:

विभाग/उपक्रम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)
पुरातत्व विभाग, चितौडगढ	पुरातत्व विभाग चितौडगढ़ पर राशि ₹ 3.10 करोड़ बकाया थी। विभाग ने निःशुल्क भूमि आवंटित करने के लिये 6 दिसम्बर 2010 को आवेदन किया। कलक्टर ने वर्ष 2016 में सरकार को अपलेस्वन का प्रस्ताव भेजा। आगामी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।	3.10
विमानपत्तन प्राधिकरण, उदयपुर	विमानपत्तन प्राधिकरण, उदयपुर पर राशि ₹ 22.79 करोड़ बकाया थी। प्राधिकरण ने सितम्बर 2017 में भूमि निःशुल्क या भूमि आवंटन किये जाने के वर्ष 1954 में प्रचलित जिला स्तरीय समिति की दरों पर आवंटित करने का निवेदन किया। संयुक्त शासन सचिव, नागरिक उड्डयन ने अप्रैल 2017 में राज्य सरकार से बकाया में छूट के लिये निवेदन किया। आगामी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।	22.79
उत्तर पश्चिम रेल्वे, बीकानेर	उत्तर पश्चिम रेलवे पर राशि ₹ 1.77 करोड़ बकाया थी। आवंटन की दिनांक उपलब्ध नहीं थी। तथापि, बकाया के भुगतान के लिये पत्राचार वर्ष 2013 से आरंभ किया गया। यह बताया गया कि मंडल रेल्वे प्रबंधक ने राशि के भुगतान से मना कर दिया (अप्रैल 2017)। तथापि, राजस्व मण्डल ने इसे वसूलनीय दर्शाया है तथा मामले को जुलाई 2017 में राज्य सरकार को भेजा।	1.77
नाल हवाई अड्डा, बीकानेर	नाल हवाई अड्डा, बीकानेर पर राशि ₹ 239.71 करोड़ बकाया थी। नागरिक उड्डयन विभाग ने भूमि निःशुल्क आवंटित करने के लिये निवेदन किया जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। बाद में नागरिक उड्डयन विभाग भूमि की कीमत जमा कराने के लिये सहमत हुआ (जनवरी 2017), तथापि, राशि अभी तक (सितम्बर 2017) जमा नहीं करवायी गयी। भूमि के आवंटन की दिनांक उपलब्ध नहीं थी।	239.71
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, बाडमेर	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, बाडमेर पर राशि ₹ 193.91 करोड़ बकाया थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी के रूप में कम्पनी को भुगतान की जाने वाली राशि ₹ 200.00 करोड़ में समायोजित की जायेगी। प्रकरण आगे की कार्यवाही के लिये केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित बताया गया।	193.91
विद्युत मंड़ल	राजस्थान विद्युत मंड़ल पर राशि ₹ 75.33 करोड़ बकाया थी। विभाग ने बताया कि राशि सरकार द्वारा मंड़ल को उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता के रूप में देय सरकारी बकायों में समायोजित की जा रही थी। 11 अप्रैल 2016 से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया तथा वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा मंडल को राशि के नकद भुगतान हेतु निर्देशित किया गया (मार्च 2017)।	75.33
	योग	**536.61**

इस प्रकार उपरोक्त से यह देखा गया कि विभाग द्वारा भूमि के आवंटन से पहले राशि वसूल नहीं की गयी तथा समय के गुजरने के साथ मांगे लगभग अवसूलनीय हो गयी। आवंटियों को भूमि का कब्जा देने के पहले सरकार को देय राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली का होना आवश्यक है। शेष राशि ₹ 56.47 करोड़ का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।

समापन परिचर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि मामले को देखा जायेगा।

4.4.8 भूमि का संपरिवर्तन

भू-उपयोग परिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए जिला स्तर पर कलक्टर जिम्मेदार है। बिना अनुमति के गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में ली गयी भूमि को आवेदक द्वारा भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य पर संपरिवर्तन प्रभारों का चार गुणा जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है।

अभिलेखों की जांच में पता चला कि बिना भू-उपयोग परिवर्तन के भूमि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में ली जा रही थी। परिवर्तन नहीं किये जाने के निम्नलिखित कारण रहेः

- पटवारी ने कृषि से गैर-कृषि भू-उपयोग परिवर्तन एवं भूमि के अनाधिकृत उपयोग के तथ्य को जमाबंदी में दर्ज नहीं किया।
- संपरिर्वतित भूमि के समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये आवधिक निरीक्षण निर्धारित नहीं किये गये। जिला स्तर पर यह देखे जाने के लिये रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया कि भूमि उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जा रही थी जिसके लिए उसे संपरिवर्तित करवाया गया एवं संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर शुरू किया गया।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं था कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त संपरिवर्तन प्रभार जमा करवा कर, संपरिर्वतित भूमि के उपयोग हेतु समय में वृद्धि की अनुमति दी गयी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 35 प्रकरणों में 857.06 बीघा भूमि के संपरिवर्तन आदेश वापिस लिये जाने थे जिनमें खातेदारों के द्वारा संपरिवर्तन आदेशों की शर्तो की पालना नहीं की गयी थी। विभाग के भू-अभिलेख अपूर्ण पाये गये जिसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका को वापस नहीं लिया गया जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

4.4.8.1 संपरिवर्तन आदेशों को वापस नहीं लिया जाना

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2012 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु पांच वर्षो के भीतर अवश्य उपयोग में ली जानी चाहिये। आवेदक द्वारा संपरिवर्तन प्रभारों की 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा कराने के बाद, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पांच वर्षो की अवधि आगामी पांच वर्षो के लिये बढ़ायी जा सकती है। यदि बढ़ायी गई अवधि के दौरान निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो संपरिवर्तन आदेश स्वतः वापस ले लिया माना जावेगा।

पांच जिला कलेक्टरों[24] के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पता चला कि 11 तहसीलों[25] के 34 मामलों में 600.26 बीघा भूमि औद्योगिक, आवासीय कॉलोनी, पर्यटन तथा अन्य उद्देश्यों हेतु संपरिवर्तित करवायी गयी (मई 2010 से दिसंबर 2011)। जिला कलेक्टरों के कार्यालयों से प्राप्त संपरिवर्तन आदेशों तथा तहसीलों से प्राप्त मौका रिपोर्टों एवं जमाबंदी रिपोर्टों के प्रतिसत्यापन में पाया गया कि ना तो भूमि निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में ली गयी और ना ही संपरिवर्तन प्रभारों का 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करवाकर समयावधि में वृद्धि की गयी।

संपरिवर्तन आदेश स्वतः वापस होने थे लेकिन भू-अभिलेख अर्थात जमाबन्दी में उचित प्रविष्टी नही की गयी। इस प्रकार, विभागीय अभिलेखों में संपरिवर्तन आदेश वापस नहीं लिये गये।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को भूमि के उपयोग की जांच करने तथा मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

प्रकरण अध्ययन 2

भू-अभिलेख अर्थात जमाबन्दी में उचित प्रविष्टी नहीं किये जाने के कारण भूमि का राज्य सरकार में निहित नहीं होना

सरकार के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2012 के अनुसार यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का खातेदार अपनी भूमि को गैर-कृषि उद्देश्य के लिए संपरिवर्तित कराने के पश्चात् किसी व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नही हैं, भूमि हस्तांतरित कर देता है तथा भूमि का उपयोग पांच वर्षों या बढ़ाई गयी अवधि के भीतर गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया तो भूमि बिना किसी क्षतिपूर्ति के राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

जिला कलक्टर, अजमेर के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पता चला कि अनुसूचित जाति समुदाय की 114.70 बीघा भूमि को मई 2010 में औद्योगिक उद्देश्य के लिए संपरिवर्तित करवाया गया। इसके पश्चात, यह एक फर्म (गैर-अनुसुचित जाति साझेदार) को बेची गयी (फरवरी 2013)। इसका उपयोग मई 2015 तक किया जाना आवश्यक था। अभिलेखों में इस बात को दर्शाने के लिये कुछ भी नहीं था कि फर्म ने संपरिवर्तन प्रभारों का 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करवाकर उद्योगों की स्थापना के लिए समयावधि में वृद्धि के लिये आवेदन किया था या अनुमति प्रदान की गई थी। तहसीलदार किशनगढ़ की मौका रिपोर्ट (नवंबर 2016) के अनुसार भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं किया गया था। भूमि बिना क्षतिपूर्ति के राज्य सरकार में निहित होनी थी तथा भू- अभिलेखों अर्थात जमाबन्दी में उपयुक्त प्रविष्टियां की जानी चाहिये थी। इन प्रविष्टियों के अभाव में भूमि फर्म के नाम पर बनी रही।

यह ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2017) सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि फर्म द्वारा भूमि का औद्योगिक उद्देश्य हेतु निर्धारित समयावधि में उपयोग नही करने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करने एवं मामले में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, अजमेर को निर्देश जारी किये गये (अगस्त एवं सितम्बर 2017)।

[24] अजमेर, जयपुर, पाली, सिरोही एवं जैसलमेर।

[25] सिरोही, रेवदर, रोहट, चौमू, फुलेरा, बस्सी, जमवा रामगढ, मौजमाबाद, किशनगढ, जैसलमेर एवं फतेहगढ़।

सिलिंग एक्ट की शर्तो में छूट की पालना का अभाव

जिला कलक्टर, अजमेर के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पता चला कि ग्राम चूर्ली, तहसील किशनगढ में स्थित 256.80 बीघा खातेदारी भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए संपरिवर्तित की गयी (मार्च 2010)। यह पाया गया कि भूमि एक फर्म के स्वामित्व में थी तथा राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर हॉल्डिंग एक्ट, 1973 के अन्तर्गत छूट प्रदान की गयी थी (अगस्त 2008)। इस एक्ट के अन्तर्गत फर्म को संपरिवर्तन प्रभारों में भी 50 प्रतिशत की छूट राशि ₹ 10.39 लाख की अनुमति दी गयी। तहसीलदार किशनगढ़ की मौका रिपोर्ट में पता चला कि संपरिवर्तन आदेश के छः वर्ष के बाद भी 12.35 बीघा (20,000 वर्ग मीटर) पर केवल 14 उद्योग संचालित थे। निर्मित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का केवल 3.08 प्रतिशत था। शेष क्षेत्र नवम्बर 2016 तक खाली था। सिलिंग अधिनियम में छूट की शर्त के अनुसार तीन साल के भीतर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए था, विफल होने पर छूट वापस ली जानी चाहिए थी।

विभाग में ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे यह निगरानी की जा सके कि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया अथवा संपरिवर्तन प्रभारों की अतिरिक्त राशि की प्राप्ति के बाद समय में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले में वसूली/जांच करने एवं एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, अजमेर को निर्देश जारी कर दिये गये।

संपरिवर्तन प्रभारों की कम वसूली/अवसूली

कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों हेतु उपयोग में लेने से पूर्व उसका संपरिवर्तन करवाया जाना आवश्यक है। कृषि भूमि का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए संपरिवर्तन भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का संपरिवर्तन) नियमों, 2007 के अन्तर्गत किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार संपरिवर्तन किये गये थे, अभिलेखों का पुनर्विलोकन नहीं किया गया। आठ चयनित जिलो के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पता चला कि 71 प्रकरणों में ₹ 4.51 करोड़ के संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली नहीं की गयी जिनका उल्लेख अनुच्छेद संख्या 4.4.8.2 एवं 4.4.8.3 में किया गया है।

4.4.8.2 केन्द्रीय सरकार के विभागों/संस्थाओं पर बकाया संपरिवर्तन प्रभार

परिपत्र दिनांक 2 मार्च 1987 के अनुसार, यदि भूमि केंद्रीय सरकार के विभाग/संस्था को आवंटित किया जाती है, तो भूमि का जो भाग आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जावेगा उस पर उस क्षेत्र के लिये निर्धारित आवासीय दर से एवं भूमि का जो भाग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जावेगा उस पर उस क्षेत्र के लिये निर्धारित वाणिज्यिक दर से संपरिवर्तन प्रभार प्रभारित किये जावेंगे।

जिला कलक्टर सिरोही और बाड़मेर के भू-आवंटन/संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पता चला कि 8,03,541 वर्ग मीटर सरकारी भूमि केंद्र सरकार के तीन विभागों/उद्यमों को कीमतन आवंटित की गयी (मार्च 2015 से सितंबर 2015)। सम्बन्धित जिला कलक्टर ने भूमि की कीमत जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया। तथापि, सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा

संपरिवर्तन प्रभारों राशि ₹ 3.08 करोड़ का आरोपण एवं वसूली नहीं की गयी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं. जिलें का नाम	आवंटन की दिनांक	विभाग/संस्था का नाम	आवंटन का उद्देश्य	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	वसूलनीय संपरिवर्तन प्रभार (₹ करोड़ में)
1 सिरोही	11 मार्च 2015	भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड	लोजीस्टिक हब	7,73,503	0.77 (₹ 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से)
2 बाडमेर	24 सितम्बर 2015	सीमा सुरक्षा बल, बाडमेर	आवासीय कालोनी	21,942	2.09 (विक्रय मूल्य ₹ 27.86 करोड़ का 7.5 प्रतिशत की दर से)
3 बाडमेर	11 जून 2015	राज वेस्ट पावर लिमिटेड, भदरेस	आवासीय कालोनी	8,096	0.22 (विक्रय मूल्य ₹ 2.96 करोड़ का 7.5 प्रतिशत की दर से)
योग				**8,03,541**	**3.08**

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले में वसूली/जांच करने एवं सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, बाडमेर एवं सिरोही को निर्देश जारी किये गये।

4.4.8.3 संपरिवर्तन प्रभारों का कम आरोपण/अनारोपण/कम वसूली/अवसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियमों, 2007 के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमियों के अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिये प्रीमियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों[26] पर प्रभार्य होगा। संपरिवर्तन प्रभार कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों या पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शायेनुसार खरीद दर (क्रय दर), इनमें से जो भी अधिक हो पर लिया जायेगा।

- **संस्थागत प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग**

जिला कलक्टर पाली के संपरिवर्तन अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (अगस्त 2016) कि ग्राम जावली, तहसील रानी (पाली) में स्थित 62,705 वर्ग मीटर (6.27 हेक्टेयर) खातेदारी भूमि एक खातेदार के पक्ष में संस्थागत प्रयोजन के लिए रूपान्तरित की गयी (नवंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि पटवारी जावली की मौका रिपोर्ट (2 अगस्त 2015) के अनुसार सम्पूर्ण भूमि का उपयोग संस्थागत प्रयोजन के लिए किया गया। तथापि, विभाग ने संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जा रहे कुल क्षेत्रफल

[26] **आवासीय कालोनी:** ₹ 7.5 प्रति वर्ग मीटर अथवा जिला स्तरीय समिति की कृषि दर का 7.5 प्रतिशत अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शायी गई कृषि भूमि के क्रय मूल्य का 7.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
वाणिज्यिक उद्देश्य: ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर अथवा जिला स्तरीय समिति की कृषि दर का 10 प्रतिशत अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शायी गई कृषि भूमि के क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
संस्थागत उद्देश्य: ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर अथवा जिला स्तरीय समिति की कृषि दर का 10 प्रतिशत अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शायी गई कृषि भूमि के क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
औद्योगिक उद्देश्य: ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर अथवा जिला स्तरीय समिति की कृषि दर का 5 प्रतिशत अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शायी गई कृषि भूमि के क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(62,705 वर्ग मीटर) के लिए चार गुणा शुल्क[27] ₹ 17.33 लाख[28] के स्थान पर केवल निर्मित क्षेत्र (5,604 वर्ग मीटर) के लिए ₹ 5.50 लाख वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.83 लाख की कम वसूली हुयी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017 में)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

- **औद्योगिक (ईंट भट्टा) प्रयोजन**

जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अगस्त 2016) कि सात मामलों में 86,780 वर्ग मीटर खातेदारी भूमि सात खातेदारों के पक्ष में कृषि से औद्योगिक (ईंट भट्टा) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गयी (जनवरी 2013 से सितंबर 2015)। खातेदारों ने ₹ 4.34 लाख[29] संपरिवर्तन प्रभारों का भुगतान किया। तहसीलदार सादुलशहर और श्री विजयनगर की मौका रिपोर्टों (अगस्त 2016) से पता चला कि ईंट भट्टों के मालिकों द्वारा 1,50,490 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग ईंट भट्ठा प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जबकि, उन्हें केवल 86,780 वर्ग मीटर भूमि के लिए अनुमति थी। इस प्रकार, 63,710 वर्ग मीटर[30] भूमि अनियमित रूप से उपयोग में ली जा रही थी। इसलिए, बिना नियमन के उपयोग में ली जा रही भूमि के लिए चार गुणा संपरिवर्तन प्रभार ₹ 12.74 लाख आरोपणीय एवं वसूलनीय रहे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017)। विभाग ने उत्तर में बताया (जुलाई 2017) कि दो मामलों में संपूर्ण राशि ₹ 2.02 लाख वसूल कर ली गयी एवं पांच मामलों में जांच/वसूली प्रगति पर रही। समापन परिचर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि मामले को देखा जावेगा।

- **आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजन**

तहसीलदार पाली (जिला पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच में पाया गया कि तहसीलदार पाली द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया (फरवरी 2015 से अक्टूबर 2015) और यह पाया गया कि 45 मामलों में 3,13,391 वर्ग मीटर खातेदारी भूमि का उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन के बिना गैर-कृषि उद्देश्य जैसे आवासीय/व्यावसायिक के लिए किया जा रहा था। कलक्टर ने दोषियों द्वारा अनाधिकृत रूप से उपयोग में ली जा रही भूमि के लिए चार गुणा

---

[27] इसके अतिरिक्त, नियम 13 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का बिना अनुमति के गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया हो तो वह संपरिवर्तन प्रभारों का चार गुना राशि जमा करवाकर मामले के नियमितिकरण के लिए निर्धारित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

[28] ₹ 17.33 लाखः 62,705 X ₹ 6.91 प्रति वर्ग मीटर जिला स्तरीय समिति की दरों के अनुसार X 4 गुणा।

[29] ₹ 4.34 लाखः 86,780 X ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर।

[30] 63,710 वर्ग मीटरः 1,50,490 वर्ग मीटर (–) 86,780 वर्ग मीटर।

संपरिवर्तन प्रभारों ₹ 94.78 लाख जमा करवाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	भू-उपयोग की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	उपयोग में ली गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	लागू दरें (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वसूलनीय संपरिवर्तन प्रभार (क्षेत्रफल X दर X 4)
1	आवासीय कालोनी	39	3,05,788	7.50	91.74
2	वाणिज्यिक	6	7,603	10	3.04
	योग	45	3,13,391		94.78

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले में वसूली/जांच करने एवं सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, पाली को निर्देश जारी किये गये।

- **भूमि की कीमत की गलत दरों से गणना**

तीन जिला कलेक्टरों[31] के संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (नवंबर 2015 और अप्रैल 2016) कि खातेदारी भूमि चार मामलों में औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं एक मामले में संस्थागत प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गयी (जुलाई 2012 से अगस्त 2014)। संपरिवर्तन आदेशों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा संपरिवर्तन प्रभारों की गणना भूमि के क्रय मूल्य पर नही की गयी तथा भूमि के क्रय मूल्य के आधार पर ₹ 27.63 लाख के स्थान पर भूमि की बाजार दर के आधार पर ₹ 11.09 लाख की वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 16.54 लाख का कम आरोपण एवं कम वसूली हुयी।

समापन परिचर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि मामले को देखा जावेगा।

- **संपरिवर्तन प्रभारों में छूट की अवसूली**

राज्य सरकार ने 'कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 (नीति)' लागू की (जुलाई 2010)। नीति के क्लॉज 11 सहपठित राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना) के अनुसार यदि भूमि का संपरिवर्तन कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय के लिये किया जाता है तो भूमि के औद्योगिक संपरिवर्तन प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट देय है। इसके अतिरिक्त, भूमि के आवंटन की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में योजना के तहत दिया गया लाभ वापस लिया जावेगा तथा जिस तारीख से लाभ दिया गया है उस तारीख से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जावेगा।

यह देखा गया कि संपरिवर्तन आदेशों की शर्तो की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं था। इसलिए, विभागीय प्राधिकारी लाभार्थियों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किये बिना विक्रय किये जाने के बारे में अनजान रहे।

जिला कलक्टर सिरोही के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 11 मामलों में खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि का कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी सिरोही और रेवदर ने 50 प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभारों सहित भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश

[31] बीकानेर, जयपुर एवं टोंक।

इस शर्त पर जारी किये (दिसंबर 2014 से मार्च 2016) कि लाभार्थियों द्वारा भूमि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये पांच वर्षों के भीतर कर लिया जावेगा। यह पाया गया कि लाभार्थियों ने संपरिवर्तित भूमि पर कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना किये बिना ही संपरिवर्तन के चार दिनों से दस माह की अवधि के भीतर बेच दिया (अक्टूबर 2015 और जून 2016)। इस प्रकार, लाभार्थियों द्वारा संपरिवर्तन प्रभारों में ली गई छूट ₹ 5.75 लाख के अतिरिक्त 18 प्रतिशत की दर से ब्याज ₹ 0.56 लाख वापस लिया जाना आवश्यक था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले में वसूली/जांच करने एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, सिरोही को निर्देश जारी किये गये।

4.4.8.4 नियमितिकरण प्रभारों का कम आरोपण/अवसूली

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित या औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही कृषि भूमियों के नियमतीकरण प्रभार उस क्षेत्र की कृषि भूमियों के मूल्य के दोगुने के बराबर होंगे।

भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियमों 1959 के नियम 13ए के अनुसार कोई सरकारी कृषि भूमि 15 जुलाई 1994 तक बिना आवंटन के औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग की गयी हो तो उसे पड़ोस में स्थित भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के भुगतान पर नियमित किया जा सकेगा। अगर भूमि ऐसे कस्बों/गांवों में थी जो किसी नगर पालिका में शामिल नहीं थे एवं उनकी जनसंख्या आठ हजार से ज्यादा थी, तो शास्ति भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य से ज्यादा नहीं होगी।

- जिला कलक्टर, जयपुर के संपरिवर्तन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गांव बासड़ी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित 4.39 बीघा सरकारी भूमि एक कंपनी के कब्जे में थी। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि पर चीनी मिट्टी को धोने के लिए एक संयंत्र वर्ष 1967-68 से बिना नियमितिकरण के चल रहा था। भूमि का नियमितिकरण जून 2015 में किया गया। कलक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति की दरों के दो गुणा से नियमितिकरण प्रभारों राशि ₹ 39.39 लाख[32] के स्थान पर जिला स्तरीय समिति की दरों के एक गुणा से ₹ 26.26 लाख[33] मय शास्ति वसूल की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.13 लाख नियमितकरण प्रभारों का कम आरोपण हुआ।

- दूसरे मामले में गांव श्यामपुरा तहसील बस्सी में स्थित 3.95 बीघा सरकारी भूमि एक कंपनी के कब्जे में थी। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि पर बिना नियमितीकरण के एक क्रेशर संयंत्र 15 जुलाई 1994 के पूर्व से चल रहा था। भूमि का नियमितीकरण मार्च 2016 में किया गया। कलक्टर ने जिला स्तरीय समिति की दरों के दो गुणा से राशि ₹ 2.49 करोड़[34] मय शास्ति ₹ 0.83 करोड़ के स्थान पर राशि ₹ 1.66 करोड़[35]

---

[32] ₹ 39.39 लाखः नियमतीकरण प्रभार ₹ 26.26 लाख (₹ 2.99 लाख प्रति बीघा X 4.39 X 2) + शास्ति ₹ 13.13 लाख।

[33] ₹ 26.26 लाखः नियमतीकरण प्रभार ₹ 13.13 लाख (₹ 2.99 लाख प्रति बीघा X 4.39) + शास्ति ₹ 13.13 लाख।

[34] ₹ 2.49 करोड़ः नियमतीकरण प्रभार ₹ 1.66 करोड़ (₹ 21.00 लाख प्रति बीघा X 3.954 X 2) + शास्ति ₹ 83.03 लाख।

[35] ₹ 1.66 करोड़ः नियमतीकरण प्रभार ₹ 83.03 लाख (₹ 21.00 लाख प्रति बीघा X 3.954) + शास्ति ₹ 83.03 लाख।

(नियमितिकरण प्रभारों ₹ 83.03 लाख तथा शास्ति ₹ 83.03 लाख की वसूली के लिये) का नोटिस जारी किया। जिला कलक्टर जयपुर द्वारा कोई राशि वसूल नही की गयी थी (फरवरी 2017)। इसके परिणामस्वरूप, नियमितिकरण प्रभारों ₹ 2.49 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले में वसूली/जांच करने तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला कलक्टर, जयपुर को निर्देश जारी किये गये।

4.4.9 निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को संहिताबद्ध नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार के स्तर पर प्राप्त/निर्णित सभी आवेदनों के लिए केंद्रीकृत अभिलेख संधारित नहीं किये गये।

भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप आवेदन लम्बित रहे। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र नहीं होने के परिणामस्वरूप आरक्षित भूमि लम्बे समय तक उपयोग में नहीं ली जा सकी। निगरानी तंत्र नहीं होने से भूमि का प्रत्यावर्तन या तो नहीं हुआ अथवा देरी से हुआ। शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय का अभाव एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी भूमि की बिक्री से राज्यांश की समय पर प्राप्ति पर निगरानी के लिए प्रणाली नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्यांश की प्राप्ति नहीं हुयी। संपरिवर्तन आदेशों में उल्लेखित नियम और शर्तों की पालना पर निगरानी रखने हेतु ना तो विवरणियों को आवधिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रणाली की स्थापना की गयी ना ही जिला स्तर पर किसी रजिस्टर का संधारण किया गया। नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के परिणामस्वरूप भूमि का अनियमित आवंटन; भूमि की कीमत एवं लीज किराये का कम आरोपण/ अनारोपण/कम वसूली/अवसूली; जिला स्तरीय समिति की गलत दरों का प्रयोग; संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली, इत्यादि रही।

सरकार विचार कर सकती है:

- *सरकारी भूमि के आवंटन में जिला कलेक्टरों द्वारा पालना करने हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित करना जिससे पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित हो सके;*
- *भूमि आवंटन के लिए आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करना;*
- *आरक्षित भूमि के उपयोग की सामयिक समीक्षा के लिए एक तंत्र विकसित करना तथा उपयोग नहीं होने पर, सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भूमि के उद्देश्य को बदलना;*
- *शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भूमि की बिक्री का विवरण राजस्व विभाग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देना ताकि राज्यांश की प्राप्ति पर निगरानी रखी जा सके; तथा*
- *संपरिवर्तन आदेशों की शर्तों की अनुपालना हेतु निगरानी तंत्र को मजबूत करना तथा अनुपालना नहीं होने पर इन आदेशों को वापस लेना।*

अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय होता है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर अधिभार भी आरोपणीय है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग), वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। विभाग के प्रमुख महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हैं। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार इनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 18 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनका नेतृत्व उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) द्वारा किया जाता है तथा यहां 114 उप पंजीयक एवं 413 पदेन[1] उप पंजीयक हैं।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। यहां छः आंतरिक लेखापरीक्षा दल है। इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सम्पादित आंतरिक लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थीः

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2012-13	369	183	186	50.40
2013-14	369	117	252	68.29
2014-15	523	16	507	96.94
2015-16	523	125	398	76.10
2016-17	527	82	445	84.44

स्रोतः महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा होने में कमी 50 प्रतिशत से 97 प्रतिशत रही। विभाग द्वारा कमी का कारण स्टॉफ की अपर्याप्तता होना बताया गया।

यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,117 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः

वर्ष	2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेद	7,747	1,154	711	120	787	598	**11,117**

स्रोतः महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

---

[1] तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

कुल 11,117 अनुच्छेदों में से 7,747 अनुच्छेद पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। बड़ी संख्या में बकाया की स्थिति आंतरिक लेखापरीक्षा के मूल उद्देश्यों को विफल करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा बताई गयी कमियों पर ध्यान केन्द्रीत करने हेतु सरकार द्वारा विभाग को सलाह देने पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण की कार्यवाही समय व्यतीत होने के साथ कठिन हो जायेगी।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 232 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 2,401 प्रकरणों में ₹ 67.98 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा जो मुख्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	1,969	24.37
2	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	391	41.07
3	अन्य अनियमितताऐं: (i) राजस्व से सम्बन्धित (ii) व्यय से सम्बन्धित	 38 3	 2.33 0.21
	योग	**2,401**	**67.98**

वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा 4,746 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 86.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से ₹ 20.23 करोड़ के 1,457 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 3,376 प्रकरणों में ₹ 11.86 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 0.16 करोड़ के 87 प्रकरण वर्ष 2016-17 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 36.20 करोड़ की चर्चा अगले अनुच्छेदों में की गई है।

5.4 लीज डीडों के पंजीकरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

5.4.1 बीस वर्ष से अधिक के लिए जारी लीज डीड

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 33(ए)(iii) में प्रावधान है कि जहां किराया तय हो एवं प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है या नहीं दिया गया है तथा जहां लीज का अभिप्राय 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो या शाश्वतता में हो या जहां अवधि का उल्लेख नहीं हो, मुद्रांक कर[2] संपत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से प्रभार्य होगा। इसके अतिरिक्त, इस आर्टिकल के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लीज की अवधि में न केवल दस्तावेज में बतायी गयी अवधि शामिल होगी बल्कि ऐसी अवधि के साथ पिछली सभी अवधियों का योग भी शामिल होगा जो इस अवधि के तत्काल पूर्व में बिना किसी अन्तराल के हो जिसमें पट्टेदार एवं पट्टेदाता समान हो।

5.4.1.1 उप पंजीयक, बहरोड़ (अलवर) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2016) कि 5 मार्च 2013 को पट्टेदाता एवं पट्टेदार के मध्य 15 वर्षों की अवधि के लिए लीज डीड का निष्पादन हुआ। तत्पश्चात, 7 अक्टूबर 2015 को लीज डीड की अवधि के दौरान 19 वर्ष एवं 11 महीने की अवधि के लिए, उन्हीं निष्पादनकर्ताओं के मध्य एक नयी लीज डीड का निष्पादन किया गया। इस प्रकार, निष्पादित लीज डीड पहले निष्पादित लीज डीड की निरन्तरता में थी तथा इसे 20 वर्षों से अधिक के लिए निरंतरता में जारी लीज डीड मानी जानी चाहिए थी। इसलिए, मुद्रांक कर संपत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से वसूलनीय था। तथापि, उप पंजीयक ने दस्तावेज़ को 20 वर्ष से कम की लीज डीड के रूप में वर्गीकृत किया तथा संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 10.33 करोड़ पर ₹ 67.14 लाख[3] के स्थान पर दो वर्ष के औसत किराया ₹ 3.12 लाख पर पांच प्रतिशत की दर से अनियमित रूप से ₹ 0.21 लाख[4] मुद्रांक कर वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 66.93 लाख का कम आरोपण रहा।

5.4.1.2 उप पंजीयक, पोकरण (जैसलमेर) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (दिसंबर 2016) कि 16 सितंबर 1997 को पट्टादाता तथा पट्टेदार के मध्य 20 वर्षों की अवधि के लिए एक लीज डीड का निष्पादन हुआ। लीज डीड को 11 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दिया गया तथा उसी दिन उन्हीं निष्पादनकर्ताओं के मध्य 19 वर्षों की अवधि के लिए एक नयी लीज डीड का निष्पादन किया गया। इस प्रकार, निष्पादित लीज डीड पहले से निष्पादित लीज डीड की निरन्तरता में थी तथा इसे 20 वर्ष से अधिक के लिए निरंतर लीज डीड माना जाना चाहिए था। इसलिए, संपत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय था। तथापि, उप पंजीयक ने दस्तावेज को 20 वर्ष से कम की लीज डीड के रूप में वर्गीकृत किया तथा संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 14.12 करोड़ पर ₹ 78.18 लाख[5] के स्थान पर अनियमित रूप से दो वर्ष के औसत किराया ₹ 3.60 लाख पर

---

[2] मुद्रांक करः 8 जुलाई 2009 से पांच प्रतिशत की दर से।

[3] ₹ 67.14 लाखः मुद्रांक कर ₹ 51.64 लाख, सरचार्ज ₹ 5.17 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 10.33 लाख।

[4] ₹ 0.21 लाखः मुद्रांक कर ₹ 0.16 लाख, सरचार्ज ₹ 0.02 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.03 लाख।

[5] ₹ 78.18 लाखः मुद्रांक कर ₹ 70.62 लाख, सरचार्ज ₹ 7.06 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.50 लाख।

पांच प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर ₹ 0.23 लाख[6] की वसूली की । इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 77.95 लाख का कम आरोपण रहा ।

5.4.1.3 उप पंजीयक मांगरोल (बारां) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया (नवंबर 2016) कि 17 मार्च 2016 को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टादाता तथा पट्टेदार के मध्य एक लीज डीड का निष्पादन हुआ । लीज डीड का निष्पादन 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिए किया गया, इसलिए, मुद्रांक कर संपत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से वसूलनीय था । तथापि, उप पंजीयक ने दस्तावेज़ को 20 वर्ष से कम की लीज डीड के रूप में वर्गीकृत किया तथा संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 1.67 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 11.66 लाख[7] के स्थान पर अनियमित रूप से दस्तावेज में अंकित मूल्य ₹ 5.40 लाख पर दो प्रतिशत राशि ₹ 0.18 लाख[8] वसूल किये । इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 11.48 लाख का कम आरोपण रहा ।

इन प्रकरणों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.56 करोड़[9] का कम आरोपण रहा ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017) । सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये हैं ।

5.4.2 किराये के अतिरिक्त प्रीमियम इत्यादि के लिये जारी लीज डीड

अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार जहां पट्टा आरक्षित किराये के अतिरिक्त जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम राशि या अग्रिम विकास शुल्क या अग्रिम सुरक्षा शुल्क के लिये स्वीकृत किया गया हो लेकिन ऐसी अग्रिम राशि या अग्रिम विकास शुल्क या अग्रिम सुरक्षा राशि वापसी योग्य हो तथा पट्टा दस वर्ष तक की अवधि के लिये प्रस्तावित हो तो मुद्रांक कर सम्पूर्ण अवधि के लिये किराये के एक प्रतिशत की दर से, जो कि आवासीय सम्पत्तियों के अलावा अन्य सम्पत्तियों की लीजों पर न्यूनतम ₹ 5,000 प्रभार्य होगा ।

उप पंजीयक, नाथद्वारा के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 2016) कि एक होटल की स्थापना के लिये कुल दस वर्ष की अवधि के लिये एक पट्टेदार के पक्ष में एक लीज डीड का निष्पादन किया गया (10 अगस्त 2015) । पट्टेदार ₹ 18 लाख की ब्याज-मुक्त लौटाये जाने योग्य अग्रिम राशि जमा करवाने तथा ₹ 6 लाख मासिक किराया अदा करने, जो कि प्रति तीन वर्ष के पश्चात दस प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना था, अदा करने के लिये सहमत हुआ । उप पंजीयक ने कुल किराया राशि ₹ 8.02 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक कर ₹ 16.84 लाख[10] के स्थान पर दो वर्ष के औसत किराया राशि ₹ 1.44 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 4.61 लाख[11] वसूल किये । इसके

---

[6] ₹ 0.23 लाखः मुद्रांक कर ₹ 0.18 लाख, सरचार्ज ₹ 0.02 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.03 लाख ।

[7] ₹ 11.66 लाखः मुद्रांक कर ₹ 8.33 लाख, सरचार्ज ₹ 1.67 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.66 लाख ।

[8] ₹ 0.18 लाखः मुद्रांक कर ₹ 0.11 लाख, सरचार्ज ₹ 0.02 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.05 लाख ।

[9] ₹ 1.56 करोड़ः (₹ 66.93 लाख + ₹ 77.95 लाख + ₹ 11.48 लाख) ।

[10] ₹ 16.84 लाखः मुद्रांक कर ₹ 8.02 लाख, सरचार्ज ₹ 0.80 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 8.02 लाख ।

[11] ₹ 4.61 लाखः मुद्रांक कर ₹ 2.88 लाख, सरचार्ज ₹ 0.29 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 लाख ।

परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 12.23 लाख[12] का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है।

5.4.3 स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित लीज डीड

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के कन्वैन्स के दस्तावेज पर मुद्रांक कर[13] सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर देय होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (14 जुलाई 2014) कि स्थानीय निकायों[14] द्वारा निष्पादित लीज डीड, जो कि उनके द्वारा आवंटित एवं बेची गयी भूमि के लिये हो, यदि दस्तावेज निष्पादन के आठ माह के बाद प्रस्तुत किया गया हो, तो उस पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रीमियम का 150 प्रतिशत तथा अदा किये गये अन्य शुल्क जिसमें की ब्याज या जुर्माना, यदि दस्तावेज पर लगाया गया हो तथा दो वर्ष का औसत किराया राशि, जो भी अधिक हो, पर देय होगा।

उप पंजीयक, सांगानेर-II (जयपुर) तथा बानसुर (अलवर) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 2016 एवं मार्च 2017) कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायत (बानसुर एवं रामपुर) द्वारा सांगानेर (जयपुर) तथा ग्राम बानसुर एवं रामपुर (अलवर) में स्थित आवासीय भू-खण्डों के पांच दस्तावेज चार निष्पादनकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित किये गये (जुलाई 2009 से अक्टूबर 2014)। ये दस्तावेज लीज डीड के रूप में पंजीबद्ध थे (सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015)। ये दस्तावेज पंजीकरण के लिये लीज डीडों के निष्पादन के आठ माह से अधिक समय के बाद प्रस्तुत किये गये। उप पंजीयक ने लीज डीडों के पंजीकरण के समय इस विलंब को नजरअंदाज करते हुये एक दस्तावेज में अंकित मूल्य ₹ 51.33 लाख पर मुद्रांक कर ₹ 3.34 लाख[15] वसूल किये तथा बकाया चार दस्तावेजों में प्रत्येक दस्तावेज पर मात्र ₹ 1,050[16] वसूल किये। तथापि, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 6.01 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 36.51 लाख[17] वसूल किये जाने चाहिये थे। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 33.13 लाख[18] का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि चार दस्तावेजों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी कर दिये गये तथा एक दस्तावेज में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

[12] ₹ 12.23 लाख: ₹ 16.84 लाख (-) ₹ 4.61 लाख।
[13] मुद्रांक कर: 8 जुलाई 2009 से पांच प्रतिशत की दर से।
[14] स्थानीय निकायों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, शहरी विकास न्यास, ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों इत्यादि।
[15] ₹ 3.34 लाख: मुद्रांक कर ₹ 2.57 लाख, सरचार्ज ₹ 0.26 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.51 लाख।
[16] ₹ 1,050: मुद्रांक कर ₹ 500, सरचार्ज ₹ 50 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 500।
[17] ₹ 36.51 लाख: मुद्रांक कर ₹ 27.73 लाख, सरचार्ज ₹ 2.77 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.01 लाख।
[18] ₹ 33.13 लाख: ₹ 36.51 लाख (-) ₹ 3.38 लाख (₹ 3.34 लाख + ₹ 0.04 लाख (1,050 X 4))।

5.5 1,000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार 1,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होगी।

चार उप पंजीयकों[19] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017) कि कृषि भूमि से सम्बन्धित 25 दस्तावेज विक्रय विलेखों के रूप में पंजीबद्ध थे (अप्रैल 2015 से मार्च 2016)। इन विक्रय विलेखों की विस्तृत जांच में पता चला कि इन भूमियों का विक्रय योग्य क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर तक था। उप पंजीयक ने भूमियों को आवासीय दर के अनुसार ₹ 8.71 करोड़ के स्थान पर कृषि दर से ₹ 90.78 लाख पर मूल्यांकित किया तथा मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 56.68 लाख[20] के स्थान पर ₹ 5.74 लाख[21] का आरोपण किया। कृषि भूमियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 50.94 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि 12 दस्तावेजों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा 13 दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये।

5.6 कम्पनियों के समामेलन/अविलिनीकरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/ अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(iii) के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के तहत किसी कम्पनी के समामेलन, अविलिनीकरण अथवा पुनर्गठन के आदेश पर वसूलनीय मुद्रांक कर जो कि अधिकतम 25 करोड़ है निम्न दरों से प्रभार्य हैः

(i) समामेलन, अविलिनीकरण या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आवंटित या रद्द किये गये शेयरों के बाजार मूल्य में समाविष्ट कुल राशि या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य में से जो भी अधिक हो तथा संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर रकम, अथवा

(ii) ट्रांसफरर कम्पनी की राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर रकम

जो भी अधिक हो।

5.6.1 उप पंजीयक, जयपुर-VIII के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अगस्त 2016) कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड़ (रीको), निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, सीतापुरा जयपुर एवं एक कम्पनी 'एक्स' के मध्य निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, सीतापुरा में स्थित 4,467 वर्गमीटर के औद्योगिक भू-खण्डों एफ-214 एवं जी-215 के लिये एक दस्तावेज का संशोधित लीज डीड[22] के रूप में पंजीयन हुआ (22 दिसम्बर 2015)।

---

[19] गनौडा (बांसवाडा), नीमराना (अलवर), रामगढ (अलवर) तथा उदयपुर-I

[20] ₹ 56.68 लाखः मुद्रांक कर ₹ 43.53 लाख, सरचार्ज ₹ 4.60 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 8.55 लाख।

[21] ₹ 5.74 लाखः मुद्रांक कर ₹ 4.38 लाख, सरचार्ज ₹ 0.45 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.91 लाख।

[22] लीज डीड का निष्पादन ट्रांसफरर कम्पनी की संपत्तियों को ट्रांसफरी कम्पनी में स्थानान्तरण हेतु किया गया था।

संशोधित लीज डीड तथा संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत जांच में पता चला कि संशोधित लीज डीड राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के तहत पारित समामेलन आदेश (29 मई 2009) जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज जयपुर द्वारा प्रमाणित (16 जुलाई 2009) था की अनुपालना में कम्पनी 'वाई' (ट्रांसफरर कम्पनी) की संपत्तियों को कम्पनी 'एक्स' (ट्रांसफरी कम्पनी) में स्थानान्तरण के उद्देश्य हेतु पंजीबद्ध थी। समामेलन आदेश के पैरा संख्या 2.1 के अनुसार ट्रांसफरर कम्पनी की 'इश्यूड, सबस्क्राईबड एवं पेड-अप पूँजी' दिनांक 31 मार्च 2008 को ₹ 48.49 लाख थी। भूमि का बाजार मूल्य जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की दरों के अनुसार ₹ 2.68 करोड़[23] था। तथापि, उप पंजीयक ने संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 2.68 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 14.47 लाख[24] वसूल नहीं किये जो कि अधिक था तथा मात्र ₹ 300[25] मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के रूप में वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 14.47 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

5.6.2 उप पंजीयक, बहरोड़ (अलवर) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2016) कि रीको, जयपुर एवं एक कम्पनी 'ए' के मध्य, रीको औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) में स्थित 78,724 वर्गमीटर[26] औद्योगिक भू-खण्ड के लिये संशोधित लीज डीड के रूप में एक दस्तावेज पंजीबद्ध हुआ (20 अक्टूबर 2015)।

संशोधित लीज डीड तथा संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत जांच में पता चला कि एक कम्पनी 'बी' (अविलिनीकृत कम्पनी) कम्पनी 'ए' से अविलिनीकृत हुयी, जो कि गुवाहटी उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत (16 जुलाई 2014) 'स्कीम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ अरेन्जमेन्ट' पर आधारित था। स्वीकृत अविलीनीकरण के पैरा 2(i) के अनुसार कम्पनी की 'इश्यूड, सबस्क्राईब्ड एवं पेड-अप पूँजी' दिनांक 30 सितम्बर 2013 को ₹ 12.07 करोड़[27] थी। भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी दरों के अनुसार ₹ 24.50 करोड़[28] था। तथापि, उप पंजीयक ने सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 24.50 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.42 करोड़[29] का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.42 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

---

[23] ₹ 2.68 करोड़: 4,467 वर्गमीटर X ₹ 6,000 प्रति वर्गमीटर।

[24] ₹ 14.47 लाख: मुद्रांक कर ₹ 10.72 लाख, सरचार्ज ₹ 1.07 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.68 लाख।

[25] ₹ 300: मुद्रांक कर ₹ 100 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 200

[26] 78,724 वर्गमीटर: भूखण्ड संख्या ई-176 से 179 तथा यूडी-I(ए) का 49,244 वर्गमीटर + भूखण्ड संख्या एसपी-2, एसपी-182, जी-180 (ए एवं बी) तथा जी-180 (डी एवं ई) का 29,480 वर्गमीटर।

[27] ₹ 12.07 करोड़: 2,41,36,374 इक्विटी शेयर ₹ 5 प्रत्येक।

[28] ₹ 24.50 करोड़: ₹ 9.73 करोड़ (29,480 वर्गमीटर X ₹ 3,000 डीएलसी दर + कॉर्नर भूखण्ड के लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त) + ₹ 14.77 करोड़ (49,244 वर्गमीटर X ₹ 3,000 डीएलसी दर)।

[29] ₹ 1.42 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 98.01 लाख, सरचार्ज ₹ 19.60 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 24.50 लाख।

5.7 उपहार विलेखों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/अनारोपण

पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार वसीयती पत्रों से भिन्न लेख्यपत्र जिनका अभिप्राय ₹ 100 और उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति में या के लिये, वर्तमान या भविष्य में चाहे नियमित हो या आकस्मिक, कोई अधिकार, स्वत्व या हित बताने, घोषित, निर्दिष्ट, सीमित या समाप्त करता हो तो उसका पंजीयन अनिवार्य है।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 31 के अनुसार उपहार के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से प्रभार्य होगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 द्वारा निर्धारित किया कि अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तेदारों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के उपहार विलेखों पर, प्रकरणानुसार मुद्रांक कर 2.5 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

5.7.1 उप पंजीयक कार्यालय से सम्बन्धित प्रकरण

उप पंजीयक उदयपुर-I के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2016) कि 9,11,296 वर्ग फीट आवासीय भूमि का एक उपहार विलेख एक असाईनर द्वारा एक 'असाईनी' के पक्ष में निष्पादित (22 मार्च 2016) किया गया जो कि उसका सगा भाई था। तथापि, उपहार विलेख की जांच में पता चला कि लीज डीड निष्पादित होने से पूर्व ही एक व्यक्ति 'एक्स' ने असाईनर को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। असाईनर के गोद जाने के पश्चात सगे भाई का रिश्ता खत्म[30] हो चुका था, इसलिये मुद्रांक कर की घटी हुयी दरे लागू नहीं थी। तथापि, उप पंजीयक ने सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 15.04 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर ₹ 90.22 लाख[31] के स्थान पर 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 45.11 लाख[32] वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 45.11 का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

5.7.2 लोक कार्यालयों से सम्बन्धित प्रकरण

रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मई 2017) कि एक साझेदारी फर्म के साझेदारों में से एक ने अपनी पत्नी एवं बेटे के पक्ष में दो उपहार विलेख निष्पादित करवाये (11 फरवरी 2015), जो कि नोटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित थे। उपहार विलेखों के माध्यम से भागीदार ने अजमेर रोड़, जयपुर स्थित 54 बीघा भूमि में अपने सम्पूर्ण 45 प्रतिशत हिस्से का स्थानान्तरण किया। भूमि की सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेज में उल्लेखित नहीं थी, इसलिये भूमि का बाजार मूल्य तथा उस पर देय मुद्रांक कर की गणना करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही। ये उपहार विलेख पंजीबद्ध नहीं थे।

[30] हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अनुसार एक दत्तक बच्चा गोद लेने की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिये अपने दत्तक माता या पिता की संतान समझा जावेगा तथा उस तारीख से बच्चे के जन्म के परिवार से संबंध विच्छेदित समझे जावेंगे तथा दत्तक परिवार में गोद लेने के बाद बने संबंध इनकी जगह लेंगे।

[31] ₹ 90.22 लाखः मुद्रांक कर ₹ 75.18 लाख तथा सरचार्ज ₹ 15.04 लाख।

[32] ₹ 45.11 लाखः मुद्रांक कर ₹ 37.59 लाख तथा सरचार्ज ₹ 7.52 लाख।

इस प्रकार उपहार विलेखों के पंजीयन नहीं होने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) से जवाब प्रतीक्षित रहा।

5.8 विकासकर्ता अनुबंध पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण/ अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5(ई) के अनुसार जहां एक अनुबंध या अनुबंध का ज्ञापन, जिसके माध्यम से किसी को जिन्हें प्रोत्साहक या विकासकर्ता जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, को निर्माण या विकास या विक्रय या स्थानान्तरण के प्राधिकार या अधिकार दिये गये हो, उस पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से प्रभार्य होगें। इसके पश्चात सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर (14 जुलाई 2014) उक्त आर्टिकल के तहत निष्पादित अनुबंध पर वसूलनीय मुद्रांक कर की दरों को संशोधित किया। संशोधित दरें निम्नानुसार हैः

(i) भूमि के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत जहां विकासकर्ता या प्रोत्साहक को अनुबन्ध या अनुबन्ध ज्ञापन या पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा विकसित सम्पत्ति के किसी हिस्से को बेचने के अधिकार प्रदान नहीं किये गये हो;

(ii) जहां प्रोत्साहक या विकासकर्ता को किसी अनुबंध या अनुबंध ज्ञापन या पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा विकसित भूमि के किसी भाग को बेचने के अधिकार प्रदान किये गये हो:

   (अ) विकासकर्ता या प्रोत्साहक को विकसित भूमि के समानुपातिक भाग में दिये जाने वाले प्रतिफल के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत तथा

   (ब) भूमि के बचे हुये समानुपातिक भाग के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत।

5.8.1 विकासकर्ता अनुबंध का पंजीयन नहीं होना

धारा 39 में यह प्रावधान है कि अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई दस्तावेज जब तक अधिनियम के तहत सही प्रकार से मुद्रांकित नहीं होगा, किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया हो या प्राप्त हुआ हो, या किसी व्यक्ति या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो, मान्य नहीं होगा। मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर अधिनियम की अनुसूची के प्रावधानों में दर्शाये अनुसार शुल्क देय होगा।

उप पंजीयक आहोर (जालौर) की पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (अगस्त 2016) कि 30 जून 2015 को निष्पादित एक विक्रय विलेख के साथ एक जॉइन्ट वेन्चर डीड संलग्न थी। जॉइन्ट वेन्चर डीड का निष्पादन (15 नवम्बर 2010) 15 व्यक्तियों द्वारा आहोर ग्राम में स्थित उनके स्वयं की 5,04,644 वर्गफीट भूमि को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया गया था। जॉइन्ट वेन्चर डीड पंजीबद्ध नहीं थी, परन्तु यह महाराष्ट्र राज्य में ₹ 525 के मुद्रांक पत्र पर नोटेराइज थी।

उप पंजीयक ने विक्रय विलेखों को अंपजीकृत जॉइन्ट वेन्चर डीड के आधार पर पंजीबद्ध किया, जो कि त्रुटिपूर्ण था। विक्रय विलेख, जॉइन्ट वेन्चर डीड के पंजीयन के पश्चात ही पंजीबद्ध किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप जॉइन्ट वेन्चर डीड की

प्रतिफल राशि ₹ 10.55 करोड़[33] पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 12.66 लाख[34] का अनारोपण रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

5.8.2 विकासकर्ता अनुबंध का गलत वर्गीकरण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज अनुसूची में वर्णित दो या दो से अधिक श्रेणियों के अन्तर्गत आता है, जिनके तहत वसूलनीय शुल्क अलग-अलग हो तो इन शुल्कों में से जो अधिकतम होगा, वह वसूलनीय होगा। विकासकर्ता अनुबंध जहां विकासकर्ता या प्रोत्साहक को अनुबन्ध या अनुबन्ध ज्ञापन या पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा विकसित सम्पत्ति के किसी हिस्से को बेचने के अधिकार प्रदान नहीं किये गये हो, पर मुद्रांक कर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगा।

उप पंजीयक, कोटपूतली (जयपुर) के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (मार्च 2017) कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित 9,780 वर्ग गज भूमि के लिए एक दस्तावेज 19 वर्षो की लीज डीड के रूप में एक लेसर (भू-स्वामी) द्वारा एक लेसी (विकासकर्ता) के पक्ष में पंजीबद्ध (2 दिसम्बर 2015) करवाया गया था। लीज डीड के वर्णन में पता चला कि लेसी को भूमि 19 वर्ष के लिये लीज पर दी गयी थी तथा लीज के नियम एवं शर्तों के अनुसार लेसी को भूमि पर एक होटल विकसित करनी थी तथा लीज अवधि समाप्ति के पश्चात भूमि मय निर्माण लेसर को लौटायी जानी थी। होटल के निर्माण की लागत देय किराये की राशि में समायोजित की जानी थी। लेसी के द्वारा होटल विकसित की जानी थी तथा लीज अवधि पूर्ण होने के पश्चात लेसर को लौटायी जानी थी इसलिये दस्तावेज को विकासकर्ता अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार निष्पादित दस्तावेज दो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आता था, जिनमें से एक विकासकर्ता अनुबंध तथा दूसरा लीड डीड से सम्बन्धित था। विकासकर्ता अनुबंध पर संपत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 11.37 करोड़ पर देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 13.01 लाख[35] था। तथापि, उप पंजीयक ने मुद्रांक कर के आरोपण के लिये दस्तावेज को लीज डीड के रूप में वर्गीकृत किया तथा अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 33(ii) के अन्तर्गत दो वर्ष के औसत किराये के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर कन्वैन्स की दर से आरोपित किया। इस प्रकार उप पंजीयक ने ₹ 13.01 लाख[36] के स्थान पर अनियमित रूप से मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.63 लाख[37] आरोपित किये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 11.38 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

---

[33] ₹ 10.55 करोड़: 5,04,644 वर्गफीट X ₹ 209 प्रति वर्गफीट डीएलसी दरों के अनुसार।

[34] ₹ 12.66 लाख: मुद्रांक कर ₹ 10.55 लाख, ₹ 10.55 करोड़ के एक प्रतिशत की दर से तथा सरचार्ज ₹ 2.11 लाख।

[35] ₹ 13.01 लाख: मुद्रांक कर ₹ 11.37 लाख, सरचार्ज ₹ 1.14 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.50 लाख।

[36] ₹ 13.01 लाख: मुद्रांक कर ₹ 11.37 लाख, सरचार्ज ₹ 1.14 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.50 लाख।

[37] ₹ 1.63 लाख: मुद्रांक कर ₹ 1.26 लाख, सरचार्ज ₹ 0.12 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.25 लाख।

5.9 अचल सम्पत्तियों के विभाजन विलेखों पर मुद्रांक कर का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार जहां किसी सम्पत्ति के सह-भागीदार सम्पत्ति को कई भागों में विभाजन करते हैं या सम्पत्ति को विभाजित करने के लिये सहमत होते हैं तो ऐसे दस्तावेज पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के विभाजित भाग या भागों के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से वसूलनीय है। सम्पत्ति के विभाजन से शेष बचे सबसे बड़े हिस्से (यदि दो या दो से अधिक हिस्से समान क्षेत्रफल के हो तो उनमें से एक) को बाकी हिस्सों से अलग माना जावेगा।

चार उप पंजीयकों[38] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 2016 से दिसम्बर 2016) कि अचल सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों के रूप में सात दस्तावेज पंजीबद्ध थे। इन विक्रय विलेखों के वर्णन में पता चला कि सह-भागियों द्वारा सम्पत्तियों के विभाजित हिस्सों को अपनी संयुक्त भूमि के विभाजन के पश्चात बेचा गया। विभाजन विलेखों के पंजीयन के तथ्य को ना तो विक्रय विलेखों में बताया गया ना ही सुलभ संदर्भ के लिये विक्रय विलेखों के साथ पंजीकृत विभाजन विलेखों की प्रतियां संलग्न की गयी है। विभाजन विलेखों के अंपजीयन के परिणामस्वरूप सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 17.59 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.23 करोड़[39] का अनारोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि एक दस्तावेज में निष्पादनकर्ता को वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया तथा शेष छः दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये।

5.10 ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट पर मुद्रांक कर का अनारोपण

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के परिपत्र संख्या 06/2009 के अनुसार फर्म/कम्पनी के विधिक स्वरूप में परिवर्तन के दस्तावेज पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार वसूलनीय है।

5.10.1 साझेदारी फर्म का कम्पनी के रूप में पंजीयन

लेखापरीक्षा ने विक्रय/पट्टा विलेख के दो दस्तावेजों में फर्मों के विधिक स्वरूप में परिवर्तन पाया। सम्बन्धित उप पंजीयक ने विक्रय/पट्टा विलेखों के पंजीयन के समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया। दस्तावेज जिनके आधार पर विधिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ के निष्पादन पर सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 98.53 करोड़[40] पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 5.91 करोड़[41] आरोपित किया जाना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 5.91 करोड़ का निम्नानुसार अनारोपण रहा:

---

[38] चित्तौडगढ, लूणी (जोधपुर), उदयपुर-I तथा उदयपुर-II

[39] ₹ 1.23 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 87.93 लाख, सरचार्ज ₹ 17.59 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 17.59 लाख।

[40] ₹ 98.53 करोड़: उप पंजीयक, जयपुर-III (दस्तावेज संख्या 176/16): ₹ 82.83 करोड़ (5,045.02 वर्गमीटर X ₹ 1,64,180 प्रति वर्गमीटर) + उप पंजीयक, उदयपुर-I (दस्तावेज संख्या 1332/15): ₹ 15.70 करोड़ (56,651 वर्गफीट X ₹ 2,771 प्रति वर्गफीट)।

[41] ₹ 5.91 करोड़: उप पंजीयक, जयपुर-III: ₹ 4.97 करोड़ (मुद्रांक कर ₹ 4.14 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 0.83 करोड़) + उप पंजीयक उदयपुर-I: ₹ 94.19 लाख (मुद्रांक कर ₹ 78.49 लाख तथा सरचार्ज ₹ 15.70 लाख)।

- उप पंजीयक, जयपुर-III के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (सितम्बर 2016) कि एक दस्तावेज पट्टा विलेख के रूप में पंजीबद्ध था (जनवरी 2016)। पट्टा विलेख की जांच में पाया गया कि एक कम्पनी (लेसर) ने अपनी व्यवसायिक सम्पत्ति एक लेसी (एसएसएल) को पट्टे पर दी थी। पट्टा विलेख के वर्णन से पता चला कि पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति एक साझेदारी फर्म (मैसर्स केजीआर) के द्वारा खरीदी गयी थी (18 नवम्बर 2006)। साझेदारी फर्म ने अपना विधिक स्वरूप एक कम्पनी (केजीआर प्रा.लि.) में परिवर्तित (18 नवम्बर 2010) कर लिया था। साझेदारी फर्म से कम्पनी में विधिक स्वरूप के परिवर्तन से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख ना तो पट्टा विलेख में किया गया और ना ही पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न की गयी। सम्बन्धित उप पंजीयक ने पट्टा विलेख के पंजीयन के समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया। बाजार मूल्य ₹ 82.78 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 4.97 करोड़ देय रहा।

- इसी प्रकार, उप पंजीयक, उदयपुर-I के एक अन्य प्रकरण में यह पाया गया (अक्टूबर 2016) कि एक दस्तावेज विक्रय-विलेख के रूप में पंजीबद्ध था (अप्रैल 2015)। विक्रय विलेख की जांच में पाया गया कि एक कम्पनी (विक्रेता) ने अपनी व्यवसायिक सम्पत्ति एक व्यक्ति को बेची थी। विक्रय विलेख के वर्णन से पता चला कि बेची गयी सम्पत्ति एक साझेदारी फर्म द्वारा खरीदी गयी (14 अक्टूबर 2009) थी। साझेदारी फर्म ने कम्पनी अधिनियम के तहत अपने विधिक स्वरूप को कम्पनी में परिवर्तित (1 अप्रैल 2008) कर लिया। साझेदारी फर्म से कम्पनी में विधिक स्वरूप के परिवर्तन से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख ना तो विक्रय विलेख में किया गया और ना ही एक पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न की गयी। सम्बन्धित उप पंजीयक ने विक्रय विलेख के पंजीयन के समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया। बाजार मूल्य ₹ 15.70 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 94.19 लाख देय रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने लेखापरीक्षा मत से सहमति जताई तथा बताया (अक्टूबर 2017) कि उप-महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये।

5.10.2 सीमित दायित्व भागीदारी का पंजीयन

राज्य सरकार की अधिसूचना (मार्च 2017) के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन सम्बन्धित दस्तावेज जो कि 31 मार्च 2009 को या इसके पश्चात निष्पादित किया गया हो, पर पंजीयन शुल्क हस्तानान्तरित सम्पत्तियों के मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा।

चार उप पंजीयकों[42] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2017 से फरवरी 2017) कि अचल संपत्तियों से सम्बन्धित सात दस्तावेज विक्रय विलेख के रूप में पंजीबद्ध (मई 2015 से मार्च 2016) थे। इन विक्रय विलेखों की जांच में पता चला कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध

---

[42] उप पंजीयकः जयपुर-I, II, IV तथा VI

छः प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा एक लिमिटेड कम्पनी के पक्ष में भूमि आवंटित की गयी थी। इन विक्रय विलेखों के वर्णन में पता चला कि कम्पनियों ने भूमि खरीदने के पश्चात अपना विधिक स्वरूप सीमित दायित्व साझेदारी में परिविर्तित कर लिया था। कम्पनियों से सीमित दायित्व साझेदारी में विधिक स्वरूप परिवर्तन के पंजीयन से सम्बन्धित तथ्य को ना तो विक्रय विलेख में दर्शाया गया और ना ही प्रतियां संलग्न की गयी। सम्बन्धित उप पंजीयकों ने विक्रय विलेखों के पंजीयन के समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि स्थानान्तरित की गयी सम्पत्तियों के मूल्य ₹ 85.17 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 51.10 लाख[43] आरोपित किया जाना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 51.10 लाख का अनारोपण रहा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने अक्टूबर 2017 में बताया कि एक दस्तावेज में निष्पादनकर्ता को वसूली के लिये नोटिस जारी किया गया तथा छः दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवाये गये।

5.11 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना)[44], 2010 के क्लॉज 5 के अनुसार जिस उद्यम को हकदारी प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा वह भूमि के खरीद या लीज के लिये निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। योजना के क्लॉज 3 के प्रावधानानुसार योजना नये उद्यमों, रूग्ण उद्यमों के पुनरूत्थान तथा विद्यमान उद्यमों को उनके आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण/विविधीकरण के लिये निवेश करने पर इस शर्त के अधीन लागू होगी कि योजना की सक्रिय अवधि[45] के दौरान उद्यम को व्यावसायिक संचालन शुरू करना होगा। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 9 में प्रावधान है कि योजना में कहीं भी बतायी गयी किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में योजना के तहत प्राप्त लाभ वापस ले लिया जावेगा तथा पूर्व में प्राप्त लाभ को लाभ प्राप्ति की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूला जावेगा।

उप पंजीयक जयपुर-V के अभिलेखों (लीज डीड एवं विक्रय विलेख) की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2016) कि रीको औद्योगिक क्षेत्र रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा विस्तार, जयपुर में स्थित 14,434 वर्गमीटर औद्योगिक भूखण्ड के लिये एक लीज डीड रीको, सीतापुरा, जयपुर के द्वारा एक कम्पनी के पक्ष में निष्पादित की गयी (दिसम्बर 2010)। कम्पनी ने योजना के तहत लीज डीड के पंजीयन मूल्य ₹ 7.29 करोड़ पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट ₹ 18.23 लाख प्राप्त की। कम्पनी ने उक्त सम्पत्ति को बिना व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये योजना की सक्रिय अवधि के दौरान बेच दिया (अप्रेल 2015)। इस प्रकार योजना के तहत प्राप्त लाभ योजना के क्लॉज 9 के अनुसार ब्याज सहित वसूलनीय था। इसके परिणामस्वरूप, ब्याज ₹ 17.46 लाख सहित मुद्रांक कर ₹ 35.69 लाख[46] की अवसूली रही।

[43] ₹ 51.10 लाख: मुद्रांक कर ₹ 42.58 लाख तथा सरचार्ज ₹ 8.52 लाख।
[44] राज्य में निवेश एवं रोजगार के अवसरों के प्रोत्साहन की एक योजना है।
[45] योजना 25 अगस्त 2010 से प्रभाव में आयी तथा 31 मार्च 2018 तक लागू है।
[46] ₹ 35.69 लाख: मुद्रांक कर में छूट ₹ 18.23 लाख तथा ब्याज ₹ 17.46 लाख।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि उप-महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

5.12 अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा।

अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित या बेची गयी भूमि के लिये निष्पादित लीज डीड पर वसूलनीय मुद्रांक कर, प्रीमियम की राशि तथा प्रतिफल के रूप में अदा किये गये अन्य शुल्क मय ब्याज या जुर्माना यदि दस्तावेज पर लगाया गया हो तथा दो वर्ष की औसत किराया राशि पर देय होगा।

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के द्वारा भूमि की दर निर्धारित की:

(i) संस्थागत प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित या रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही कृषि भूमियों का मूल्य उस क्षेत्र की कृषि भूमियों के मूल्य के दोगुने के बराबर होगा;

(ii) स्थानीय निकायों के द्वारा मिश्रित भू-उपयोग हेतु जारी पट्‌टा/लीज डीड के मामलें में भूमि का मूल्य उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि के मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर होगा।

तेरह उप पंजीयकों[47] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2016 से मार्च 2017) की कृषि/वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थानिक/आवासीय भूमि के 30 दस्तावेजों का पंजीयन विक्रय विलेख/विकासकर्ता अनुबंध/पॉवर ऑफ अटॉर्नी के रूप में हुआ। इन दस्तावेजों के वर्णन से पता चला कि सम्बन्धित उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण कम दरों पर किया। अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज

[47] उप पंजीयकः अलवर-II, अजमेर, बज्जू, बानसूर, भीलवाडा-I, जयपुर-II & V, लालगढ जाटान, कोटपुतली, लालसोट, मुकुन्दगढ, नीमराना तथा उदयपुर- II

एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.80 करोड़ का निम्नानुसार कम आरोपण रहा:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आक्षेप की प्रवृति तथा लागू नियम	मुद्रांक कर देय / आरोपित	मुद्रांक कर का कम आरोपण
1	**लागू दरें सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम थी:** **बीस प्रकरणों में** उप पंजीयकों ने भूमि के मूल्यांकन के लिये जिला स्तरीय समिति की कृषि दरें लागू कीं जबकि इनमें से 14 प्रकरणों में भूमि आवासीय संपरिवर्तित थी तथा छः प्रकरणों में भूमि खनन सम्भावित क्षेत्र के रूप में दर्ज थी अतः जिला स्तरीय समिति की दरें उसी प्रकार से लागू की जानी थी। **तीन प्रकरणों में** उप पंजीयकों ने दस्तावेजों में अंकित मूल्य पर सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जबकि इनमें से दो प्रकरणों में भूमि व्यवसायिक तथा एक प्रकरण में औद्योगिक संपरिवर्तित थी। **दो प्रकरणों में** अन्य क्षेत्र की जिला स्तरीय समिति की दरें, जो कि भूमि से सम्बन्धित नहीं थी, मूल्यांकन के लिये लागू की गयी। (विक्रेता ने मुख्य सडक पर स्थित भूमि के लिये टाउनशिप योजना स्वीकृत करवायी थी, इसलिये मुख्य सडक की जिला स्तरीय समिति की दरें लागू की जानी थीं) (राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58)	5.78 3.26	2.52
2	**एक प्रकरण में** 9 मार्च 2015 की अधिसूचना के अनुसार कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दर के दोगुना के स्थान पर जिला स्तरीय समिति की कृषि दरों को लागू करने से मुद्रांक कर का कम निर्धारण।	0.74 0.41	0.33
3	**एक प्रकरण में** 14 जुलाई 2014 की अधिसूचना के अनुसार मुद्रांक कर का कम निर्धारण हुआ क्योंकि भूमि के बाजार मूल्य की गणना में ब्याज एवं अन्य शुल्क भी शामिल किये जाने थे।	5.37 5.26	0.11
4	**तीन प्रकरणों में** अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के अनुसार जिला स्तरीय समिति की वाणिज्यिक दरों का 75 प्रतिशत मूल्यांकन के रूप में लिया जाना था क्योंकि भू-खण्डों का मिश्रित भू-उपयोग किया जाना था।	3.12 1.28	1.84
	योग	**15.01** **10.21**	**4.80**

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि 20 दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये; एक दस्तावेज में प्रकरण दर्ज किये जाने के बाद निष्पादनकर्ता द्वारा सिविल रिट पिटिशन दायर की गयी; आठ प्रकरणों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा एक प्रकरण में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) का जवाब प्रतीक्षित रहा।

5.13 लोक कार्यालय में प्रस्तुत अथवा निष्पादित दस्तावेजों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण/अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 में यह प्रावधान है कि लोक कार्यालय के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति[48] को उसके सम्मुख प्रस्तुत या कार्यों के निष्पादन के दौरान ऐसा दस्तावेज ध्यान में आने पर जिस पर मुद्रांक कर वसूलनीय है, तो वह ऐसे प्रत्येक दस्तावेज जो कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निष्पादित हुआ है या पहली बार निष्पादित हुआ है, को जांचेगा कि वह दस्तावेज उस समय राज्य में मौजूद नियमों में उल्लेखानुसार मुद्रांकित है। जब एक लोक कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति को निरीक्षण के दौरान अथवा अन्य प्रकार से यह ध्यान में आता है कि कोई दस्तावेज सही रूप से मुद्रांकित, प्रभारित

[48] ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र के जरिये नियुक्त किया गया हो।

नहीं है तो वह उसे जब्त करेगा तथा तत्काल उस प्रकरण को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 की उपधारा 4 के अन्तर्गत कलेक्टर को संदर्भित करेगा।

चार जिलों[49] के 16 लोक कार्यालयों[50] एवं नौ उप पंजीयक कार्यालयों[51] के 2012-13 से 2016-17 की अवधि के अभिलेखों की जांच के दौरान (सितम्बर 2016 से मई 2017) 11 लोक कार्यालयों[52] के 65 प्रकरणों तथा नौ उप पंजीयक कार्यालयों के 14 प्रकरणों में मुद्रांक कर ₹ 18.63 करोड़ के कम आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित निम्नलिखित कमियां पायी गयीं:

5.13.1 अचल सम्पत्तियों का साझेदारी फर्मो/कम्पनियों में योगदान/स्थानान्तरण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अनुसार कन्वैन्स के दस्तावेज पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त अनुसूची के आर्टिकल 43(1)(सी)[53] के अनुसार साझेदारी के दस्तावेज के मामले में जहां अचल सम्पत्ति हिस्से के रूप में अंशदान की गयी हो तो मुद्रांक कर ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के रूप में प्रभार्य होगा।

5.13.1.1 लोक कार्यालयों से सम्बन्धित प्रकरण

चार रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस्[54] के दस्तावेजों की जांच में पाया गया (मई 2017) कि अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान 24 प्रकरणों[55] में ₹ 105.71 करोड़[56] की अचल सम्पत्तियां साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्मों में साझेदारी विलेख के माध्यम से उनकी हिस्सा पूंजी के रूप में अंशदान की गयी। इन साझेदारी विलेखों पर संपत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 105.71 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 6.34 करोड़[57] के स्थान पर प्रत्येक दस्तावेज पर ₹ 500 से ₹ 2,000 की दर से ₹ 0.14 लाख मुद्रांक कर के रूप में वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर ₹ 6.34 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। विभाग ने अक्टूबर 2017 में बताया कि एक दस्तावेज में सम्पूर्ण आक्षेपित राशि ₹ 49.87 लाख वसूल किये गये; 21 दस्तावेजों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये; एक अन्य दस्तावेज में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां एक प्रकरण दर्ज करवाया गया तथा

---

[49] भीलवाडा, जयपुर, कोटा तथा उदयपुर।

[50] नगर निगमः कोटा तथा उदयपुर; नगर परिषद भीलवाडा; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रिय कार्यालय, जयपुर; रीकोः भीलवाडा, बाईस गोदाम (जयपुर), मालवीय नगर (जयपुर), कोटा तथा उदयपुर; रजिस्ट्रार ऑफ फर्मसः भीलवाडा, जयपुर सिटी, कोटा तथा उदयपुर; शहरी विकास न्यासः भीलवाडा, कोटा तथा उदयपुर।

[51] उप पंजीयकः बांसवाडा, बाडमेर, जयपुर-I, जोधपुर- III, झुंझुनु, कोटपुतली, फागी, सुजानगढ (चुरू) तथा उदयपुर- I

[52] नगर परिषद भीलवाडा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर, रजिस्ट्रार ऑफ फर्मसः भीलवाडा, जयपुर, कोटा तथा उदयपुर, रीकोः बाईस गोदाम (जयपुर), मालवीय नगर (जयपुर), कोटा, शहरी विकास न्यासः भीलवाडा तथा उदयपुर।

[53] राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 18) द्वारा 26 मार्च 2012 को जोडा गया।

[54] भीलवाडा, जयपुर, कोटा तथा उदयपुर।

[55] चौबीस प्रकरणः भीलवाडाः 11 प्रकरण; कोटाः 10 प्रकरण; जयपुर शहरः दो प्रकरण तथा उदयपुरः एक प्रकरण।

[56] डीएलसी दरों के अनुसार।

[57] ₹ 6.34 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 5.28 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 1.06 करोड़।

शेष एक प्रकरण में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) से जवाब प्रतीक्षित रहा। सरकार का संशोधित उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2017)।

5.13.1.2 उप पंजीयक कार्यालयों से सम्बन्धित प्रकरण

सात उप पंजीयकों[58] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान विक्रय विलेखों के वर्णन से पता चला (सितम्बर 2016 से फरवरी 2017) कि आठ प्रकरणों में, व्यक्तियों द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि, साझेदारी फर्मों में, उनके हिस्से के रूप में स्थानान्तरित की गयी तथा एक प्रकरण में व्यक्तियों द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि, एक कम्पनी में उनके हिस्से के रूप 26 मार्च 2012 से पूर्व स्थानान्तरित की गयी। व्यक्तिगत स्वामी/स्वामियों (असाइनर्स) ने अपने स्वयं की भूमि असाइनिज (साझेदारी फर्मों/कम्पनी) को हस्तानान्तरित (असाइन्ड) की इसलिये असाइनिज उक्त सम्पत्तियों के एक मात्र स्वामी बन गये। व्यक्तियों के स्वामित्व की ₹ 42.94 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्तियां दूसरों को स्थानान्तरित हो गयी जिस पर मुद्रांक कर ₹ 3.01 करोड़[59] वसूलनीय था। उप पंजीयकों ने विक्रय विलेखों के पंजीयन के समय इसे वसूल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 3.01 करोड़ का अनारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। विभाग ने अक्टूबर 2017 में बताया कि एक दस्तावेज में निष्पादनकर्ता को वसूली के लिये नोटिस जारी किया गया; छः दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवाये गये तथा एक दस्तावेज में आक्षेपित राशि ₹ 4.28 लाख के विरूद्ध ₹ 3.67 लाख वसूल किये गये। एक प्रकरण में विभाग ने लेखापरीक्षा मत से असहमति जताते हुए कहा कि मार्च 2012 से पूर्व अचल सम्पत्तियों के स्थानान्तरण पर कन्वैन्स से मुद्रांक कर के आरोपण सम्बन्धित प्रावधान नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्च 2012 से पूर्व भी अचल सम्पत्तियों के स्थानान्तरण पर आर्टिकल 21 के तहत मुद्रांक कर वसूलनीय था। इसके अतिरिक्त, सरकार दो प्रकरणों में पहले ही लेखापरीक्षा मत से सहमत हो चुकी है जिनमें अचल सम्पत्तियों का स्थानान्तरण मार्च 2012 से पूर्व हुआ था। सरकार का संशोधित उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2017)।

5.13.2 साझेदार की निवृति पर सम्पत्तियों का हस्तांतरण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 43(2)(ए) के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन या साझेदार के निवृत्त होने पर एक साझेदार द्वारा सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त किया जाता है और सम्पत्ति का यह हिस्सा उस साझेदार से भिन्न दूसरे साझेदार द्वारा अपने हिस्से के रूप में साझेदारी फर्म में अपने अंशदान के लिये लाया गया था तो ऐसे दस्तावेज पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय होगा।

रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् जयपुर, कोटा, उदयपुर एवं नगर परिषद भीलवाडा के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 से 2016-17 की जांच में पता चला (मई 2017) कि साझेदारी फर्मों के पांच प्रकरणों में साझेदार/साझेदारों के द्वारा उनकी निवृति या शामिल होने पर मूल्य ₹ 13.89 करोड़ की अचल सम्पत्तियां इन साझेदारों के अलावा, अन्य साझेदारों ने साझेदारी फर्मों में उनके हिस्से के रूप में प्राप्त की गयी (मई 2011 से अगस्त 2016)। इन साझेदारी

[58] उप पंजीयकः बांसवाडा, बाडमेर, जयपुर-I, जोधपुर- III, झुन्झुनू, सुजानगढ (चुरू) तथा उदयपुर-I

[59] ₹ 3.01 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 2.15 करोड़, सरचार्ज ₹ 42.94 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 42.94 लाख।

विलेखों पर सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 13.89 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक कर ₹ 83.37 लाख[60] के स्थान पर प्रत्येक प्रकरण में ₹ 500 की दर से कुल ₹ 0.03 लाख अदा की गयी। तथापि, सम्बन्धित लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने मुद्रांक कर की कम वसूली के बारे में सम्बन्धित कलेक्टर (मुद्रांक) को सूचित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, सरचार्ज ₹ 13.89 लाख सहित मुद्रांक कर ₹ 83.34 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। विभाग ने अक्टूबर 2017 में बताया कि तीन प्रकरणों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा शेष दो प्रकरणों में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) से जवाब प्रतीक्षित रहा। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2017)।

5.13.3 लीज डीडों के निष्पादन/पंजीयन का अभाव

अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार, शहरी विकास न्यासों, रीको एवं राज्य सरकार के द्वारा आवंटित या बेची गयी भूमि के लिये निष्पादित लीज डीड या विक्रय विलेख दस्तावेज को निष्पादन की तिथि से दो माह के भीतर पंजीयन के लिये प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर मुद्रांक कर, प्रीमियम की राशि तथा प्रतिफल के रूप में अदा किये गये अन्य शुल्कों मय ब्याज या जुर्माना, यदि दस्तावेज पर लगाया गया हो तथा दो वर्ष के औसत किराये पर पांच प्रतिशत की दर से वसूलनीय है।

5.13.3.1 दो शहरी विकास न्यासों (भीलवाडा तथा उदयपुर) के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 से 2016-17 की जांच में पता चला (मई 2017) कि इन शहरी विकास न्यासों द्वारा 24 भूखण्डों[61] की नीलामी की गयी तथा सफल बोलीदाताओं या खरीददारों को इनका आवंटन किया गया (मार्च 2012 से जनवरी 2017)। खरीददारों के द्वारा इन भूखण्डों की कीमत शहरी विकास न्यासों में जमा करवा दी गयी। आवंटन अभिलेखों की जांच में पता चला कि खरीददारों के द्वारा शहरी विकास न्यासों के साथ लीज डीडों का निष्पादन नहीं करवाया गया। तथापि, लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों ने सम्बन्धित कलक्टरों (मुद्रांक) को धारा 37 की उपधारा 4 के अन्तर्गत ना तो भूखण्डों के विक्रय के बारे में सूचित किया ना ही लीज डीडों के निष्पादन के लिये कोई कार्यवाही की। इसके परिणामस्वरूप, कीमत या प्रतिफल राशि ₹ 19.59 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 1.35 करोड़[62] का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। विभाग ने अक्टूबर 2017 में बताया कि छः प्रकरणों में सम्पूर्ण आक्षेपित राशि ₹ 18.14 लाख की वसूली की गयी; एक प्रकरण में आक्षेपित राशि ₹ 21.37 लाख के विरूद्ध ₹ 19.97 लाख की वसूली की गयी; 14 प्रकरणों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये तथा शेष तीन प्रकरणों में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) से जवाब प्रतीक्षित रहा। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2017)।

---

[60] ₹ 83.37 लाखः मुद्रांक कर ₹ 69.48 लाख तथा सरचार्ज ₹ 13.89 लाख।

[61] भीलवाड़ा के तीन प्रकरण तथा उदयपुर के 21 प्रकरण।

[62] ₹ 1.35 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 96.04 लाख, सरचार्ज ₹ 19.21 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 19.60 लाख।

5.13.3.2 तीन रीको कार्यालयों[63] के अभिलेखों की जांच में पता चला (मई 2017) कि रीको ने 11 भूखण्ड[64] 11 उद्यमियों को बेचे या आवंटित किये (नवम्बर 2012 से दिसम्बर 2016)। तथापि, खरीददारों ने उक्त भूखण्डों की लीज डीडों का निष्पादन तथा पंजीयन नहीं करवाया। रीको के प्रभारी अधिकारियों ने ना तो लीज डीड के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही की ना ही सम्बन्धित कलेक्टर (मुद्रांक) को सूचित किया। इसके परिणामस्वरूप, इन भूखण्डों की प्रतिफल राशि ₹ 36.45 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 2.42 करोड़[65] का अनारोपण हुआ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि सात प्रकरणों में निष्पादनकर्ताओं को वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये; एक प्रकरण में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवाया गया जबकि शेष तीन दस्तावेजों में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) का जवाब प्रतीक्षित रहा।

5.13.3.3 कलेक्टर (राजस्व) जयपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि पांच प्रकरणों में तहसील फागी एवं कोटपुतली में सरकारी भूमि पांच कम्पनियों को आवंटन आदेशों के निर्देशानुसार कीमतन आवंटित की गयी। इन आवंटनों से सम्बन्धित लीज डीडों की पंजीबद्ध प्रतियां कलेक्टर (राजस्व) जयपुर के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इन लीज डीडों के पंजीयन का मामला उप पंजीयक फागी तथा कोटपुतली के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2017 से फरवरी 2017)। उप पंजीयक कोटपुतली ने बताया (मार्च 2017) कि इन आवंटनों से सम्बन्धित लीज डीड इस कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है। इसलिये भूमि के मूल्य ₹ 32.65 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 2.28 करोड़[66] वसूलनीय था। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर ₹ 2.28 करोड़ का अनारोपण रहा। उप पंजीयक, फागी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि तीन प्रकरणों में वसूली बकाया है तथा दो प्रकरणों में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) का जवाब प्रतीक्षित रहा।

5.13.4 रियायती अनुबन्ध पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 20ए[67] के अनुसार रियायती अनुबन्ध[68] का दस्तावेज जहां कुल पूंजीगत निवेश ₹ 500 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 1000 करोड़ से कम हो पर मुद्रांक कर ₹ दो करोड़ वसूलनीय होगा। 14 जुलाई 2014 से पूर्व में निष्पादित रियायती अनुबन्ध वित्त अधिनियम 2014 के लागू होने के 30 दिनों के भीतर मुद्रांकित किये जाने चाहिए थे।

---

[63] बाईस गोदाम जयपुर, कोटा तथा मालवीय नगर जयपुर।

[64] मालवीय नगर जयपुर के तीन प्रकरण, बाईस गोदाम जयपुर के दो प्रकरण तथा कोटा के छः प्रकरण।

[65] ₹ 2.42 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 1.82 करोड़, सरचार्ज ₹ 36.45 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 23.47 लाख।

[66] ₹ 2.28 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 1.63 करोड़, सरचार्ज ₹ 32.65 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 32.65 लाख।

[67] राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा 14 जुलाई 2014 को जोडा गया।

[68] रियायती अनुबंध से आशय राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य वैधानिक संस्था द्वारा किये गये ऐसे अनुबंध से है जिसमें अधिकार, भूमि या सम्पत्ति का दिया जाना निहित हो तथा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, की ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करते हुये निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन वाणिज्यिक आधार पर कुछ सेवायें प्रदान करना हो।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से पता चला (मई 2017) कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं एक रियायती के मध्य राजस्थान राज्य में स्थित एक परियोजना[69] के लिये 14 दिसम्बर 2012 को डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण आधार पर एक रियायती अनुबन्ध का निष्पादन हुआ । परियोजना की लागत ₹ 677.79 करोड़ थी । ₹ 2.40 करोड़ मय सरचार्ज ₹ 40 लाख के स्थान पर रियायती अनुबन्ध मात्र ₹ 100 से मुद्रांकित था । इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.40 करोड़ राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017) । सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017) कि वसूली के लिये निर्देश जारी किये गये ।

[69] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के तहत राजसमन्द-भीलवाडा अनुभाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-758 (0.000 किलोमीटर से 87.250 किलोमीटर) ।

अध्याय-VI : राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख हैं । विभाग के प्रमुख आबकारी आयुक्त हैं । विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त होते हैं । सम्बन्धित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं ।

6.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है । इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है ।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान जोडी गई इकाइयां	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13
2014-15	6	41	47	47	0	0
2015-16	0	41	41	37	4	10
2016-17	4	41	45	40	5	12

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों में से पांच इकाइयों की लेखापरीक्षा बकाया थी ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेद	119	51	118	150	287	**725**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ।

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 के अन्त तक 725 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 119 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे । बड़ी मात्रा में अनुच्छेदों का बकाया रहना आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है । वर्ष 2016-17 के बकाया अनुच्छेदों की स्थिति अनुरोध किये जाने (मई 2017) के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी ।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 25 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली, प्रतिभूति जमा/विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली, मदिरा की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹18.52 करोड़ के 7,084 प्रकरण ध्यान में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'भांग की खरीद और बिक्री' पर अनुच्छेद	1	-
2	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	3,485	14.44
3	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	843	1.23
4	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	879	0.49
5	अन्य अनियमिततायें (i) राजस्व (ii) व्यय	1,832 44	2.31 0.05
	योग	**7,084**	**18.52**

विभाग ने 227 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ की अनियमिततायें स्वीकार की, जिसमें से ₹ 0.45 करोड़ के 84 प्रकरण वर्ष 2016-17 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 227 प्रकरणों में ₹ 1.20 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.45 करोड़ के 84 प्रकरण वर्ष 2016-17 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

सरकार को एक ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के बाद, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी सम्पूर्ण राशि ₹ 22.11 लाख को विभाग द्वारा स्वीकार कर वसूल कर लिया गया। इस पैराग्राफ की चर्चा प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

'भांग की खरीद और बिक्री' पर एक पैराग्राफ और ₹ 2.86 करोड़ सन्निहित कुछ निदर्शी टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.4 भांग की खरीद और बिक्री

6.4.1 परिचय

भांग पौधा जिसे अन्यथा कैनाबिस सैटिवा के नाम से जाना जाता है, एक फूलदार पौधा या जड़ी बूटी है जिसकी विभिन्न उद्देश्यों के लिए सदियों से खेती की जाती है। यह तीन उत्पाद, तने से रेशा (फाइबर), बीज से तेल और पत्तियों तथा फूलों से मादक पदार्थ प्रदान करता है। भारतीय भांग पौधे से तीन प्रकार के मादक पदार्थों, भांग के पौधे के पुष्प के पर्णो एवं सूखी पत्तियों से भांग अथवा हशिस, भारत में उगाई गई विशेष किस्मों के सूखे-अनिषेचित मादा गुच्छ से गांजा और चरस, जो कि कच्चा राल है, जिसे पौधे के शीर्ष को हाथ से रगड़ने या इसे कपड़े से कुटाई द्वारा एकत्र किया जाता है, का उत्पादन किया जाता है। भांग का लम्बे समय तक उपभोग हानिकारक है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यदि लम्बे समय तक उपयोग किया जाए, तो यह भूख और जठरीय विचलन का कारण बनता है। भांग पदार्थ मुख्यतः मस्तिष्क पर प्रभाव डालते है जहां वे शराब या अफीम के समान कार्य करते हैं।

नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम,1985 के अनुसार कैनाबिस राल और फूलों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध था, लेकिन पत्तों (जिसे भांग कहा जाता है) के उपयोग की अनुमति थी एवं राज्यों को भांग के उत्पादन और उपभोग को विनियमित करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि, एनडीपीएस अधिनियम,1985 भांग के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है, विभिन्न राज्यों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या सीमित करने के लिए कानून बना दिये हैं। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्थान में भांग पौधे का उत्पादन/खेती प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी खरीद, बिक्री और उपयोग राज्य में अनुमत्य है। परिणामस्वरूप सभी भांग या भांग उत्पादों का आयात किया जाना चाहिए या भांग उत्पादों को आयातित भांग से निर्मित किया जाना चाहिए। राज्य में भांग के उपभोग को विनियमित करने के लिए राज्य ने अलग से नियम नहीं बनाये हैं।

भांग (भांग पत्ती, घोटा, मजूम बूकानी, गुलकंद, इत्यादि) की खुदरा बिक्री के लिए समूह-वार अनुज्ञापत्र आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए जाते है। इन अनुज्ञाधारियों को विभाग से थोक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद भांग उत्पादक राज्यों के थोक अनुज्ञाधारियों से सीधे ही भांग आयात करना अनुमत्य होता है।

थोक अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3 से 6 के अनुसार, अनुज्ञाधारी सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत अन्य राज्यों में या राज्य में ही स्थित भांग के थोक विक्रेताओं से भांग का क्रय कर सकता है। थोक अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत क्रय की गई भांग, अनुज्ञाधारी द्वारा स्वंय के समूह की खुदरा दुकानों, राज्य में अन्य समूह के खुदरा या थोक अनुज्ञाधारियों और भांग निर्मित दवाओं हेतु प्राधिकृत फार्मेसीज को हस्तान्तरित/बेची जा सकती है। एक अनुज्ञाधारी नियमानुसार निर्धारित परमिट शुल्क के भुगतान के पश्चात जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी परमिट के तहत थोक गोदाम से खुदरा दुकानों को भांग हस्तान्तरित/बेच सकता है।

6.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2015-16 के अन्त में, राज्य में 29 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में भांग की 812 अधिकृत खुदरा दुकानों के साथ 29 अनुज्ञाधारी समूह थे। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राजस्व के साथ-साथ अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के आधार पर इनमें से सात जिला आबकारी अधिकारियों[1] के वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के रिकार्ड की मापक जांच (फरवरी से मई 2017) आबकारी आयुक्त कार्यालय सहित की गई थी।

6.4.3 भांग से राजस्व

भांग से राजस्व मुख्य रूप से थोक और खुदरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त अनुज्ञाशुल्क और भांग के परिवहन पर परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त होता है। भांग पर अलग से कोई आबकारी शुल्क नहीं लगाया गया है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राप्त राजस्व नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्त आबकारी राजस्व	भांग से प्राप्त राजस्व			कुल आबकारी राजस्व में भांग के राजस्व का प्रतिशत
		अनुज्ञाशुल्क	परमिट शुल्क	योग	
2013-14	4,981.59	17.28	0.05	17.33	0.35
2014-15	5,585.77	19.01	0.09	19.10	0.34
2015-16	6,712.94	24.03	0.06	24.09	0.36

स्रोतः आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध।

इस प्रकार, राज्य की आबकारी शुल्क के अन्तर्गत कुल प्राप्ति की तुलना में भांग का राजस्व बहुत कम था। तथापि, भांग एक मादक पदार्थ है और इसके गलत उपयोग (अन्य अत्यधिक नशीले पदार्थो के साथ मिश्रण) को प्रतिबन्धित करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के लिए इस विषय का चयन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भांग की खरीद और बिक्री की सुनिश्चितता और इस सम्बन्ध में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता को देखने हेतु किया गया था।

6.4.4 निगरानी नियंत्रण और अभिलेखों का संधारण

भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तों की शर्त संख्या 7 के अनुसार, अनुज्ञाधारी को निरीक्षण पंजिका संधारित करनी होगी और निर्धारित पंजिका में भांग की प्राप्ति, ब्रिकी और शेष मात्रा का दैनिक खाता रखना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बन्द करने के साथ उसी दिन लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान और स्टॉक का प्रतिवेदन आगामी माह की 5 तारीख तक सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक को प्रेषित करना होगा।

चयनित इकाइयों की मापक जांच के दौरान निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

[1] अलवर,जैसलमेर,जालोर,पाली,सिरोही (सर्वोच्च पांच इकाइयां: जिनके अनुज्ञाशुल्क में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई), जोधपुर और उदयपुर (जिनकी फिल्ड स्टडी नियमित लेखापरीक्ष के दौरान की गई)।

6.4.4.1 खुदरा बिक्री रजिस्टर/मासिक रिपोर्ट के संधारण का अभाव

सात जिला आबकारी अधिकारियों में से केवल तीन जिला आबकारी अधिकारियों[2] के अनुज्ञाधारियों द्वारा अवधि 2014-15 और 2015-16 की खुदरा बिक्री पंजिकाओं का संधारण किया गया था। पंजिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन किसी भी आबकारी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इन पंजिकाओं की जांच में प्रकट हुआ कि विभिन्न तिथियों पर पंजिकाओं में गलत प्रविष्टियां की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक की स्थिति गलत दर्शायी गयी। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है:

(भांग की मात्रा किलोग्राम में)

क्र.सं.	अनुज्ञाधारी समूह का नाम	खुदरा दुकान का नाम	दिनांक	प्रारम्भिक शेष	भांग की प्राप्ति	भांग की बिक्री	वास्तविक अन्तिम शेष (5+6-7)	रजिस्टर में दर्शाया गया अन्तिम शेष	अन्तिम शेष में अन्तर (8-9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	जालोर	जालोर	21.7.2015	46.30	50.00	1.10	95.20	85.30	9.90
			8.1.2016	41.25	0.00	0.35	40.90	39.90	1.00
		आहोर	11.2.2016	32.50	0.00	1.50	31.00	30.00	1.00
			16.2.2016	27.55	50.00	1.00	76.55	66.45	10.10
2	जोधपुर	गांधी चौक	1.5.2015	83.00	0.00	0.50	82.50	87.50	(-) 5.00
			21.1.2016	101.00	0.00	2.00	99.00	98.00	1.00
		जालोरी गेट	2.11.2015	36.00	0.00	2.00	34.00	35.00	(-) 1.00
			22.11.2015	10.00	0.00	2.00	8.00	9.00	(-) 1.00
3	सिरोही	आबूरोड़	2.12.2014	102.00	0.00	2.00	100.00	101.00	(-) 1.00
		शिवगंज	10.4.2015	593.00	0.00	5.00	588.00	543.00	45.00

इसके अतिरिक्त, किसी भी चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के यहां खुदरा दुकानों पर भांग की मासिक आमद, बिक्री और स्टॉक का प्रतिवेदन सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अभाव में आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञाधारियों की खुदरा दुकानों पर भांग की वास्तविक खरीद और बिक्री की जांच नहीं कर सके। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2017), सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को खुदरा भांग दुकानों पर खरीद और बिक्री पंजिकाओं के संधारण को सुनिश्चित करने और अनुज्ञाधारियों द्वारा मासिक सूचना नियमित रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित (24 अगस्त 2017) कर दिया गया है।

6.4.4.2 भांग की दुकानों का निरीक्षण

आबकारी मैनुअल के पैरा संख्या 8.1 के अनुसार, आबकारी निरीक्षक को सभी भांग दुकानों का निरीक्षण जितनी बार संभव हो उतनी बार करना चाहिए किन्तु माह में कम से कम एक बार करना आवश्यक है। कस्बे और शहर की दुकानों का माह में दो बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला आबकारी अधिकारियों को भी आबकारी मैनुअल के पैरा संख्या 6.3 के अनुसार भांग की दुकानों का निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा, भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तों की शर्त संख्या 7 के अनुसार, अनुज्ञाधारियों को निरीक्षण पंजिका संधारित करनी

---

[2] जालोर, जोधपुर और सिरोही। वर्ष 2013-14 के रजिस्टर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये, इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी।

होगी। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि यह दर्शाने के लिए कोई निरीक्षण पंजिका संधारित नहीं थी कि क्या आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञाधारियों का कोई निरीक्षण किया गया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि उनके द्वारा निरीक्षण किये गये थे। इस कमी को ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2017), सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके द्वारा एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित (24 अगस्त 2017) कर दिया गया है। उनको अपने स्वयं के कार्यालयों के साथ-साथ अनुज्ञाधारियों की दुकानों पर निरीक्षण पंजिका संधारित करने हेतु भी निर्देशित कर दिया गया। इस प्रकार, भांग की बिक्री पर निगरानी तंत्र कमजोर था और निरीक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी।

6.4.4.3 भांग की खरीद मात्रा की निगरानी और स्टॉक पंजिका का संधारण

विभाग द्वारा स्टॉक पंजिका का प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। इसका संधारण मापक जांच किये गये सभी जिला आबकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था और इसमें ऑनलाईन जारी किए गए परमिट में उल्लेखित भांग की मात्रा की सूचना दर्ज थी, किन्तु प्रत्येक परमिट के विरूद्ध वास्तव में प्राप्त भांग की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना दर्ज नहीं थी। लेखापरीक्षा ने भांग की मात्रा जिसके लिए परमिट जारी किये गये थे और वास्तव में प्राप्त भांग की मात्रा के आंकड़ों में भिन्नता पायी, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है:

- **जारी किये गये परमिट से भांग की खरीद कम थी:** राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950 भांग को एक मादक पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है, जो एक आबकारी पदार्थ है। आबकारी प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट के बिना किसी भी आबकारी पदार्थ का आयात, निर्यात और परिवहन नहीं किया जा सकता है। आबकारी पदार्थ के परिवहन हेतु सभी प्रकार के आबकारी परमिट आनॅलाईन जारी किये गये थे।

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में भांग के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार, भांग की खरीद के लिए परमिट चार प्रतियों में जारी किये गये थे। परमिट की मूल प्रति अनुज्ञाधारी के लिए थी, द्वितीय प्रति निर्यातक राज्य या जिले के सम्बन्धित आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जाती थी, तृतीय प्रति वृत्त के आबकारी निरीक्षक को प्रेषित की जाती थी एवं चतुर्थ प्रति को अभिलेख के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रखा गया था। भांग के जारी किये गये परमिट की कम्प्यूटरीकृत सूचना विभाग के पास उपलब्ध थी।

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान 29 अनुज्ञाधारी समूहों द्वारा भांग की खरीद के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना को जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन जारी किए गए परमिट से मिलान किया गया। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी परमिट और भांग की प्राप्त मात्रा में

भिन्नता थी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(भांग की मात्रा किलोग्राम में)

वर्ष	सभी अनुज्ञाधारी समूहों द्वारा अन्य राज्यों से भांग की खरीद			सभी अनुज्ञाधारी समूहो द्वारा राज्य में भांग का परिवहन		
	जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी ऑनलाईन परमिटों में दर्ज मात्रा	जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा दर्शायी गई वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	अन्तर (2-3)	जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी ऑन लाईन परमिटों में दर्ज मात्रा	जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा दर्शायी गई वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	अन्तर (5-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013-14	46,000	39,500	6,500	31,198	17,215	13,983
2014-15	80,000	71,820	8,180	26,646	31,751	(-) 5,105
2015-16	59,500	44,955	14,545	17,250	22,810	(-) 5,560
योग	**1,85,500**	**1,56,275**	**29,225**	**75,094**	**71,776**	**3,318**

स्रोतः आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी परमिट में दर्शायी गयी मात्रा की तुलना में अनुज्ञाधारियों ने अन्य राज्यों से 29,225 किलोग्राम भांग कम प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञाधारी समूहों द्वारा राज्य के अन्दर हस्तान्तरित/बेची गई भांग के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना का मिलान, जारी किये गये परमिटों में दर्शाई गई मात्रा से करने पर उसमें 5,105 से 13,983 किलोग्राम की भिन्नता थी।

- **भांग की अधिक खरीदः** लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर के एक प्रकरण में अनुज्ञाधारी को परमिट संख्या BHN/UDR000380 दिनांक 25 जून 2014 द्वारा हरिद्वार से 4,000 किलोग्राम भांग आयात करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके विरूद्ध अनुज्ञाधारी ने वजन पर्ची के अनुसार 4,610 किलोग्राम भांग का आयात किया। इसके परिणामस्वरूप 610 किलोग्राम भांग की अधिक खरीद हुई। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भांग की अधिक खरीद का पता नहीं किया गया और अपनी स्टॉक पंजिका में केवल 4,000 किलोग्राम भांग की प्राप्ति दर्शायी थी। अनुज्ञाधारियों द्वारा अवैध और अनाधिकृत स्रोतों से भांग खरीद करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अनुज्ञाधारियों द्वारा खरीद की गयी भांग की वास्तविक मात्रा का मिलान विभागीय आंकड़ों से करने के लिए कोई प्रणाली तंत्र नहीं था।

भांग की खुदरा दुकानों के विधिक लेनदेनों को दर्शाने के लिए खुदरा बिक्री पंजिका और मासिक प्रतिवेदन प्रमाणिक अभिलेख है। इनके अभाव में, आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञाधारियों द्वारा खुदरा दुकानों पर भांग की खरीद और बिक्री की मात्रा ज्ञात नहीं कर सके। इसलिए अनुज्ञा अवधि के अन्त में भांग के अन्तिम शेष का मूल्यांकन नहीं किया जा सका था। यह दर्शाता है कि विभाग ने अपनी भूमिका को भांग के अनुज्ञापत्र जारी करने तक ही सीमित किया और अनुज्ञाधारियों के संचालन को नियन्त्रित करने पर ध्यान नहीं दिया।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2017), सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2017) कि अनुज्ञाधारियों द्वारा खरीद की गई भांग के सत्यापन के अभाव, आबकारी अधिकारियों द्वारा दुकानों के निरीक्षण और व्यवस्थित अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण यह विचलन हुआ है । इस सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर से उनके क्षेत्राधिकार में अनुज्ञाधारी द्वारा भांग की अधिक खरीद के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

6.4.5 भांग अनुज्ञाधारी समूहों से प्राप्त अनुज्ञाशुल्क और उनसे भांग की बिक्री का विश्लेषण

6.4.5.1 भांग अनुज्ञाधारी समूहों को अनुज्ञापत्र, न्यूनतम आरक्षित मूल्य, जिसे समूह का अनुज्ञाशुल्क भी कहा जाता है, निर्धारित करके खुली निविदा के माध्यम से आवंटित किये जाते हैं । नवीनीकरण के मामलों में अनुज्ञाशुल्क आबकारी नीति के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ता है ।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान पांच अनुज्ञाधारी समूहों से प्राप्त अनुज्ञाशुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई इन अनुज्ञाधारियों की भांग की बिक्री में कमी हुई है ।

क्र.सं.	अनुज्ञाधारी समूह का नाम	अनुज्ञाधारी समूह का अनुज्ञाशुल्क (₹ लाख में)				अनुज्ञाधारी समूह की खुदरा दुकानों पर भांग की बिक्री (किलोग्राम में)			
		2013-14	2015-16	अनुज्ञाशुल्क में वृद्धि (4-3)	2013-14 से 2015-16 में वृद्धि का प्रतिशत	2013-14	2015-16	भांग की बिक्री में कमी (7-8)	2013-14 से 2015-16 में कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	अलवर	19.85	47.51	27.66	139.35	214	115	99	46.26
2	जैसलमेर	8.57	23.63	15.06	175.73	2,250	1,800	450	20.00
3	जालोर	3.31	8.48	5.17	156.19	1,220	850	370	30.33
4	जोधपुर	57.45	91.01	33.56	58.42	4,350	1,920	2,430	55.86
5	सिरोही	8.94	22.80	13.86	155.03	1,060	800	260	24.53

स्रोतः आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

उपरोक्त से प्रदर्शित होता है कि अनुज्ञाशुल्क में 58.42 से 175.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भांग की बिक्री में 20.00 से 55.86 प्रतिशत की कमी हुई । अनुज्ञाधारी समूहों द्वारा विभाग को भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क की ही वसूली हेतु भांग का जो प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित करना होगा वह प्रत्येक जिले में व्यापक रूप से भिन्न था ।

वर्ष 2015-16 के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है:

क्र.स.	अनुज्ञाधारी समूह का नाम	अनुज्ञाशुल्क (₹ लाख में)	अनुज्ञाधारी समूह की खुदरा दुकानों पर भांग की बिक्री (किलोग्राम में)	अनुज्ञाशुल्क को वसूल करने हेतु प्रति किलोग्राम भांग का मूल्य (₹ में)
1	अलवर	47.51	115	41,313
2	बून्दी	291.33	2,195	13,272
3	जयपुर	336.08	2,810	11,960
4	नागौर	8.00	2,190	365
5	बाड़मेर	6.48	2,570	252

स्रोतः आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभिन्न समूहों के अनुज्ञाशुल्क की तुलना में भांग के प्रति किलोग्राम मूल्य में यह बहुत बड़ा अन्तर था। विभाग ने समूहों के अनुज्ञाशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई भी मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। यह अवास्तविक है और संभवतः अनुज्ञाधारियों द्वारा विक्रय की गयी वास्तविक मात्रा को नहीं दर्शाता है।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2017), सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2017) कि विभाग भांग समूहों के अनुज्ञाशुल्क को समूहों की आरक्षित राशि और भांग की बिक्री के अनुसार युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। भविष्य में, भांग की संभावित बिक्री के अनुसार भांग समूहों की आरक्षित राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए आगामी आबकारी नीति जारी होने से पूर्व एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई कर ली जावेगी।

इसके अलावा, भांग का मूल्य और बिक्री का विश्लेषण करने के लिए विभागीय अधिकारियों और लेखापरीक्षा दल को सम्मिलित कर अलवर जिला समूह में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्शाये गये है :

- अलवर जिला समूह में पुनः निविदा के माध्यम से 25 अक्टूबर 2017 को राशि ₹ 64.51 लाख के अनुज्ञाशुल्क पर अवधि 25 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक भांग की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया गया था। पूर्व का अनुज्ञाधारी जिसने राशि ₹ 1.08 करोड़ की दर पर पूर्ण वर्ष के लिए अप्रैल 2017 में अनुज्ञापत्र प्राप्त किया था, मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहा और अगस्त 2017 में उसका अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया।

- जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के क्षेत्राधीन वर्तमान अनुज्ञाधारी द्वारा (विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकतम 27 दुकानों में से) अलवर जिले में छः दुकानों का संचालन किया। आबकारी प्राधिकारियों की उपस्थिति में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सभी संचालित छः खुदरा भांग दुकानों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 6 दिसम्बर 2017 और 7 दिसम्बर 2017 को किया गया।

- अनुज्ञाधारी द्वारा अवगत कराया गया कि भांग का औसत क्रय मूल्य राज्य के थोक अनुज्ञाधारी से ₹ 250 प्रति किलोग्राम और राज्य के बाहर से ₹ 100 प्रति किलोग्राम था।

- भांग पत्तियों का विक्रय मूल्य ₹ 1,000 प्रति किलोग्राम (पांच दुकानों पर) से ₹ 2,000 प्रति किलोग्राम (एक दुकान पर) के मध्य था। भांग गोली (मजूम बुकानी) भांग पत्तियों से

तैयार की जाती है और पांच खुदरा दुकानों पर विक्रय की जा रही थी। दुकानों पर उपस्थित सेल्समैन ने अवगत कराया कि एक किलोग्राम भांग की पत्तियों से 100 से 125 गोली बनाई गयी थी। प्रत्येक गोली का विक्रय मूल्य ₹ 10 (तीन दुकानों पर) से ₹ 15 (दो दुकानों पर) के मध्य था।

- इस प्रकार, इस संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि अलवर जिले में भांग का क्रय मूल्य ₹ 250 प्रति किलोग्राम और विक्रय मूल्य ₹ 1,000 से ₹ 2,000 प्रति किलोग्राम के मध्य था।
- इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि भांग का विक्रय-मूल्य एक ही जिले में दुकान दर दुकान भिन्न था। यह राज्य के विभिन्न अनुज्ञाधारियों के मध्य भी भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, उपर्युक्त उल्लेखित भांग के क्रय-मूल्य, विक्रय-मूल्य एवं अनुज्ञाशुल्क से प्रकट होता है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गयी दरों पर भांग की बिक्री करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क की ही वसूली होना ही असम्भव है। लेखांकन नहीं किये गये भांग के विक्रय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त उल्लेखित तथ्य दर्शाते हैं कि अनुज्ञाशुल्क और साथ ही साथ भांग के विक्रय-मूल्य दोनों को निर्धारित करने में विभाग के नियन्त्रण का अभाव था और अनुज्ञाशुल्क के निर्धारण में पारदर्शिता की कमी थी। विभाग को प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्हें मानदण्डों का निर्धारण और भांग अनुज्ञाधारी समूहों के अनुज्ञाशुल्क के आरोपण हेतु मापदण्ड का निर्धारण करना चाहिए।

6.4.5.2 भांग की खुदरा दुकानों के संचालन का अभाव

भांग खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार, अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र में अपने समूह के लिए प्राधिकृत दुकानों की संख्या तक, किसी भी स्थान पर नियमानुसार भांग की दुकान लगा सकेगा। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा खुदरा दुकानों का स्थान स्वीकृत किया जाता था।

सभी 29 अनुज्ञाधारी समूहों के क्षेत्राधिकार में आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत और अनुज्ञाधारियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों की कुल संख्या का विवरण निम्न प्रकार था:

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कुल खुदरा दुकानें	764	805	812
अनुज्ञाधारी समूहों द्वारा संचालित दुकानों की संख्या	333	375	371
संचालित दुकानों का प्रतिशत	44	47	46

स्रोतः आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि तीन वर्षों के दौरान अनुज्ञाधारियों द्वारा 50 प्रतिशत से कम दुकानों का संचालन किया गया था। विभाग द्वारा खुदरा दुकानों के संचालन नहीं करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

6.4.5.3 लेखापरीक्षा ने देखा कि सात जिला आबकारी अधिकारियों में से तीन जिला आबकारी अधिकारियों से सम्बन्धित समूहों के अन्तर्गत स्वीकृत सभी खुदरा दुकानें संचालित

नहीं थी। सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित के लिए भांग का कोई भी परमिट जारी नहीं किया गया था:

- सिरोही में छः स्वीकृत दुकानों में से दो[3] पर;
- जालोर में चार स्वीकृत दुकानों में से एक[4] पर, और
- उदयपुर में 21 स्वीकृत दुकानों में से 13[5] पर।

ये दुकानें भांग की बिना बिक्री के पूरे वर्ष निरूपयोगी रही। जिला आबकारी अधिकारियों ने पूरे वर्ष के दौरान इन दुकानों के संचालन नहीं होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

विभाग द्वारा अनुज्ञाशुल्क में इस प्रकार की बहुत अधिक भिन्नता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया और अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क और भांग की बिक्री में भिन्नता के मद्देनजर अनुज्ञाधारी समूहों के अनुज्ञाशुल्क को निर्धारित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण तंत्र नहीं अपनाया गया।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2017), सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि:

- विभाग द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है (24 अगस्त 2017) कि उन दुकानों का अनुज्ञापत्र नवीनीकृत नहीं किया जाये जहाँ भांग की बिक्री शून्य थी।

- सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में गत वर्ष संचालित दुकानों और उन पर भांग की बिक्री के आधार पर भांग की खुदरा दुकानों की संख्या के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है (24 अगस्त 2017)।

6.4.6 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

अनुज्ञाधारियों द्वारा भांग की वास्तविक खरीद का आंकलन करने के लिए विभाग ने कोई तंत्र नहीं अपनाया था। इसलिए भांग की प्राप्ति और प्रेषण की मात्रा के सत्यापन, गोदाम और खुदरा दुकानों के निरीक्षण एवं विभाग द्वारा अभिलेखों के उचित संधारण के अभाव में, अनुज्ञाधारियों द्वारा भांग की खरीद और बिक्री की गई भांग की मात्रा पर उचित जांच और नियन्त्रण रखने में आबकारी प्राधिकारी असफल रहे।

पांच अनुज्ञाधारी समूहों से 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुज्ञाशुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में भांग की बिक्री में कमी हुई थी। विभाग को भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क को ही वसूल करने के लिए भांग का जो प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित होना था उसमें बहुत अधिक अंतर था। अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क और भांग की बिक्री में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, समूहों के अनुज्ञाशुल्क को निर्धारित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कोई नियन्त्रण तंत्र नहीं अपनाया था।

इसके अलावा, गत तीन वर्षों के दौरान अनुज्ञाधारियों द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम दुकानों का संचालन किया गया। जिला आबकारी अधिकारियों ने दुकानों के संचालन को सुनिश्चित किए

---

[3] रोहिड़ा और भारजा।

[4] सायला।

[5] गोगुंदा, कोटडा, खेरोडा, डबोक, झाडोल, सविना, फतेहपुरा, मल्लातलाई, ठोकर, रेती स्टैण्ड, हिरण मगरी सेक्टर-4, देहली गेट और जगदीश चौक।

बिना भांग दुकानों की अवस्थिति को स्वीकृत किया था। आबकारी प्राधिकारी मासिक प्रतिवेदन और अनुज्ञाधारियों द्वारा खुदरा दुकानों पर संधारित किए जाने वाले प्रारम्भिक अभिलेखों के बारे में सचेत नहीं थे और इस प्रकार वे अनुज्ञा अवधि के अन्त में खरीद, बिक्री और शेष मात्रा की निगरानी और नियन्त्रण की स्थिति में नहीं थे।

यह भी देखा गया कि खुदरा विक्रय रजिस्टर में दर्ज की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन किसी भी आबकारी प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। अनुज्ञाधारियों द्वारा विभिन्न तिथियों पर गलत प्रविष्टियां दर्ज की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक प्राप्ति और बिक्री के बिना स्टॉक की स्थिति में वृद्धि और कमी हुई। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि आबकारी प्राधिकारियों द्वारा भांग की दुकानों के निरीक्षण किये गये थे।

यह सिफारिश की जाती है कि अनुज्ञाधारियों द्वारा भांग की खरीद और बिक्री, गोदामों और खुदरा दुकानों के निरीक्षण और विभाग द्वारा अभिलेखों के उचित संधारण पर समुचित जांच और नियंत्रण के लिए विभाग को एक प्रभावी प्रणाली लागू करनी चाहिए। अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान किये गये अनुज्ञाशुल्क और राज्य में भांग की बिक्री में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, भांग अनुज्ञाधारी समूहों के अनुज्ञाशुल्क को निर्धारित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण तंत्र अपनाना चाहिए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुदरा दुकानों पर खुदरा बिक्री रजिस्टरों का संधारण किया जाये और उनमें की गई प्रविष्टियों की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनको सत्यापित/जांचा जाना चाहिए। राज्य में भांग के जारी किए गए परमिट और विक्रय पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए विभाग को भांग के थोक अनुज्ञाधारियों के साथ-साथ खुदरा दुकानों पर भांग की खरीद एवं ब्रिक्री की मात्रा को दर्शाते हुए एक कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस का संधारण किया जाना चाहिए।

6.5 निर्माण स्थल पर अवस्थित बॉण्डेड वेयरहाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में अप्रैल 2011 की अधिसूचना से सम्मिलित नियम 68(12)(ए) के अनुसार निर्माण स्थल पर अवस्थित बॉण्डेड वेयरहाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क की दर ₹ पांच लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। इस नियम को नियम 68(13) के अतिरिक्त सम्मिलित किया गया था जिसमें मदिरा के निर्माता द्वारा थोक विक्रेताओं को मदिरा के थोक विक्रय के लिए वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की निर्धारित दरों को प्राधिकृत किया गया था। इकाइयों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर और देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु क्रमशः नियम 68(13) और 68(12)(ए) के अन्तर्गत पृथक-पृथक अनुज्ञापत्र जारी किये जाने थे। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार बॉण्डेड वेयरहाउस में अन्य कोई भी मदिरा भण्डारण के लिए अनुमत्य नहीं होगी केवल उसको छोड़कर जिस हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया गया था।

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधीन डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस के अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की मापक जांच के दौरान पाया गया (अगस्त 2016 और दिसम्बर 2016 के मध्य) कि तीन डिस्टलरीज और छः बोटलिंग प्लांटस द्वारा देशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से किया गया था। विभाग द्वारा नियम 68(13) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल किया गया था। नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.स.	डिस्टलरी/बोटलिंग प्लांट का नाम	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी	अवधि	वसूली योग्य अनुज्ञाशुल्क (₹ लाख में)
अ	**डिस्टलरीज**			
1	ग्लोबस स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़	बहरोड़	2015-16	5.00
2	हिन्दुस्तान स्प्रिटस लिमिटेड, पनीयाला	बहरोड़	2015-16	5.00
3	विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर	अलवर	2015-16	5.00
ब	**बोटलिंग प्लांटस**			
1	गोल्डन बोटलिंग लिमिटेड, भिवाड़ी	बहरोड़	2015-16	5.00
2	ओजस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, नीमराणा	बहरोड़	2015-16	5.00
3	अजन्ता कैमिकल्स इण्डिया लिमिटेड, अलवर	अलवर	2015-16	5.00
4	विजेता ब्रेवरेज प्राईवेट लिमिटेड, बिन्दायका	जयपुर शहर	2015-16	5.00
5	नेशनल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड, जैतपुरा	जयपुर ग्रामीण	2014-16	10.00
6	रजवाडा ब्रेवरीज एण्ड बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर	अजमेर	2015-16	5.00
	योग			50.00

इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 50 लाख के अनुज्ञाशुल्क की अवसूली रही।

प्रकरण को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (अक्टूबर 2016 और जून 2017 के मध्य)। सरकार ने लेखापरीक्षा विचार को स्वीकार किया और बताया (मई 2017) कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2017 से नियम 68(13) को संशोधित और स्पष्ट कर दिया गया है। आगे बताया गया (सितम्बर 2017) कि एक इकाई से राशि ₹ 10.00 लाख की वसूली कर ली गयी थी और शेष इकाइयों से वसूली कर ली जावेगी।

6.6 बन्धपत्राधीन परिवहनित शोधित प्रासव की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियम 5 के अनुसार बन्धपत्र के अधीन धातु के पात्र में परिवहनित प्रासव में रिसाव या वाष्पीकरण के कारण वास्तविक क्षति के लिए यात्रा की अवधि के अनुसार 0.2 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक की छूट देय है। क्षति की गणना डिस्टलरी से प्रेषित प्रासव की मात्रा में से गन्तव्य स्थान पर प्राप्त की गयी मात्रा को घटाकर की जावेगी, दोनों ही मात्रा लन्दन प्रुफ लीटर[6] (एलपीएल) में होगी, जिसकी गणना प्रेषित और प्राप्त प्रासव की तेजी पर होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर के क्षेत्राधीन दो इकाइयों[7] के अवधि 2014-16 के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (नवम्बर 2016) कि डिस्टलरी से प्रेषित 34.15 लाख एलपीएल शोधित प्रासव के विरूद्ध सम्बन्धित इकाइयों पर 34.00 लाख एलपीएल शोधित प्रासव कि प्राप्ति दिखाई गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन में कुल 14,713.71 एलपीएल शोधित प्रासव की क्षति हुई। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पंचनामा और इकाई के लेखों में केवल 5,930.11 एलपीएल शोधित प्रासव की परिवहन क्षति को सत्यापित किया गया। इस प्रकार, इकाई के खातों में 8,783.60 एलपीएल शोधित प्रासव को नहीं लिया गया। इसलिए, इस मात्रा पर प्रेषण के समय प्रभावी दर 116.67 प्रति एलपीएल से ₹ 10.25 लाख का आबकारी शुल्क आरोपणीय था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी ने ऐसी अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की मांग नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (दिसम्बर 2016 और जून 2017 के मध्य); सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2017) कि सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को वसूली करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे।

6.7 मदिरा के उत्पादन में प्रयुक्त अधिक अल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान डिस्टलरीज नियम के नियम 91 के अनुसार डिस्टलर, जब उसे ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो, भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा की ऐसी किस्म और ऐसी तीव्रता का निर्माण और भराई कर सकता है जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित और

[6] लंदन प्रूफ लीटरः प्रासव की तेजी को दर्शाने की इकाई।

[7] (1) मैसर्स एच.एच. बोटलिंग प्लांट, श्रीगंगानगर, (2) मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ का मदिरा निर्माण केन्द्र, श्रीगंगानगर।

अनुमोदित किया गया हो। व्हिस्की, ब्रांडी एवं रम की न्यूनतम तीव्रता[8] 25 अण्डर प्रूफ[9]; जिन की 35 अण्डर प्रूफ; देशी मदिरा की 40/50 अण्डर प्रूफ, शोधित प्रासव की 60 ओवर प्रूफ[10] और विकृत प्रासव की 50 ओवर प्रूफ निर्धारित है।

उपरोक्त नियमों का नियम 106 यह स्पष्ट करता है कि 25^o, 35^o और $40^o/50^o$ अण्डर प्रूफ की निर्धारित तीव्रता के प्रमाणीकरण में प्रभारी अधिकारी को स्वयं की सन्तुष्टि हेतु यह पर्याप्त होगा कि प्रासव की तीव्रता विख्यात तीव्रता से 0.5^o की ऊपरी सीमा के अन्तर्गत हो। निर्धारित तीव्रता से कम तीव्रता का प्रासव जारी करने हेतु अनुमत्य नहीं है। इसे विभाग द्वारा जनवरी 2015 में परिपत्र जारी कर स्पष्ट भी किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण के क्षेत्राधीन दो[11] उत्पादन इकाइयों और जिला आबकारी अधिकारी, डिस्टलरी, उदयपुर के क्षेत्राधीन चार[12] उत्पादन इकाइयों के अवधि 2014-16 के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 2016 और जनवरी 2017 के मध्य) कि मदिरा की तेजी को सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के नमूने सरकारी प्रयोगशालाओं अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे थे। भारत निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा की रासायनिक जांच रिपोर्टस के परीक्षण से प्रकट हुआ कि लेखाओं में ली गई प्रासव की तीव्रता भारत निर्मित विदेशी मदिरा के सम्बन्ध में निर्धारित 25^o अण्डर प्रूफ और देशी मदिरा के सम्बन्ध में निर्धारित $40^o/50^o$ अण्डर प्रूफ से कम थी, अर्थात मदिरा में अल्कोहल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप, लेखाओं में 35,966.07 एलपीएल अल्कोहल का कम लेखांकन किया गया था, जिससे सरकार को ₹ 57.06 लाख के आबकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा। आबकारी राजस्व की हानि के अतिरिक्त, निर्धारित सीमा से कम तीव्रता की मदिरा का प्रेषण नियमों का उल्लंघन था। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा डिस्टलर्स/बोटलर्स के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अक्टूबर 2016 और जून 2017 के मध्य); सरकार ने जबाब दिया (सितम्बर 2017) कि दो इकाइयों से ₹ 35.54 लाख की वसूली कर ली गयी थी। दो इकाइयों द्वारा उच्च न्यायालय से स्टे लिया गया था तथा शेष दो इकाइयों से वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

---

8 प्रुफ स्प्रिट में वजन के अनुसार 49.24 प्रतिशत अल्कोहल और 50.76 प्रतिशत पानी अथवा आयतन की गणना में 57.06 प्रतिशत अल्कोहल होता है।

9 जब प्रासव की तीव्रता प्रुफ स्प्रिट से कमजोर हो तो इसे अण्डर प्रुफ कहते है। इस प्रकार, 25^o या 25 यू.पी. में 75 प्रुफ स्प्रिट का आयतन और 25 पानी का आयतन होता है।

10 ओवर प्रुफ प्रासव वह होता है जो प्रुफ स्प्रिट से मजबूत होता है और प्रुफ स्प्रिट की माप जिसे पानी के साथ मिश्रण करने पर 100 आयतन की प्राप्ति होती है, की संख्या के अनुसार वर्णित होता है। इस प्रकार, 66^o अथवा 66 ओ.पी. प्रासव में 166 प्रुफ स्प्रिट का आयतन होता है।

11 मैसर्स परनोड रिकार्ड इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड, कालाडेरा, चौंमू और मैसर्स नेशनल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड, जैतपुरा।

12 मैसर्स यूनाईटेड स्प्रिटस लिमिटेड, मैसर्स श्री महामाया लिकर इण्डट्रीज और बोटलिंग प्लांट, मैसर्स सोलकिट डिस्टलरी और ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का मदिरा निर्माण केन्द्र।

6.8 परिधीय क्षेत्र की दुकानों की कम्पोजिट फीस के कम निर्धारण से राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 की राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) के अनुसार, देशी मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त आवेदन आमंत्रित कर एकाकी विशेषाधिकार राशि पर किया गया था। सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने जिलेवार आवेदन आमंत्रित करने के लिए, जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या, उनकी एकाकी विशेषाधिकार राशि, कम्पोजिट फीस, धरोहर राशि और आवेदन शुल्क को प्रसारित किया था। यह जानकारी विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई गई थी। आवेदकों को लाटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किये गये थे। चयिनत आवेदक उन दुकानों की श्रेणी के अनुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि और कम्पोजिट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसके लिए उन्होने आवेदन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक दुकान ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 की नीति के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2014-15 के अनुज्ञापत्र वर्ष 2015-16 के लिए नवीनीकृत किये गये थे।

नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नगरीय सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित गांवों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में निर्धारित किया गया था। इन परिधि क्षेत्र में आने वाले गांवों को आगे 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। वे गांव जिनमें वर्ष 2005-06 से गत वर्ष तक आवंटित देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट दुकानों की तरह संचालित की गई हो अथवा दुकानें जो राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित हों अथवा दुकानें जिनकी सीमा सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हों, उन्हे 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था एवं शेष को 'बी' श्रेणी में। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए 'ए' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बराबर अथवा उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों की अनुज्ञाशुल्क में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए 'बी' श्रेणी की दुकानों के लिये कम्पोजिट फीस, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बराबर अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों की अनुज्ञाशुल्क का 50 प्रतिशत अथवा क्रमशः ₹ 40,000 और ₹ 50,000 ,में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी।

नौ[13] जिला आबकारी अधिकारियों के वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मई 2016 और फरवरी 2017 के मध्य) कि 17 देशी मदिरा दुकानों/समूहों को विभाग द्वारा परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में निर्धारण किया गया था। अनुज्ञाशुल्क पत्रावलियों और सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए देय कम्पोजिट फीस को या तो रिक्त दर्शाया या कम राशि दर्शायी। इसके अलावा, राज्य राजमार्ग पर स्थित एक दुकान (पंचगांव,

[13] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, अलवर, धौलपुर, टोंक, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर शहर, हनुमानगढ़ और सिरोही।

धौलपुर) को 'ए' श्रेणी के स्थान पर 'बी' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। परिधीय क्षेत्र की 17 कम्पोजिट दुकानों के समूहों के लिए ₹ 2.41 करोड़ की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जानी थी किन्तु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन अनुज्ञाधारियों से कम्पोजिट फीस ₹ 0.87 करोड़ निर्धारित की और वसूल की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

ध्यान में लाये जाने (जून 2016 और जून 2017 के मध्य) के बाद, सरकार ने बताया (जुलाई 2017) कि धौलपुर के दो प्रकरणों में वसूली कर ली जावेगी, तथापि, अन्य 15 प्रकरणों के सम्बन्ध में यह बताया गया कि शुल्क की वसूली मानदण्डों/नियमों के अनुसार की गयी थी। 15 प्रकरणों के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति में निर्दिष्ट था कि दुकानों के वर्गीकरण के अनुसार कम्पोजिट फीस का निर्धारण किया जाना था। इसलिए, आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व ही दुकानों के वर्गीकरण के अनुसार कम्पोजिट फीस का निर्धारण किया जाना था। तथापि, इन प्रकरणों में कम्पोजिट फीस का निर्धारण उन दुकानों के संचालन के अनुसार किया गया था, जो नीति के अनुसार नहीं था।

6.9 होटल बार अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र) नियम, 1973 के अनुसार होटल बार अनुज्ञापत्र के लिए होटलों को मुख्यतः तीन श्रेणियों विलासिता, हैरिटेज तथा अन्य में विभाजित किया गया था। उपरोक्त नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत होटलों की प्रत्येक श्रेणी के लिए होटल बार अनुज्ञापत्र हेतु अनुज्ञाशुल्क की विभिन्न दरें वर्ष या उसके भाग के लिए निर्धारित की गयी थी। दो जिला आबकारी अधिकारियों[14] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि होटल बार के अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली की गयी थी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

उपरोक्त नियमों के नियम 2(एए), जो कि अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2012 के द्वारा जोड़ा गया था के अनुसार 'हैरिटेज राजस्थान होटल' से तात्पर्य ऐसे किसी होटल से है, जिसको राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा इस उददेश्य हेतु विशेष रूप से अधिकृत अन्य प्राधिकरण/समिति द्वारा हैरिटेज राजस्थान होटल के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो। हैरिटेज होटलों को आगे 'ए' 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हैरिटेज होटल श्रेणी 'सी' के लिए बेसिक अनुज्ञाशुल्क वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक ₹ तीन लाख एवं वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए ₹ 0.75 लाख निर्धारित की गयी थी। हैरिटेज होटल के लिए वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए बेसिक अनुज्ञाशुल्क के अतिरिक्त, न्यूनतम विशेष वेण्ड फीस राशि ₹ 0.25 लाख भी अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान की जानी थी।

जिला आबकारी अधिकारी, पाली और जोधपुर के क्षेत्राधीन होटल बार अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया (फरवरी और मार्च 2017) कि, दो होटल बार[15] (जिला आबकारी अधिकारी, पाली) को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2011-12 के पश्चात ना तो हैरिटेज होटल में पुनर्वर्गीकृत किया गया और ना ही राज्य सरकार द्वारा हैरिटेज राजस्थान होटल के रूप में मान्यता दी गयी थी। इसी प्रकार, एक होटल बार[16]

[14] जिला आबकारी अधिकारीः जोधपुर और पाली।

[15] होटल रावला नारलाई और होटल महारानी बाग।

[16] होटल फोर्ट खेजडला।

(जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर) को 2014-15 के पश्चात हैरिटेज होटल में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया था । तथापि, विभाग द्वारा 'अन्य होटल' की श्रेणी हेतु देय अनुज्ञाशुल्क की वसूली न कर, दो होटल बार (जिला आबकारी अधिकारी, पाली) के अनुज्ञापत्र अवधि 2012-13 से 2015-16 तक और एक होटल बार (जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर) का अनुज्ञापत्र अवधि 2015-16 के लिए हैरिटेज होटल श्रेणी 'सी' का अनुज्ञाशुल्क लेकर नवीनीकृत कर दिये गये । ये अनुज्ञाधारी उपरोक्त उल्लेखित अवधि के लिए ₹ 33 लाख के अनुज्ञाशुल्क (न्यूनतम विशेष वेण्ड फीस को शामिल करते हुए) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे किन्तु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन अनुज्ञाधारियों से ₹ 18 लाख की मांग की और वसूल किये । इसके परिणामस्वरूप ₹15 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (मार्च 2017 और जून 2017 के मध्य); सरकार ने जबाव दिया (जुलाई 2017) कि जिला आबकारी अधिकारी, पाली के क्षेत्राधीन होटलों से वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये थे । जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर के क्षेत्राधीन होटल फोर्ट खेजडला के प्रकरण में इसके हैरिटेज श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण का आवेदन वर्ष 2015-16 से पर्यटन विभाग के पास विचाराधीन है । यदि अनुज्ञाधारी वांछित स्वीकृति प्राप्त करने में विफल होता है, तो नियमानुसार अनुज्ञाशुल्क की अन्तर राशि वसूल कर ली जावेगी ।

अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर, प्रशासन तथा विभाग में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं । प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान एवं छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता की जाती है । अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियन्ताओं के नेतृत्व वाले नौ वृत्तों का नियन्त्रण करते हैं ।

49 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये एवं राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण के लिये उत्तरदायी हैं । विभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं ।

7.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभागीय क्रियाकलापों को उपयुक्त कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी ढंग से किये जाने तथा राजस्व संग्रहण न करने, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने के अतिरिक्त विभिन्न अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं शुद्धता से संधारण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण तंत्र है ।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से लंबित थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली में कमजोरी वाले क्षेत्रों से अनभिज्ञ थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई । यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है । वर्ष 2016-17 के दौरान 129 इकाइयों में से एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गयी ।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और निदेशालय पेट्रोलियम की 127 इकाइयों में से 53 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गयी मापक जांच में 2,112 प्रकरणों में राशि ₹ 285.56 करोड़ के राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर अनुच्छेद		1	49.68
2	अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली		419	126.68
3	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		440	61.10
4	शास्ति/ब्याज का अनारोपण		251	3.87
5	प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव		37	38.98
6	पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली		185	1.71
7	अन्य अनियमिततायें	राजस्व	753	3.22
		व्यय	26	0.32
योग			**2,112**	**285.56**

वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग ने 2,653 प्रकरणों में ₹ 28.60 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 533 प्रकरण राशि ₹ 10.98 करोड़ वर्ष 2016-17 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने 1,806 प्रकरणों में ₹ 9.60 करोड़ वसूल किये, जिसमें से 41 प्रकरण राशि ₹ 0.43 करोड़ चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने सात प्रकरण स्वीकार किये तथा संपूर्ण राशि ₹ 52.03 लाख वसूल किये। इन प्रकरणों पर इस प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गयी है।

'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद राशि ₹ 49.68 करोड़ एवं कुछ निदर्शी प्रकरण राशि ₹ 1.88 करोड़ पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

7.4 अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

7.4.1 परिचय

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनयम, 1957 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अप्रधान खनिजों के संबंध में खदान अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों तथा अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 बनाये। खनन पट्टों के अतिरिक्त खनिजों का उत्खनन एवं हटाया जाना, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी अल्पावधि अनुमति-पत्रों के माध्यम से किया जा सकता है।

अल्पावधि अनुमति-पत्रः अल्पावधि अनुमति-पत्र एक निर्दिष्ट अवधि (चार माह तक) के भीतर तथा निर्दिष्ट क्षेत्र से 500 मैट्रिक टन तक की निर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन एवं हटाये जाने हेतु दिये जाते हैं। खनिज जैसे कि साधारण-मिट्टी, चुनाई पत्थर, बजरी, मुर्रम, ग्रेवल, गिट्टी, इत्यादि के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अन्तर्गत अल्पावधि अनुमति-पत्र दिये जा सकते हैं।

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/राजकीय उपक्रमों के लिये कार्यरत निर्माण ठेकेदारों को निर्माण विभाग द्वारा आवंटित कार्यो के निष्पादन के लिये संबंधित निर्माण विभाग[1] की सिफारिशों पर 500 मैट्रिक टन से अधिक खनिज के लिये तथा चार माह से अधिक अवधि के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र दिये जा सकते है।

ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रः राज्य सरकार ने 10 जून 1994 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित की। नियम 63-बी में ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के समीपस्थ भू-तल से डेढ मीटर गहराई तक उत्खनन की भी अनुमति दी जावेगी परंतु उत्खनित खनिज का निस्तारण केवल संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियन्ता से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

7.4.2 अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये कार्यपद्धति

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों/राजकीय उपक्रमों के ठेकेदारों द्वारा कार्य के निष्पादन में उपयोग लिये जाने वाले खनिजों पर अधिशुल्क के आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित की। संबंधित निर्माण विभाग के लिये कार्य के प्रत्येक कार्य आदेश तथा अनुसूची-'जी'[2] की एक प्रति आवंटित कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों (घन मीटर या मैट्रिक टन) के विवरण सहित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

---

[1] निर्माण विभाग जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल तथा विकास प्राधिकरण इत्यादि हैं।

[2] यह संविदा दस्तावेज में सम्मिलित मात्राओं तथा मूल्यों की एक अनुसूची है।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के लिये कार्य के निष्पादन से पूर्व संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित विकल्पों में से एक मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था:

- संबंधित निर्माण विभाग द्वारा सतत् बिलों से अधिशुल्क की कटौती किया जाना (विकल्प 'ए')।
- अल्पावधि अनुमति-पत्र को जारी करते समय संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में अग्रिम में अधिशुल्क जमा करे (विकल्प 'बी')।
- अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय करे तथा संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में प्रथम बिल साथ ही साथ अंतिम बिल के स्तर पर निर्धारण के लिये उनके अभिलेख प्रस्तुत करे (विकल्प 'सी')।
- संयुक्त रूप से विकल्प 'बी' तथा 'सी' का उपयोग करे जैसे कि अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान करने के पश्चात अपने स्तर पर खनिजों की एक निश्चित मात्रा का उत्खनन करे तथा शेष अपेक्षित मात्रा के लिये अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय करे (विकल्प 'डी')।
- कार्य के निष्पादन के दौरान अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का उपयोग करे। इसके अतिरिक्त अंतिम बिल के भुगतान के समय अधिशुल्क के रूप में एक राशि[3] की कटौती भी की जावे (विकल्प 'ई')।

स्त्रोतः परिपत्र दिनांक 15 नवंबर 2011 तथा 9 जनवरी 2013।

7.4.3 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं उद्देश्य

विभाग द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि में 'अनुमति-पत्रों के माध्यम से हटाये गये खनिजों पर अधिशुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' की नमूना जांच यह परीक्षण करने हेतु की गयी थी कि क्या अनुमति-पत्र राज्य सरकार या विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, प्रक्रियाओं, आदेशों तथा परिपत्रों के अनुसरण में जारी किये गये थे। विभाग में 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय हैं। इनमें से, विस्तृत जांच के लिये लेखापरीक्षा ने सात खनि अभियंता कार्यालयों[4] का चयन किया। इसके अतिरिक्त, नियमित लेखापरीक्षा में वर्ष 2016-17 के दौरान पाई गई कमियां भी इसमें शामिल की गयी।

लेखापरीक्षा जांच-परिणाम

7.4.4 अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करना

12 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[5] में अल्पावधि अनुमति-पत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

---

[3] कार्य की कुल लागत का, सड़क के निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन के निर्माण के प्रकरण में तीन प्रतिशत एवं मरम्मत तथा अन्य कार्य के प्रकरण में डेढ़ प्रतिशत।

[4] खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर।

[5] सात चयनित खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा पांच नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः खनि अभियंता अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, राजसमन्द-II एवं सहायक खनि अभियंता झालावाड़।

7.4.4.1 अभिलेखों का संधारण

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार संबंधित निर्माण विभाग के लिये कार्यादेश तथा कार्य की अनुसूची-'जी' की एक प्रति कार्य के निष्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले खनिजों के विवरण (घनमीटर या मैट्रिक टन) सहित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार अधिशुल्क की वसूली करता है । तथापि, विभाग ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर अधिशुल्क की वसूली अभिलिखित/निगरानी करने के लिये कोई प्रणाली/तंत्र विकसित नहीं किया था ।

चयनित खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने, तथापि, प्रकट किया कि चार खनि अभियंता कार्यालयों[6] ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों को अभिलिखित करने हेतु पंजिकायें संधारित की थी ।

खनि अभियंता जोधपुर तथा कोटा द्वारा संधारित पंजिकाओं में 5,937 ठेकेदारों के विवरण दर्ज थे जिन्होनें अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान अल्पावधि अनुमति-पत्र के लिये आवेदन किये थे/खनि अभियंता को विकल्प प्रस्तुत किये थे । तथापि, पंजिका में कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि, खनिज उपभोग के विवरण, निर्धारण की तिथि तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से संबंधित कोई विवरण नही था । इन विवरणों के अभाव में खनि अभियंता सही निर्धारण/अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित नही कर सके ।

खनि अभियंता कार्यालय अजमेर तथा भीलवाड़ा में उन ठेकेदारों के विवरण जिन्होनें विकल्प 'सी' प्रस्तुत किये थे, उनकी प्राप्तियों की निगरानी करने के लिये पंजिका में दर्ज नही किये जा रहे थे । खनि अभियंता भीलवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा पंजिका में सभी आवश्यक विवरणों को अभिलिखित करने हेतु आश्वासित किया (जुलाई 2017) ।

शेष तीन खनि अभियंता कार्यालयों[7] में कोई पंजिका संधारित नही की गयी थी । इस प्रकार इन कार्यालयों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी दायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली की गयी थी, ठेकेदारों के विवरण तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प उपलब्ध नही थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.4.2 ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण शपथ-पत्र

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 का क्लॉज 2 विनिर्दिष्ट करता है कि निर्माण ठेकेदार के लिये उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक विकल्प मय शपथ-पत्र जिसमें कि वह अधिशुल्क भुगतान के विकल्प का कथन करेगा, प्रस्तुत करना अपेक्षित था ।

[6] अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं कोटा ।
[7] भरतपुर, जयपुर एवं उदयपुर ।

- खनि अभियंता उदयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 96 प्रकरणों में से 90 में निर्माण ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अपूर्ण थे । शपथ-पत्रों में कार्य का नाम, कार्यादेश संख्या इत्यादि अंकित नहीं थे ।

  शेष छः प्रकरणों में शपथ-पत्र खाली पाये गये, यहां तक की ठेकेदारों के हस्ताक्षर भी नही पाये गये परंतु संबंधित खनि अभियंता उदयपुर ने उन्हें स्वीकार किया तथा इन्हें विकल्प 'सी' में माना एवं निर्माण विभाग को तद्नुसार सूचित किया ।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि खनि अभियंता भीलवाड़ा में एक ठेकेदार ने खनिज साधारण-मिट्टी के उत्खनन हेतु अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन (26 दिसम्बर 2013 तथा 20 फरवरी 2014 के मध्य) किये थे । परंतु खनि अभियंता भीलवाड़ा ने अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी नहीं किया । अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये इन आवेदनों को बिना कोई कारण अभिलिखित किये पत्रावलियों में रखा गया । खनिज की मात्रा जिसके लिये आवेदन किया गया वह 2.40 लाख मैट्रिक टन खनिज साधारण-मिट्टी की थी । अनुमति-पत्रों को जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 6 लाख तथा अनुमति-पत्र शुल्क ₹ 1.20 लाख की हानि हुई ।

  यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात खनि अभियंता ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि अनुमति-पत्र जारी नहीं किये गये क्योंकि फर्म ने अन्य स्थानों के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करवाया था । प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनि अभियंता को उसी कार्य विशेष जिसके लिये ठेकेदार ने आवेदन किया था, के लिये ही अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी करने थे । इसके अतिरिक्त, खनि अभियंता ने अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये थे ।

  दो खनि अभियंता कार्यालयों[8] के 220 प्रकरणों में शपथ–पत्र अभिलेखों में नहीं पाये गये ।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि एक पंजिका का संधारण किये जाने के निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है जिसमें अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने तथा उन पर अधिशुल्क का संग्रहण करने से संबंधित सभी आवश्यक विवरण दर्ज हो सकें ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

7.4.4.3 विभागों के मध्य समन्वय का अभाव

परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 विनिर्दिष्ट करता है कि यदि निर्माण विभाग ने परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया या कार्य का अंतिम बिल खान विभाग के 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के बिना पारित किया या ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का उपयोग किया तो उपयोग में लिये गये खनिज का 10 गुणा अधिशुल्क वसूलनीय होगा तथा संबंधित निर्माण विभाग उस राशि को जमा कराने के लिये उत्तरदायी होगा ।

यह पाया गया कि राजस्व रिसाव को रोकने हेतु निर्माण विभागों तथा खान विभाग के मध्य समन्वय का अभाव था, जैसे कि नीचे चर्चा की गई है:

[8] खनि अभियंता कोटा-216 प्रकरण तथा खनि अभियंता उदयपुर-4 प्रकरण ।

- कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड–II, उदयपुर में वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिये संधारित अनुबन्ध पंजिकाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 46 ठेकेदारों ने राशि ₹ 7.71 करोड़ के कार्यों का निष्पादन किया। तथापि, इन ठेकेदारों ने अल्पावधि अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन नहीं किया था। ये कार्य सड़क नवीनीकरण, पैच मरम्मत, भवनों के निर्माण इत्यादि से संबंधित थे जिनमें कार्य निष्पादन के दौरान खनिजों का प्रयोग वांछनीय था। ये ठेकेदार, इसलिये, अधिशुल्क भुगतान के लिये उत्तरदायी थे। अनुबंध पंजिका ने प्रकट किया कि 35 प्रकरणों में, अधिशुल्क की वसूली किये बिना तथा खान विभाग के 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के बिना उन्हें अंतिम बिलों का भुगतान किया गया। शेष 11 प्रकरणों में कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तथा अंतिम बिल का भुगतान पंजिका में अभिलिखित नहीं था।
- परिपत्र दिनांक 9 जनवरी 2013 के अनुसार विकल्प 'ई' के तहत वर्गीकृत ठेकेदारों द्वारा निर्माण विभाग को एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त शपथ-पत्र की एक प्रति, यह इंगित करते हुये कि उनके द्वारा कार्य के निष्पादन में अवैध रूप से उत्खनित खनिज प्राप्त कर उपयोग नहीं किया जावेगा खान विभाग को पृष्ठांकित की जानी थी। इस विकल्प के अनुसार निर्माण विभाग द्वारा कार्य के अंतिम बिल से अधिशुल्क की कटौती (कार्य की कुल लागत का, सड़क के निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन के निर्माण के प्रकरण में तीन प्रतिशत एवं मरम्मत तथा अन्य कार्य के प्रकरण में डेढ़ प्रतिशत) करना तथा इसे खान विभाग में जमा कराना अपेक्षित था।

  पांच कार्यालयों[9] द्वारा प्रदान की गयी सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 443 ठेकेदार जिन्होंने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान कार्यों को निष्पादित किया था ने विकल्प 'ई' प्रस्तुत किया था। इस सूचना को संबंधित खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों के साथ प्रतिसत्यापन के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदारों जिन्हें विकल्प 'ई' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, के शपथ-पत्रों की पृष्ठांकित प्रतियों की सूचना ना तो अभिलिखित की गयी थी ना ही संबंधित खण्डों से अधिशुल्क की वसूली एवं जमा के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी।

  इन अभिलेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन सभी प्रकरणों में अधिशुल्क की कटौती की गयी थी। उपरोक्त तथ्यों ने इंगित किया कि संबंधित निर्माण विभागों एवं खान विभाग के मध्य समन्वय का अभाव था जिसे राजस्व के हित में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.4 सिविल कार्यो में प्रयुक्त खनिजों के बकाया निर्धारण

अधिशुल्क वसूली की प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में निर्धारित की गयी थी। परिपत्र के अनुसार, अधिशुल्क निर्धारण के लिये ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 'रवन्ना'[10] केवल उसके

[9] जल संसाधन खण्ड, भरतपुर; जल संसाधन खण्ड-I, II, भीलवाडा; सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड-II, उदयपुर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, उदयपुर।

[10] रवन्ना से तात्पर्य खानों से खनिज को हटाने या निर्गमन हेतु डिलिवरी चालान से है।

नाम पर होना चाहिये। नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[11] में ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये प्रस्तुत विकल्पों के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट कीः

- उक्त परिपत्र से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकल्प 'सी' तथा विकल्प 'डी'[12] के प्रकरण में कार्य का प्रथम सतत् बिल केवल उस स्तर तक प्रयुक्त खनिजों के निर्धारण के पश्चात ही पारित किया जा सकता था तथा अंतिम बिल संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात पारित किया जा सकता था।

  लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 896 प्रकरणों में उनके कार्यादेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने की तिथि के अनुसार कार्य अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य पूर्ण हो चुके थे। 811 प्रकरणों में संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा अधिशुल्क का निर्धारण ना तो प्रथम सतत् बिल के स्तर तक किया गया ना ही अंतिम बिल पारित करने के स्तर तक। शेष 85 प्रकरणों में प्रथम सतत् बिल स्तर तक प्रयुक्त खनिजों का तो निर्धारण किया गया परंतु अंतिम बिल स्तर तक प्रयुक्त खनिजों का निर्धारण बकाया था (जुलाई 2017)। यह भी पाया गया कि खनि अभियंताओं ने संबंधित निर्माण विभागों को सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित नहीं किया था कि ठेकेदारों को अंतिम बिल का भुगतान करने से पूर्व ठेकेदार खान विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देवें।

- परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार ठेकेदार, जिसने विकल्प 'सी' तथा 'डी' प्रस्तुत किया था के लिये ठेकेदार के नाम पर जारी बिल/रवन्ना/अधिशुल्क पर्ची प्रस्तुत करना अपेक्षित था तथा यदि ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों को प्रयुक्त किया था तो प्रयुक्त खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूलनीय होगा।

  14 प्रकरणों[13] में निर्माण ठेकेदारों ने रवन्ना/अधिशुल्क पर्चियां, जो ठेकेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी की गयी थी प्रस्तुत की थी। खनि अभियंताओं ने इस तथ्य के बावजूद कि रवन्ना/अधिशुल्क पर्चियां ठेकेदारों के पक्ष में जारी नहीं की गयी थी इन रवन्नाओं/अधिशुल्क पर्चियों को स्वीकार किया तथा अधिशुल्क का निर्धारण किया। इस उत्खनन को यहां अवैध मानना चाहिये तथा प्रयुक्त खनिजों के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूल किया जाना चाहिये था। अवैध रूप से प्रयुक्त खनिज की कीमत ₹ 20.88 लाख संगणित की गयी।

  खनि अभियंता उदयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2017) कि छोटे कार्यों में ठेकेदारों ने बाजार में उपलब्ध स्टॉकिस्ट से खनिजों का क्रय किया था तथा प्रस्तुत किये गये रवन्नाओं/अधिशुल्क पर्चियों पर स्टॉकिस्ट का नाम था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ना तो स्टॉकिस्ट से खनिजों के क्रय बिल अभिलेखों में उपलब्ध थे ना ही निर्धारण आदेशों में उनका उल्लेख किया गया।

---

[11] सात चयनित खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा दो नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः खनि अभियंता, जैसलमेर तथा सहायक खनि अभियंता, झालावाड़।

[12] अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों के संबंध में जो प्राप्त किये गये।

[13] खनि अभियंता कार्यालयः भरतपुर-2, जोधपुर-5 तथा उदयपुर-7 प्रकरण।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.5 निर्माण ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति-पत्र के बिना खनिज साधारण-मिट्टी का उपयोग

तटबंधों, सड़कों, रेल्वे, भवनों इत्यादि के निर्माण में भराव एवं समतलीकरण के उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त खनिज साधारण-मिट्टी को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी 2000 से अप्रधान खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा खनिज साधारण-मिट्टी का कोई खनन पट्टा अनुदानित नहीं किया गया था, खनिज साधारण-मिट्टी केवल अल्पावधि अनुमति-पत्र के अन्तर्गत अग्रिम अधिशुल्क के भुगतान पर ही प्राप्त की जा सकती थी। ऐसे ठेकेदारों जिन्होने विकल्प 'सी' प्रस्तुत किया था के लिये अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय अपेक्षित था, तत्पश्चात उनके लिये संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं को प्रथम या अन्तिम बिल के स्तर तक, जैसा भी प्रकरण हो निर्धारण के लिये अधिशुल्क के भुगतान से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

- खनि अभियंता भरतपुर तथा जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा पर पाया गया कि 16 निर्माण कार्यों, जहाँ ठेकेदारों ने विकल्प 'सी' प्रस्तुत किये थे, के निष्पादन में अनुसूची-'जी' के अनुसार 2.46 लाख मैट्रिक टन (1.76 लाख घन मीटर) खनिज साधारण-मिट्टी वांछित थी। यह पाया गया कि निर्माण विभागों ने संबंधित खनि अभियंताओं को निर्माण कार्यों में खनिजों के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में खनिज साधारण-मिट्टी के उपयोग का उल्लेख नहीं था। तथापि, अनुसूची-'जी' में कार्य के निष्पादन के लिये खनिज साधारण-मिट्टी की आवश्यकता से संबंधित विवरण शामिल थे। यह इंगित करता था कि खनि अभियंताओं द्वारा अनुसूची-'जी' के अनुसार खनिज के उपयोग को नहीं जांचा गया। ठेकेदारों द्वारा खनिज साधारण-मिट्टी के अवैध रूप से उत्खनन एवं उपयोग किये जा सकने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

  इन कार्यों के अंतिम बिलों को यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया, निर्माण विभागों द्वारा प्रदान नहीं किये गये। अंतिम बिलों के अभाव में कार्यों में प्रयुक्त खनिज की वास्तविक मात्रा, खनिज की कीमत की गणना के लिये सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- खनि अभियंता भीलवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीलवाड़ा ने एक सड़क को चौड़ा करने तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य एक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित (अगस्त 2012) किया। खनि अभियंता ने कार्य के निष्पादन में उपयोग किये जाने हेतु अधिशुल्क की वसूली के बिना 2.17 लाख मैट्रिक टन खनिज साधारण-मिट्टी के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी (नवम्बर 2012) कर दिया। ठेकेदार ने केवल अनुमति-पत्र शुल्क जमा किया परंतु अधिशुल्क ₹ 5.41 लाख जमा नहीं किया। तथापि, खनि अभियंता ने अदेय प्रमाण-पत्र जारी (मई 2014) करते समय गलत रूप से अभिलिखित किया कि अधिशुल्क भुगतान

कर दिया गया था। खनि अभियंता की चूक के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 5.41 लाख[14] की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.6 'संचालन की सहमति' में दी गई अनुमति से अधिक मात्रा के अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37टी(1)(i) के प्रावधानानुसार अल्पावधि अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक खनन संक्रियाओं के प्रारंभ से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से 'संचालन की सहमति' प्राप्त करेगा तथा 'संचालन की सहमति' की शर्तों को सख्ती से लागू करेगा।

खनि अभियंता जोधपुर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्य अभियंता, (एनएचडीपी-IVए) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आवंटित एक कार्य के निष्पादन के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को 15 दिसम्बर 2015 से 30 नवम्बर 2018 तक की अवधि के लिये दो लाख मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर के उत्खनन के लिये एक 'संचालन की सहमति' जारी (23 दिसम्बर 2015) की गई। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि खनि अभियंता जोधपुर ने 'संचालन की सहमति' में अनुमत्य दो लाख मैट्रिक टन मात्रा के बजाय ठेकेदार को 2.44 लाख मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर के अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी किये। इस प्रकार, खनि अभियंता ने 'संचालन की सहमति' में अनुमत्य मात्रा से 0.44 लाख मैट्रिक टन अधिक खनिज चुनाई पत्थर के लिये अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी किये जो कि अनियमित था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.7 खनिज की कीमत का निर्धारण एवं वसूली नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(1) के प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत जारी अल्पावधि अनुमति-पत्र या किसी अन्य अनुमति में उल्लेखित निबंधनों तथा शर्तों के सिवाय कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त नियम 48(5) के परंतुक के प्रावधानानुसार जहाँ इस प्रकार से निकाले गये खनिज को पहले ही निर्गमित या प्रयुक्त कर लिया गया है, प्राधिकारी खनिज का मूल्य वसूल कर सकेंगे जो कि प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर संगणित किया जावेगा।

खनि अभियंता जैसलमेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर ने खान विभाग को तीन कंपनियों द्वारा विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य के दौरान खनिजों के अवैध उपयोग के संबंध में सूचित किया तथा खनिजों के मूल्य ₹ 28.28 करोड़ को वसूलना प्रस्तावित किया।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रस्ताव की अनुपालना में खनि अभियंता जैसलमेर ने इन कंपनियों को उनके द्वारा निष्पादित विन्ड मिल्स के संस्थापन कार्य की सूचना खनिजों के स्रोत

[14] साधारण-मिट्टी 2,16,515 मैट्रिक टन X ₹ 2.50 (अधिशुल्क दर)।

के विवरण सहित प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी (जून 2016) किये। इनमें यह उल्लेखित था कि 30 दिवस के भीतर वांछित सूचना का अप्रस्तुतिकरण ₹ 25.61 करोड़ की वसूली के लिये कार्यवाही को आकर्षित करेगा। निष्पादकों ने वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की (मार्च 2017)। खनि अभियंता जैसलमेर ने ना तो इन कंपनियों द्वारा प्रयुक्त खनिजों की मात्रा की गणना करने के लिये कोई कार्यवाही की ना ही राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रस्ताव अनुसार खनिजों के मूल्य की वसूली की।

खनि अभियंता जैसलमेर कार्यालय में समान कार्यों के निष्पादन हेतु अल्पावधि अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये दो कंपनियों (उपरोक्त उल्लेखित कंपनियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत तीन आवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्रत्येक विन्ड मिल के लिये 800 मीटर लम्बाई की संपर्क सड़क निर्माण के लिये 1,120 मैट्रिक टन खनिज मुर्रम वांछित था। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने, तथापि, उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रत्येक विन्ड मिल हेतु 800 मीटर लम्बाई की संपर्क सड़क निर्माण के लिये खनिजों की वांछित मात्रा के रूप में साधारण-मिट्टी तथा मुर्रम प्रत्येक की 672 मैट्रिक टन गणना की थी। इस प्रकार, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय ने प्रत्येक विन्ड मिल की संपर्क सड़क निर्माण के लिये खनिज मुर्रम की मात्रा 448 मैट्रिक टन से कम गणना की। गणनानुसार राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कम निर्धारित खनिज मुर्रम की अधिशुल्क राशि ₹ 9.86 करोड़ थी। इस प्रकार विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा गणना किये गये ₹ 28.28 करोड़ सहित ₹ 38.14 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.4.8 सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 ने बीओटी[15] ठेकेदारों सहित निर्माण ठेकेदारों के लिये निम्नलिखित प्रावधान विनिर्दिष्ट कियेः

- कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय को ठेकेदार द्वारा वास्तव में उपयोग किये गये खनिजों की मात्रा का विवरण प्रदान करना निर्माण विभाग के लिये आवश्यक था।
- यदि निर्माण विभाग परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करे या ठेकेदार ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का उपयोग किया तो उपयोग किये गये खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूली योग्य होगा तथा संबंधित निर्माण विभाग उस राशि को जमा कराने हेतु जिम्मेदार होगा।

राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2012 तथा 9 जनवरी 2013 से निर्देशित किया कि बीओटी ठेकेदारों को टोल वसूली प्राधिकार केवल खान विभाग के अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान) जयपुर ने उनके पत्र दिनांक 23 जून 2017 से सूचित किया कि राजस्थान में अप्रैल 2013 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 16,957.52 करोड़ की 33 सड़क निर्माण परियोजनायें निष्पादित की गयी। इनमें से

[15] बीओटी- बिल्ड,ऑपरेट तथा ट्रांसफर।

बीओटी आधार पर ₹ 5,160.76 करोड़ की चार परियोजनायें, तीन चयनित खनि अभियंता कार्यालयों[16] के क्षेत्राधिकार में निष्पादित की गयी । ये चार कार्य जुलाई 2013 तथा दिसम्बर 2015 के मध्य पूर्ण किये गये तथा इन सड़कों पर टोल भी लागू कर दिया गया। यह इंगित करने के लिये अभिलेखों में कुछ नहीं था कि खान विभाग द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी किये गये या कार्य में उपयोग किये गये खनिजों का कोई निर्धारण किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करना

राज्य सरकार ने खनिज विकास के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत ईंट भट्टों द्वारा खनिज ईंट-मिट्टी के उपयोग हेतु ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों को जारी करने के लिये प्रक्रिया अधिसूचित (10 जून 1994) की। तद्नुसार, अनुमति-पत्र एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तथा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये अनुदानित किये जा सकते थे। अनुमति-पत्र की अवधि के दौरान अनुमति-पत्रधारी अनुमत्य मात्रा तक खनिज ईंट-मिट्टी का उत्खनन तथा इसका उपयोग निर्दिष्ट भट्टे पर कर सकता है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63-बी के प्रावधानानुसार समीपस्थ भू-तल से डेढ़ मीटर की गहराई तक ईंट-मिट्टी, साधारण-मिट्टी तथा साधारण-क्ले का उत्खनन अनुमत्य किया जावेगा परंतु इस प्रकार उत्खनित ईंट-मिट्टी, साधारण-मिट्टी तथा साधारण-क्ले केवल अधिशुल्क तथा शुल्क के भुगतान पर संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निस्तारित या उपयोग में ली जावेगी।

चयनित खनि अभियंता कार्यालयों में ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा पर निम्नलिखित कमियां पायी गयीः

7.4.5.1 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों हेतु आवेदनों का निस्तारण

विभाग द्वारा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के आवेदनों के विवरणों या उनके परिचालन स्थिति को अभिलिखित करने के लिये कोई पंजिका निर्धारित नहीं की गई थी।

खनि अभियंता जयपुर ने ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के लिये प्राप्त आवेदनों से संबंधित एक पंजिका संधारित की थी। पंजिका के विवरणों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 178 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 149 स्वीकृत किये गये तथा 28 अस्वीकृत किये गये। एक आवेदन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी। पंजिका में 28 आवेदनों की अस्वीकृति के कारण अभिलिखित नहीं थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.2 अनुमति-पत्र शुल्क की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(4) के अनुसार 500 मैट्रिक टन से अधिक खनिज के एक अल्पावधि अनुमति-पत्र के लिये ₹ 200 तथा प्रत्येक अतिरिक्त

[16] खनि अभियंता कार्यालयः अजमेर, जयपुर तथा उदयपुर।

100 मैट्रिक टन या उसके भाग के लिये ₹ 50 की दर से अनुमति-पत्र शुल्क भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

तीन खनि अभियंता कार्यालयों[17] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 82 प्रकरणों में 8.36 लाख मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी के उत्खनन के लिये अनुमति-पत्र शुल्क ₹ 4.15 लाख की वसूली के बिना ईंट-मिट्टी के उत्खनन के लिये अनुमति जारी की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.15 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा अनुमतियों को जारी करना भी अनियमित था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.3 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों का अनियमित जारी करना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में अपने आदेश दिनांक 2 अगस्त 2014 में राज्य सरकार को जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल आकार में बहाल करने के लिये निर्देशित किया। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में उत्खनन के लिये कोई अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

खनि अभियन्ता अजमेर में पाया गया कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र आवेदनों के विवरणों तथा उनकी परिचालन स्थिति को अभिलिखित करने के लिये कोई पंजिका संधारित नहीं की गयी थी। ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र पत्रावलियों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र[18] 'फॉई सागर' झील के जल ग्रहण क्षेत्र में स्वीकृत किया गया था। कार्यालय के क्षेत्र फोरमैन ने अनुमति-पत्र को जारी करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण किया था। तथापि, उसने अपने प्रतिवेदन[19] में जल ग्रहण क्षेत्र के तथ्य के बारे में उल्लेख नहीं किया। फोरमैन द्वारा 2 दिसम्बर 2014 को क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र का क्षेत्र झील के जलग्रहण क्षेत्र में आता था। खनि अभियन्ता ने 20 मार्च 2015 को बकाया देयता के आधारों पर अनुमति-पत्र को निरस्त कर दिया तथा 25 मार्च 2015 को क्षेत्र का कब्जा ले लिया। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड-II, अजमेर ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र का क्षेत्र 'फाई सागर' झील के जलग्रहण क्षेत्र में था। इस बीच ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारी ने 11,068 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया था जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के विरूद्ध था।

- खनि अभियन्ता जयपुर के ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 5 मार्च 2009 से प्रभावी एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (4/2009) 14,700 मैट्रिक टन ईंट-मिट्टी प्रति वर्ष उत्खनन हेतु पांच वर्षों के लिये जारी किया गया था। यह पाया गया कि मार्च 2009 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र के अन्तर्गत क्षेत्र से 73,500 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया गया था।

---

[17] खनि अभियंता कार्यालय : अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा।

[18] ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र संख्या 147/13.2.2014 (9,975 मैट्रिक टन प्रति वर्ष), ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 1960, 1957 जिला अजमेर। अनुमति-पत्रधारी ने 13 फरवरी 2014 से 24 मार्च 2015 के दौरान 11,068 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया।

[19] ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र संख्या 147/13.2.2014 के क्षेत्र का निरीक्षण 12 फरवरी 2014 को किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63-बी के अनुसार 20-09 बीघा[20] के एक खसरा (ग्राम हीरावाला का संख्या 8) के कुल क्षेत्र में से 16-09 बीघा के एक क्षेत्र से समीपस्थ भू-तल से डेढ मीटर गहराई तक कुल 87,364 मैट्रिक टन[21] खनिज ईंट-मिट्टी ही केवल उत्खनित की जा सकती थी।

इसके परिणामस्वरूप नया अनुमति-पत्र केवल 13,864 मैट्रिक टन (87,364 मैट्रिक टन-73,500 मैट्रिक टन) खनिज के उत्खनन के लिये ही जारी किया जा सकता था। संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि उसी क्षेत्र पर 14,700 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (23/2014) जारी (मार्च 2015) किया गया था। इस प्रकार, 836 मैट्रिक टन (14,700 मैट्रिक टन-13,864 मैट्रिक टन) खनिज के उत्खनन के लिये अनुमति अनियमित थी।

यह उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि अनुमति-पत्रधारी ने उसी क्षेत्र से खनिज ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये पुनः आवेदन किया (मार्च 2016) तथा खनि अभियन्ता द्वारा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र (52/2016) के अन्तर्गत 28 अप्रैल 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिये 14,700 मैट्रिक टन खनिज उत्खनन के लिये अनुमति जारी (अप्रैल 2016) की गयी। इस प्रकार, खनि अभियन्ता ने नियम 63-बी के उल्लंघन में अनुमति-पत्रधारी को अनियमित रूप से 15,536 मैट्रिक टन (836 मैट्रिक टन तथा 14,700 मैट्रिक टन) ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिये अनुमति दी।

खनि अभियन्ता, जयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि पूर्व में जारी अनुमति-पत्र खनिज की उपलब्धता के आधार पर थे तथा उस समय गहराई से संबंधित कोई प्रतिबंध लागू नहीं था। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों (23/2014 तथा 52/2016) के जारी करने के समय प्रतिबंध लागू था।

- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(I)(1) ने विनिर्दिष्ट किया कि अल्पावधि अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक अनुमोदित सरलीकृत खनन योजना[22] के अनुसार खनन संक्रियाऐं करेगा।

  खनि अभियन्ता, जयपुर में पाया गया कि एक ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारी (18/2013) ने अपनी अनुमोदित सरलीकृत खनन योजना में उल्लेखित किया कि एक विशेष स्थान, जहाँ से वह खनिज ईंट-मिट्टी का उत्खनन करना चाहता था पर 26,810 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उपलब्ध थी जबकि 73,500 मैट्रिक टन[23] खनिज ईंट-मिट्टी की मात्रा के लिये ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र जारी (मई 2013) किया गया था। खनि अभियंता ने वह स्थान/स्रोत जहाँ से अनुमति-पत्रधारी द्वारा खनिज ईंट-मिट्टी की शेष 46,690 मैट्रिक टन मात्रा उत्खनित की जा सकती थी स्पष्ट नहीं किया। अनुमति-पत्रधारी ने 31 मार्च 2016 तक 43,979 मैट्रिक टन खनिज उत्खनित किया। अनुमति-पत्रधारी ने इस प्रकार, 17,169 मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी उक्त नियम के प्रावधानों के उल्लंघन

[20] खनि फोरमैन द्वारा प्रतिवेदित (28 जनवरी 2015) अनुसार 20-09 बीघा में से चार बीघा में ईंट भट्टा निर्मित था।

[21] 16.45 बीघा X 2,529 (एक बीघा में वर्ग मीटर) X 1.5 (मीटर में क्षेत्र की गहराई) X 1.4 (संपरिवर्तन गुणक)।

[22] सरलीकृत खनन योजना से तात्पर्य क्षेत्र में अप्रधान खनिज भण्डारों के विकास के लिये तैयार एक योजना से है।

[23] 14,700 मैट्रिक टन प्रति वर्ष पांच वर्षों की अवधि के लिये 4 अप्रैल 2013 से प्रभावी।

में उत्खनित की। इस प्रकार, खनि अभियंता ने अनियमित रूप से अनुमति-पत्रधारी को ₹ 42.92 लाख[24] कीमत के खनिज को उत्खनन करने की अनुमति दी।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि विभाग को ईंट-मिट्टी अनुमतियों को जारी करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा सुनिश्चित करे कि विभाग द्वारा भट्टे की क्षमता तथा स्थान, जहाँ से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित किया गया पर खनिज की उपलब्धता को ध्यान में रखने के पश्चात एक गहन जांच के बाद अनुमति-पत्र जारी किये जावें।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.4 खनिज ईंट-मिट्टी एवं साधारण-मिट्टी का अवैध उत्खनन

भट्टे की प्रक्रिया के माध्यम से ईंट निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (10 जून 1994) प्रक्रिया के अनुसार भट्टे की वार्षिक खपत क्षमता के आधार पर अधिशुल्क वसूलनीय है। बिना अनुमति भट्टा चालू पाये जाने की दशा में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48[25] के अनुसार अधिशुल्क का 10 गुणा वसूल किया जावेगा। सात खनि अभियंता कार्यालयों[26] में खनिज ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट कीः

- खनि अभियंता राजसमंद-II की लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया गया (मार्च 2017) कि 2015-16 के दौरान कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कोई ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र अस्तित्व में नहीं था। तथापि, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद ने सूचित किया (मार्च 2017) कि 263 प्रकरणों (15-ईंट भट्टे तथा 248-*'आवा-कजावा'* [27]) में व्यक्तियों/फर्मों द्वारा ईंटें निर्मित की जा रही थी। राज्य सरकार को अधिशुल्क की हानि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा प्रदान की गई सूचना में ईंट भट्टों/भट्टों की क्षमता नहीं थी। यह विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है जहाँ खनिज ईंट-मिट्टी की एक बड़ी मात्रा अवैध रूप से उत्खनित की जा रही थी।
- पांच खनि अभियंता कार्यालयों[28] ने 48 प्रकरणों में ईंट भट्टों की वार्षिक खपत क्षमता के बजाय निरीक्षणों के समय मौके पर पायी गयी ईंटों/ईंट-मिट्टी के आधार पर अवैध रूप से उत्खनित खनिज ईंट-मिट्टी की कीमत की वसूली प्रारंभ की। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 10.05 करोड़ की कम मांग कायम हुई। इसके अतिरिक्त दो खनि अभियंता

[24] 17,169 मैट्रिक टन X ₹ 25 प्रति मैट्रिक टन (अधिशुल्क की दर) X 10।

[25] नियम 48 के प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी अल्पावधि अनुमति-पत्र या किसी अन्य अनुमति के निबन्धनों एवं शर्तों के सिवाय कोई खनन संक्रियाऐं नहीं करेगा। आगे उप-नियम (5) तथा परंतुक के प्रावधानानुसार जहाँ इस प्रकार से निकाला गया खनिज पहले ही प्रयुक्त या निर्गमित किया जा चुका है, प्राधिकारी खनिज का मूल्य वसूल कर सकते हैं जो कि प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबरसंगणित किया जावेगा।

[26] चार चयनित कार्यालयः भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एवं उदयपुर तथा तीन नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः अलवर, बीकानेर एवं राजसमंद-II

[27] किसी भी प्रकार की चिमनी का उपयोग किये बिना खुले, अनिरंतर चलने वाले भट्टों में ईंटों/ *केवलू* का पकाया जाना आवा तथा कजावा प्रक्रिया के माध्यम से पकाया गया समझा जावेगा।

[28] तीन चयनित कार्यालयः भरतपुर, भीलवाड़ा एवं जयपुर तथा दो नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः अलवर एवं बीकानेर।

कार्यालयों[29] द्वारा 29 प्रकरणों में पंचनामा प्रतिवेदनों में ईंट भट्टे की क्षमता उल्लेखित नहीं की गई। ईंट भट्टे की क्षमता के अभाव में सही मांग की गणना नहीं की जा सकी।

- खनि अभियंता कार्यालय उदयपुर में खनिज ईंट-मिट्टी तथा साधारण-मिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 29 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में शास्ति वसूली गई। सात प्रकरणों में पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करवाई गई। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्टों का आगामी अनुवर्तन या अनुसरण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त पांच प्रकरणों में ना तो वसूली प्रारंभ की गई ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई।

जब यह ध्यान में लाया गया, विभाग ने अलवर तथा बीकानेर के प्रकरणों में कुल ₹ 16.75 लाख की मांग कायम की जिसमें से ₹ 2.08 लाख वसूल किये जा चुके थे। शेष प्रकरणों में अंतिम प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 2017)।

7.4.5.5 *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित ईंटों पर अधिशुल्क वसूली की कार्यवाही का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 58(बी) के अनुसार कुम्हारों द्वारा *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से पकी ईंटों और *केवलू* के निर्माण के लिए उपयोग की गई क्ले के उत्खनन पर अधिशुल्क के भुगतान से छूट थी। यह नियम संशोधित किया गया (31 दिसम्बर 2012) तथा छूट को केवल कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तनों और *केवलू* के लिए उपयोग की गई क्ले के उत्खनन तक सीमित किया गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित ईंटों के लिये उपयोग की गई क्ले के उत्खनन पर 1 जनवरी 2013 से अधिशुल्क देय था। सरकार ने एक आदेश जारी (14 फरवरी 2013) कर संशोधित नियम का कार्यान्वयन स्थगित किया। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को संशोधन का अधिशुल्क पर प्रभाव को सूचित करने के लिये कहा गया। तथापि, नियम 28 फरवरी 2017 से पुनः प्रभावी किया गया।

खनि अभियंता भीलवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला भीलवाड़ा की मांडल तहसील में 34 भट्टों में *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से ईंटें निर्मित की जा रही थी। संशोधित नियम के कार्यान्वयन पर स्थगन के कारण खनि अभियंता द्वारा अधिशुल्क की कोई वसूली नहीं की जा सकी। खनि अभियन्ता ने अन्य तहसीलों में भट्टों की संख्या, जहाँ *'आवा-कजावा'* प्रक्रिया के माध्यम से ईंटे निर्मित की जा रही थी सूचित नहीं की। खनि अभियंता के पास इन भट्टों की क्षमता उपलब्ध नहीं थी इसलिये अधिशुल्क राशि की गणना नहीं की जा सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.5.6 'संचालन की सहमति' के बिना/'संचालन की सहमति' से अधिक खनिज का उत्खनन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37टी(1)(i) के प्रावधानानुसार अनुमति-पत्र का प्रत्येक धारक खनन संक्रियायें प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण

[29] जयपुर-12 प्रकरण तथा उदयपुर-17 प्रकरण।

नियंत्रण मंडल से 'संचालन की सहमति' प्राप्त करेगा तथा 'संचालन की सहमति' की शर्तों को सख्ती से लागू करेगा।

खनि अभियंता जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि नौ ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के दौरान) में 'संचालन की सहमतियां' अभिलेखों में नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त तीन खनि अभियंता कार्यालयों[30] के नौ प्रकरणों में ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रधारियों ने 'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्रा से 1.45 लाख मैट्रिक टन खनिज ईंट-मिट्टी का अधिक उत्खनन किया था। 'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा के अनुमति-पत्रों का जारी करना गलत था तथा विभाग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी प्रथा रोकी जावे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017)।

7.4.6 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि की अवसूली/कम वसूली

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) के प्रावधानानुसार अनुमति-पत्रधारियों द्वारा अप्रधान खनिजों के लिये भुगतान की गयी अधिशुल्क राशि का 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इसे ट्रस्ट के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था। यह नियम 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था ।

- खनि अभियंता जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि फरवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान खनिज ईंट-मिट्टी पर ₹ 7.14 करोड़ का अधिशुल्क वसूल किया गया परंतु अनुमति-पत्रधारियों द्वारा केवल ₹ 14.97 लाख जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि ₹ 56.45 लाख की कम वसूली हुई।
- खनि अभियंता अजमेर तथा जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 20 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान खनिज साधारण-मिट्टी के लिये 94 अल्पावधि अनुमति-पत्र (खनि अभियंता अजमेर-14 प्रकरण एवं खनि अभियंता जयपुर-80 प्रकरण) जारी किये गये तथा अनुमति-पत्रधारियों द्वारा ₹ 1.20 करोड़ अधिशुल्क का भुगतान किया गया परंतु जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि ₹ 11.96 लाख ना तो अनुमति-पत्रधारियों द्वारा भुगतान की गयी ना ही विभाग द्वारा मांगी गई।

  ध्यान मे लाये जाने पर खनि अभियंता जयपुर ने प्रत्युत्तर दिया (अप्रैल 2017) कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की देय राशि वसूल कर ली जावेगी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017); जिनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2017) ।

[30] अजमेर, भरतपुर तथा जयपुर।

7.4.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा पंजिकाओं का संधारण नहीं करने/संधारित पंजिकाओं में वांछित सूचना के अभाव के कारण खान विभाग, निर्माण विभागों द्वारा अधिशुल्क की वसूली की निगरानी नहीं कर सका। विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप खान विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के बिना ठेकेदारों को अंतिम बिलों का भुगतान हुआ एवं, इसलिये, निर्माण कार्यों के निष्पादन में उपयोग में लिये गये खनिजों के अधिशुल्क की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। संबंधित खनि अभियंता कार्यालयों ने निर्माण विभागों को प्रक्रिया के अनुसरण हेतु प्रेरित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अल्पावधि अनुमति-पत्रों के प्रकरणों में अधिशुल्क के निर्धारण का अभाव रहा। कार्यों की अनुसूची-'जी' की उपयुक्त संवीक्षा के अभाव में खनि अभियंता खनिज साधारण-मिट्टी की आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं कर सके और जिसके कारण खनिज के अनाधिकृत उपयोग यदि कोई हो, को नहीं रोक सके। ऐसे प्रकरण भी पाये गये जहाँ ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के आवेदनों को, बिना कारणों को अभिलिखित किये अस्वीकृत किया गया। खनि अभियंताओं ने उन मात्राओं के लिये अनुमति-पत्र जारी किये थे जो क्षेत्रों में उपलब्ध/'संचालन की सहमतियों' में अनुमत्य मात्राओं से अधिक थी। विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप फरवरी 2013 से फरवरी 2017 तक की अवधि के लिये *'आवा-कजावा'* के माध्यम से निर्मित ईंटों पर अधिशुल्क की वसूली का अभाव रहा। अनुमति-पत्रधारियों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के लिये राशि का कम भुगतान किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा 1994 की नियम 65ए की प्रचलित अधिसूचना से अप्रधान खनिज जैसे बजरी, ग्रेवल, ईंट-मिट्टी, इत्यादि अल्पावधि अनुमति-पत्रों तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के माध्यम से उत्खनित किये एवं हटाये जा सकते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनिवार्य अभिलेखों को संधारित नहीं किया। विभाग ने अप्रधान खनिजों के उत्खनन, हटाने तथा निपटान की उचित रूप से निगरानी तथा अधिशुल्क के संग्रहण का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान अल्पावधि अनुमति-पत्रों के प्रकरण में ₹ 38.47 करोड़ तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के संबंध में ₹ 10.52 करोड़ अधिशुल्क राशि की वसूली नहीं हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग अल्पावधि अनुमति-पत्रों/ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों के निष्पादन की निगरानी करने के लिये सूचना पट्ट (डैशबोर्ड) का उपयोग कर प्रभावी नियंत्रण की स्थापना कर सकता है तथा आगामी अधिशुल्क के संग्रहण का कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकता है।

7.5 ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32(3) के प्रावधानानुसार अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार[31] द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली राशि नीलामी/ई-नीलामी में या निविदा/ई-निविदा द्वारा निर्धारित की जायेगी। परंतु अधिशुल्क की दर या अनुमति-पत्र शुल्क/अन्य प्रभारों में वृद्धि या कमी की दशा में:

(i) 'अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार' ऐसी वृद्धि अथवा कमी की दिनांक से ठेके की शेष अवधि के लिए वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ठेका राशि, प्रतिभूति राशि तथा गारंटी राशि की बढ़ी अथवा कम राशि के भुगतान करने का दायी होगा;

(ii) 'अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार' निर्धारित सूत्र के अनुसार संगणित ठेका राशि, प्रतिभूति राशि तथा गारंटी राशि की बढ़ी हुई या कम राशि के भुगतान करने का दायी होगा यथा पुनरीक्षित ठेका राशि = {(विद्यमान ठेका राशि + कुल विद्यमान स्थिर भाटक) X नई अधिशुल्क दर/विद्यमान अधिशुल्क दर – कुल विद्यमान स्थिर भाटक}।

इसके अतिरिक्त, नियम 37(यू)(11) के अनुसार खनन पट्टों के प्रकरण में जहाँ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका दिया गया है, पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए अंशदान ठेकेदार के माध्यम से अधिशुल्क के साथ वसूल किया जावेगा।

7.5.1 राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना से खनिज बजरी की अधिशुल्क दर ₹ 20 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 30 प्रति मैट्रिक टन[32], खनिज मुर्रम की अधिशुल्क दर ₹ 18 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 25 प्रति मैट्रिक टन तथा खनिज चूना कंकर की अधिशुल्क दर ₹ 15 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 20 प्रति मैट्रिक टन पुनरीक्षित की।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (जनवरी 2017) कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक 'अधिशुल्क संग्रहण सह अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका' एक ठेकेदार को ₹ 29.39 करोड़[33] प्रति वर्ष पर स्वीकृत किया (फरवरी 2014)। ठेका[34] प्रधान खनिज पट्टों[35] के अधिभार से प्राप्त खनिज बजरी, मुर्रम तथा कंकर पर अधिशुल्क एवं अनुमति-पत्र शुल्क एवं अप्रधान खनिज पट्टों से बजरी पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए था।

खनिज बजरी, मुर्रम तथा कंकर के लिए अधिशुल्क दरें 5 अगस्त 2014 को पुनरीक्षित की गई। इस प्रकार, ठेका राशि को भी बढ़ाया जाना अपेक्षित था। खनि अभियन्ता बीकानेर ने आदेश दिनांक 8 अगस्त 2014 से ठेका राशि को ₹ 35.52 करोड़ पर पुनरीक्षित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण प्रकट हुआ जिसकी चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेद में की गई है:

ठेका राशि में अधिशुल्क, अनुमति-पत्र शुल्क और पर्यावरण प्रबंधन कोष समाविष्ट था। अनुमति-पत्र शुल्क ठेका राशि के 33 प्रतिशत के बराबर था। पुनरीक्षित ठेका राशि तक आने

---

31 अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार, एक ठेकेदार है जो एक एकमुश्त राशि के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिए अधिशुल्क संग्रहण हेतु प्राधिकृत है।

32 बीकानेर के संदर्भ में।

33 ठेका राशि में अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, अनुमति-पत्र शुल्क के ₹ 23.51 करोड़ तथा पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि के ₹ 5.88 करोड़ शामिल थे।

34 ठेके का क्षेत्र बीकानेर (शहरी सीमाओं को छोड़कर) तहसील नोखा, लुणकरनसर तथा कोलायत का राजस्व क्षेत्र था।

35 प्रधान खनिज क्ले जिसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 से अप्रधान खनिज अधिसूचित किया गया।

के लिए, ठेके की कुल राशि से पर्यावरण प्रबंधन कोष[36] ₹ 5.88 करोड़ को सबसे पहले घटाया जाना अपेक्षित था। यह नहीं किया गया इसके बजाय अनुमति-पत्र शुल्क घटाये जाने के पश्चात इसे घटाया गया। इसके परिणामस्वरूप 5 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ठेका राशि ₹ 1.37 करोड़ का ***परिशिष्ट-I*** में दिये गये विवरणानुसार कम पुनरीक्षण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (सितंबर 2017) कि राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी (जून 2017) किया गया था जिसके विरूद्ध ठेकेदार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी।

7.5.2 राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना से खनिज ग्रेनाइट (70 सेंटीमीटर से अधिक किसी भी आयाम का ब्लॉक) की अधिशुल्क दर ₹ 175 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 235 प्रति मैट्रिक टन और खनिज ग्रेनाइट (ब्लाक जिसका आयाम 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो यथा खण्डा) की अधिशुल्क दर ₹ 65 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन पुनरीक्षित की। खनिज ग्रेनाइट (70 सेंटीमीटर से अधिक किसी भी आयाम का ब्लॉक) की बढी हुई अधिशुल्क दर 26 अगस्त 2014 को घटा कर ₹ 215 प्रति मैट्रिक टन कर दी गई। राज्य सरकार की 9 मार्च 2010 की अधिसूचना के अनुसार खनिज ग्रेनाइट की स्थिर भाटक[37] की दर ₹ 40 प्रति 10 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये थी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (मार्च 2017) कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका ₹ 4.59 करोड़ प्रतिवर्ष पर एक ठेकेदार को स्वीकृत किया गया (मार्च 2014)। ठेका[38] खनिज ग्रेनाइट पर अधिक अधिशुल्क के संग्रहण के लिए था।

खनिज ग्रेनाइट के लिए अधिशुल्क दर 5 अगस्त 2014 को पुनरीक्षित की गयी तथा तद्नुसार ठेका राशि में भी वृद्धि की जानी अपेक्षित थी। खनि अभियन्ता जैसलमेर ने क्रमशः आदेश दिनांक 13 अगस्त 2014 तथा 28 अगस्त 2014 से ठेका राशि ₹ 6.30 करोड़ प्रति वर्ष (5 अगस्त 2014 से प्रभावी) तथा ₹ 5.74 करोड़ प्रति वर्ष (26 अगस्त 2014 से प्रभावी) पर पुनरीक्षित की। यह पाया गया कि खनि अभियन्ता द्वारा ठेका राशि में दोनो अवसरों पर किया गया पुनरीक्षण त्रुटिपूर्ण था। खनि अभियन्ता ने स्थिर भाटक की गणना में गणितीय त्रुटि के कारण सूत्र में गलत रुप से स्थिर भाटक ₹ 0.64 करोड़ को जोड़ दिया। जबकि वास्तविक स्थिर भाटक ₹ 1.26 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण तथा उसके कारण ₹ 24.39 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017)। सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं प्रत्युत्तर दिया (जून 2017) कि ठेकेदार को राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया था (मई 2017)। आगे यह भी कहा गया (सितंबर 2017) कि राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी।

---

[36] पर्यावरण प्रबंधन कोष की दर अपरिवर्तित रही।

[37] स्थिर भाटक से तात्पर्य खनन पट्टे के लिए भुगतान योग्य न्यूनतम प्रत्याभूत राशि से है।

[38] ठेके का क्षेत्र जिला जैसलमेर तथा जिला बाड़मेर (तहसील सिवाना को छोड़कर) का राजस्व क्षेत्र था।

7.6 ब्याज की मांग कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33डी(2) सपठित नियम 37(ए)(xvii) के प्रावधानानुसार वार्षिक ठेका राशि की मासिक/त्रैमासिक किस्त नियत तिथि से पूर्व अग्रिम में भुगतान की जावेगी। नियत तिथि तक मासिक/त्रैमासिक किस्त जमा नहीं किये जाने कि दशा में भुगतान न की गई राशि पर नियत तिथि से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में दिनांक 19 जून 2012 की अधिसूचना से नियम 37टी(5) जोड़ा गया, के प्रावधानानुसार प्रत्येक पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी खनिज के निर्गमन पर पर्यावरण प्रबन्धन कोष में अंशदान जमा करेगा। इसके अतिरिक्त, नियम 37(यू)(11) (जनवरी 2013) के अनुसार खनन पट्टों के प्रकरण में जहाँ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका दिया गया है, पर्यावरण प्रबंधन कोष के लिए अंशदान, ठेकेदार के माध्यम से अधिशुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों[39] की नमूना जांच के दौरान, पाया गया (अगस्त 2016) कि सात अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों में ठेकेदारों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि ₹ 2.16 करोड़ संग्रहित की गयी परंतु 40 दिवसों तथा 511 दिवसों की सीमा के विलम्ब से जमा करायी गयी। तथापि, खनि अभियन्ता ने ठेकेदारों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कोष के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 27.09 लाख के ब्याज की मांग कायम नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2017)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (सितंबर 2017) कि दो प्रकरणों में ₹ 3.36 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष पांच प्रकरणों में ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र पुनः जारी किये गये थे (अगस्त 2017)।

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक: 17 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 20 फरवरी 2018

[39] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों की मांग पंजिकायें।

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5.1; पृष्ठ 126)

ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली का विवरण

विवरण	विभाग द्वारा पुनरीक्षित ठेका राशि (₹)	ठेका राशि जो कि पुनरीक्षित की जानी थी (₹)
कुल ठेका राशि	29,39,39,939	29,39,39,939
घटायें पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि	लागू नहीं	5,87,87,988
पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि को घटाने के पश्चात ठेका राशि	लागू नहीं	23,51,51,951
घटायें ठेका राशि से अनुमति-पत्र शुल्क (ठेका राशि का 33 प्रतिशत)	9,70,00,180	7,76,00,144
अनुमति-पत्र शुल्क घटाने के पश्चात ठेका राशि	19,69,39,759	15,75,51,807
घटायें पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि	5,87,87,988	लागू नहीं
पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि तथा अनुमति-पत्र शुल्क को घटाने के पश्चात ठेका राशि	13,81,51,771	15,75,51,807
खनिज बजरी से अधिशुल्क राशि (ठेका राशि का 50 प्रतिशत)	6,90,75,886	7,87,75,904
जोड़ें बजरी पट्टों का स्थिर भाटक	47,62,058	47,62,058
बजरी अधिशुल्क राशि में बजरी पट्टों का स्थिर भाटक जोड़ने के पश्चात राशि	7,38,37,944	8,35,37,962
5.8.2014 से बजरी अधिशुल्क राशि का पुनरीक्षण (बजरी अधिशुल्क राशि + स्थिर भाटक) X बजरी अधिशुल्क की नयी दर/ बजरी अधिशुल्क की पुरानी दर – स्थिर भाटक	**10,59,94,858**	**12,05,44,885**
खनिज मुर्रम से अधिशुल्क राशि (ठेका राशि का 17 प्रतिशत)	2,34,85,801	2,67,83,807
5.8.2014 से मुर्रम अधिशुल्क राशि का पुनरीक्षण (मुर्रम अधिशुल्क राशि X मुर्रम अधिशुल्क की नयी दर/ मुर्रम अधिशुल्क की पुरानी दर)	**3,26,19,168**	**3,71,99,732**
चूना कंकर से अधिशुल्क राशि (ठेका राशि का 33 प्रतिशत)	4,55,90,084	5,19,92,096
5.8.2014 से चूना कंकर अधिशुल्क राशि का पुनरीक्षण (चूना कंकर अधिशुल्क राशि X चूना कंकर अधिशुल्क की नयी दर / चूना कंकर अधिशुल्क की पुरानी दर)	**6,07,86,779**	**6,93,22,795**
पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि रहित पुनरीक्षित ठेका राशि (बजरी + मुर्रम + चूना कंकर की पुनरीक्षित अधिशुल्क राशि + अनुमति-पत्र शुल्क)	29,64,00,985	30,46,67,556
पर्यावरण प्रबंधन कोष राशि सहित पुनरीक्षित ठेका राशि	35,51,88,973	36,34,55,544
ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली (प्रति वर्ष)		82,66,571
ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण 5.8.2014 से 31.03.2015 तक राजस्व की कम वसूली (239 दिवस)		54,12,905
5.8.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान ठेका राशि के त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण के कारण राजस्व की कम वसूली		**1,36,79,476**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in